Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म०पू०११. १७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा।

आइरन ओर की खानों के माल की निकासी

११०१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या उद्योग व वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि आइरन ओर की खानों के कच्चे माल का निकास बन्द सा हो गया है, और वह कब से ?

(ख) इस निकास के बन्द होने से कितने मज़दूर बेकार हुए हैं ?

(ग) सरकार की आय में इस कारण कितनी कमी पड़ी है ?

(घ) सरकार इस निकास को चालू करने के लिये क्या क्या कदम उठा रही है ?

(ङ) आइरन ओर का निकास बन्द होने का कारण क्या रेल किराये में वृद्धि है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) फ्रेट रेट के ३) रु० टन बढ़ जाने से आइरन ओर की खानों के कच्चे माल के निकास में कठिनाई आई है।

(ख) काम अभी तक बन्द नहीं हुआ है, काम बन्द होने पर कम से कम ५०० मज़दूर बेकार होंगे।

(ग) सरकार का डैड रेन्ट है वह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर काम बिल्कुल बन्द हुआ तो रॉयल्टी का करीब ५०००) रु० महिने का फर्क पड़ेगा।

(घ) चेम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ और इन्डस्ट्रीयलाइज ने इस सिलसिले में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को यह अनुरोध किया है कि वे रेल्वे से इस विषय में वार्तालाप करें। राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी केन्द्र के मंत्रियों से इस विषय में वार्तालाप की है।

(ङ) हां।

डॉ० चन्द्रकला : जो वार्तालाप की है उसका क्या नतीजा दिखता है क्योंकि इसमें काफी समय लग गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

वार्तालाप जारी है और रेल्वे से इस संबन्ध में बात चल रही है ।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट ।

जागीर, एम्पलॉईज का एब्जॉर्वेशन

११०२., **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने जागीर एम्पलाईज को प्रोविजनल ही एब्जोर्व किया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जिस दिन से उन्होंने ठिकाना में काम करना शुरू किया उस दिन से उनकी सीनियोरिटी नहीं मानी जाती और न उसके आधार पर प्रमोशन ही मिलता है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (१) जी नहीं । राजस्थान लैंन्ड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिजम्पशन (एबोलिशन ऑफ जागीर) नियम, १९५४ के नियम ३ के अनुसार जागीर एम्पलाईज को सिलेक्ट कर प्रोविजनली नियुक्त किया जाता है । परन्तु बाद में योग्यता और कार्य कुशलता को देख कर पर्मानेन्ट का चान्स दिया जाता है ।

(२) जी नहीं ।

श्री लक्ष्मी चन्द : कितनों का प्रोविजनल फिक्सेशन फाइनल हो चुका है । आपके कोई प्रोविजनल फिक्सेशन वाले फाइनल हुए हैं या नहीं ।

श्री संपतराम : मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको फिक्सेशन कर दिया गया है और कुछ बाकी भी है ।

श्री भैरोंसिंह : जागीर एम्पलॉईज को जो प्रोविजनली एम्पलॉयड है उनको कन्फर्म करने के लिये एक कमेटी एपॉइन्ट की है, क्या यह सही है कि उनकी एक मीटिंग भी ८ महीनों से नहीं हुई है ।

श्री संपतराम : कौन सी जागीर एम्पलोईज कमेटी।

श्री भैरोंसिंह : जिसको सरकार ने मुकर्रर की है । प्रोविजनल एपॉइन्टमेंट जिनका किया गया हैं, कोई नायब तहसीलदार हैं कोई लैन्ड रेवेन्यू के इन्सपेक्टर है उनका फिक्सेशन करने के लिये कमेटी बनी थी ।

श्री संपतराम : आपका कौन से क्लास के व्यक्तियों से मतलब है ।

श्री भैरोंसिंह : जिनका फिक्सेशन इस कमेटी के द्वारा होता हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा है ।

श्रीभैरोंसिंह : गिरदावर से नीचे, नायब तहसीलदार आदि सब के इलेक्शन के लिये इलेक्शन बोर्ड बना है । उसकी कोई बैठक नहीं हुई ।

श्री सपतराम : अध्यक्ष महोदय, नायब तहसीलदार आदिके सलेक्शन के लिये रूल्स हैं उसके अनुसार कमेटी की मीटिंग साल में एक दफा होती हैं । उसमें फोर्म प्रेस्काइब्ड हैं (ए) । उस पर निर्णय लिया जाता है । वह साल में एक दफा होती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह)

उस कमेटी पर इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है कि साल में एक ही बार हो। पिछले वर्ष उसकी मिटिंग साल में चार बार हुई थी।

श्री संपतराम : सलेक्शन के रूल्स बने हुये हैं। उन्हीं के तहत कार्यवाही होती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न जागीर एम्पलोइज के फिक्सेशन के बारे में जो कमेटी नियुक्त हैं उसके बारे में हैं। उसकी बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं ?

श्री संपतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं हैं, कौनसी कमेटी से आपका मतलब हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

डॉ० के० एम० गुप्ता, प्रोफेसर जसवन्त कॉलेज, जोधपुर के विरुद्ध शिकायत

११०३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डॉक्टर के. एम गुप्ता, प्रोफेसर एण्ड हैड ऑफ बोटेनी, जसवन्त कॉलेज, जोधपुर सन् १९५५ में रेलवे कन्सेशन लेकर पंजाब युनिवर्सिटी की परीक्षा लेने अमृतसर गये थे ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को गये व वापिस कौन सी तारीख को आये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रोफेसर ने रेलवे कन्सेशन जोधपुर रेलवे से रिसर्च के काम के बहाने से उन दिनों में लिया था जबकि पंजाब युनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा टी. ए. वसूल किया है।

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां। २०-७-५५ को गये और २४-७-५५ को लौटे।

(२) जी हां।

(३) जी हां। जांच हो रही है। अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी जांच पूरी नहीं हो पायी।

श्री लक्ष्मीचन्द : किस स्टेज पर जांच चल रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनसे उत्तर मांगा गया है और उत्तर आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

तहसील जसवन्तपुरा के एक पटवारी द्वारा तहसीलदार को लिखी चिट्ठी की जांच

११०४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील जसवन्तपुरा के पटवारी श्री तंगसिंह ने तहसीलदार जसवन्तपुरा को एक चिट्ठी रिश्वत लेकर काम करने को लिखी थी और उस चिट्ठी की जांच करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आया था ? यदि हां, तो उस

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पर किस किस के खिलाफ जांच की गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : श्री तंगसिंह नाम का कोई पटवारी नहीं है। श्री तख्तसिंह नाम का पटवारी जो इस अभियोग में पकड़ा गया था, नौकरी से हटा दिया गया है, तथा तहसीलदार के विरुद्ध जांच सब-डिविजनल ऑफिसर कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश कब दिये गये ?

श्री सम्पतराम : जिस समय से शिकायत आई उसी समय से यह मामला उनके खिलाफ चल रहा है और जल्दी ही फाइनल हो जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि उनके खिलाफ कोई आदेश ही नहीं दिये गये ?

श्री सम्पतराम : यह बिल्कुल गलत बात है। इन्क्वायरी चल रही है फिर आदेश नहीं होने की बात कहां रहती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उस चिट्ठी में ऐसे क्या कारण हैं जिससे कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री सम्पतराम : चिट्ठी की लैंग्वेज़ में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें यह लिखा था कि इतना रुपया दे दीजिये। पटवारी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बनता था इसलिए उसको नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया है उसमें उसकी कन्वायवेन्स है या नहीं, यह इन्क्वायरी जैर तफतीश है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि इस मामले में डिपार्टमेन्टल कार्यवाही शुरू हो गई है ?

श्री सम्पतराम: डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त कौन तहसीलदार थे ?

श्री सम्पतराम : उसकी सरकार जांच कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : श्री दयाकृष्णविजय की ओर से मुझे ऑथोरिटी दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं पहुंची है।

श्री भैरोंसिंह ऑफिस में दे दी है।

श्री अध्यक्ष : तो पूछ लीजिये।

कोटा जिले के सहकारी तथा निजी उद्योगों को सहायता

११०५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थित में) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिले में कितने सहकारी तथा निजी उद्योगों को सन् ५७-५८ में सरकार की ओर से कितनी कितनी सहायता (Grant-in-Aid) अनुदान (Subsidy) तथा ऋण (Loan)

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

दिया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उद्योगों को ऋण किन किन शर्तों के अन्तर्गत दिया गया है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) नियम जिनके अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, श्री सूरजमल का सस्पेन्शन

११०६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि जिला जालौर का रेवेन्यू इन्स्पेक्टर श्री सूरजमल पांच दफे सस्पेन्ड हो चुका है और उसकी सर्विस बुक में रद्दोबदल कर नई सर्विस बुक बनाई जाकर उसे पटवारी से रेवेन्यू इन्स्पेक्टर बनाया गया है ? यदि नहीं तो उक्त रेवेन्यू इन्स्पेक्टर कब कब सस्पेन्ड रहा और उसकी सर्विस बुक में कौन सी तारीखों को सस्पेन्ड का इन्द्राज किया हुआ है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं। सूरजमल की सर्विस बुक में रद्दोबदल नहीं किया गया और न ही उसकी सर्विस बुक नई बनाई जाकर, उसे इन्स्पेक्टर बनाया गया। श्री सूरजमल १२-७-५१ को मोअत्तिल हुआ था, जिस समय कि वह पटवारी था और फिर ३-३-५६ को बहाल हो कर वापस पटवारी ही बनाया गया और यही उसकी सर्विस बुक में इन्द्राज है।

श्री लक्ष्मीचन्द : १४-८-५३ को वह सस्पेन्ड हुआ था या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय यह जवाब बिल्कुल गलत है, और मैं इसको चैलेन्ज करता हूं। वह १४-८-५३ को सस्पेन्ड हुआ था और १५-७-५६ को फिर बहाल किया गया। क्या यह सत्य है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, उनका चैलेन्ज बिल्कुल गलत है। उनकी सर्विस बुक मेरे पास मौजूद है और उसमें यह एन्ट्री नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : ये सर्विस बुक को ही गलत बता रहे हैं।

श्री सम्पतराम : सर्विस बुक गलत नहीं है, मैंने उसको देख ली है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उस सस्पेन्शन की सर्विस बुक में ही एन्ट्री नहीं की है ?

श्री सम्पतराम : जो कुछ मैंने जवाब दिया, है वही ठीक है।

श्री लक्ष्मीचन्द : १४. ८. ५३ को वह सस्पेन्ड हुआ या नहीं ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास जो जानकारी है उससे वह सस्पेन्ड नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार यह जांच करेगी कि वह १४-८-५३ को सस्पेन्ड हुआ ? और १५-७-५६ तक वह सस्पेन्ड रहा।

श्री सम्पतराम : जांच करने में कोई इन्कारी नहीं है। मैंने कलेक्टर से बात की है और आप कहते है कि उसको सस्पेन्ड किया ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सांचौर में ही पटवारी था और सांचोर में ही सस्पेन्ड हुआ और उसकी इन्क्वायरी हुई। आप कहते हैं कि सस्पेन्ड नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप इसकी जांच करवा लीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर तथा बीकानेर

११०७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७-५८ के सत्र में राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (Government Teachers Training College) अजमेर तथा बीकानेर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र अध्यापकों की संख्या कितनी थी और इन महाविद्यालयों में कितने कितने अध्यापक किस किस डिविजन से भेजे गये ?

(२) क्या यह सच है कि इन अध्यापकों में से कुछ को पहले सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के आदेश दिये गये थे जिनको कॉलेज में भर्ती होने के बाद स्टिपैन्ड देने के आदेश सुनाए गये ? प्रत्येक कॉलेज में से कितने कितने छात्र अध्यापकों ने सरकारी खर्चे से प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा कितने को स्टिपैन्ड दिया ?

(३) सरकारी खर्चे तथा स्टिपैन्ड के लिये छात्र अध्यापकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया ?

(४) क्या नियमानुसार १०० छात्र अध्यापक होने पर २५ छात्रों को सरकार पूर्ण वेतन देती है ? क्या उस सत्र में अजमेर ट्रेनिंग कॉलेज में इस नियम का पूर्ण रूपेण पालन हुआ है ?

(५) क्य यह सच है कि जयपुर डिविजन से आने वाले छात्र अध्यापकों की सीनियोरिटी की पहली लिस्ट गलत थी और उसमें बाद में परिवर्तन किया गया ?

(६) क्या यह भी सच है कि इस परि-शोधित लिस्ट के अनुसार एक जूनियर अध्यापक को पूर्ण खर्चा देकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा दी गई तथा अन्य उससे सीनियर अध्यापकों को पूर्ण खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित रखा गया ?

(७) क्या अब सरकार उन अधिकारों से वंचित अध्यापकों के साथ उचित न्याय करने का विचार रखती है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (१) अजमेर में ९८, बीकानेर में ९७।

निम्नलिखित डिविज़नों से भेजे गये :

टीचर्स ट्रेनिग कॉलेज, अजमेर में ;

जयपुर से	४४
जोधपुर से	२

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बीकानेर से	४
कोटा से	६
उदयपुर से	६
प्राइवेट	३३

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर में :

जयपुर से	६
जोधपुर से	२५
बीकानेर से	२६
कोटा से	७
उदयपुर से	८
प्राइवेट	२२

(२) जी हां, संख्या निम्न प्रकार थी।

	पूर्ण वेतन पर	स्टिपैन्ड पर
ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर	२५	७२
ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर	१२	८६

(३) सरकारी खर्चे पर सिनियोरिटी के अनुसार केवल उन्हीं अध्यापकों को भेजा गया जिनकी नियुक्ति १। ७। ५४ से पहले की थी। अन्य अध्यापकों को जिनमें फ्रैश केन्डीडेट्स भी थे, सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने जाने के बाद स्टिपैन्ड पर भेजा गया।

(४) जी हां। उस वर्ष अजमेर ट्रेनिंग कॉलेज के लिये ५० छात्र अध्यापकों की स्वीकृति थी। बाद में सरकार द्वारा सीटों की संख्या १०० कर दी गई। चूंकि सिलेक्शन पहले हो चुका था और दुबारा सिलेक्शन करने में व छात्र अध्यापकों को इधर से उधर करने में सारी व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, अतः वहां पर पूर्ण वेतन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अजमेर में पहले कर दिया और बाद में कम कर दिया तो फिर किन आधारों पर उनको वेतन नहीं मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अर्ज किया कि ५० पहले तादाद रखी गई थी, बाद में वह १०० कर दी गई। १२ को वेतन मिला है और ८६ को स्टिपैन्ड मिला है

रावराजा श्री सरदारसिंह : नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया था कि पहले ५० की ही तादाद कर दी थी और बाद में उसको १०० कर दिया अनुपात से किसी को अधिक नहीं दिया है। ५० के अनुपात से १२ हो जाते हैं इसलिए वेतन मिला।

प्रश्न संख्या ११०८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरली धर व्यास।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

Page No.8

ग्राम खेजड़ा में स्थित सार्वजनिक गढ़ का ग्राम पंचायत को हस्तांतरण

११०६. **श्री रावतराम** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेज़डा, तहसील सरदारशहर में एक सार्वजनिक गढ़ है ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि उक्तगढ़ जर्जर अवस्था में है ? यदि हों, तो उसकी मरम्मत के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) क्या सरकार राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा ८८ के तहत उक्त गढ़ को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में मानती है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत के मांग करने पर भी उसका चार्ज पंचायत को क्यों नहीं सौंपा गया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त गढ़ में खेजड़ा पुलिस थाने के एक मुन्शी ने कब्जा कर रखा है ?

(५) क्या पंचायत खेजड़ा ने उक्त गढ़ की मरम्मत अपने खर्चे से [illegible] के लिए सरकार को लिखा है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) जी नहीं।

(२) तथा कथित गढ़ इसी हालत में ठिकाने से चार्ज में मिला था। मरम्मत की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

(३) जी नहीं। अतः ग्राम पंचायत को सौंपने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(४) जी नहीं। एक पुलिस कॉन्टेबल रहता है।

(५) जी हां। बशर्ते कि यह इमारती पंचायत को सौंप दी जाती।

श्री रावतराम : क्या पंचायत खेजड़ा ने कलेक्टर को दरख्वास्त दी थी कि गढ़ उनको सौंप दिया जाय, तो पंचायत और जनता दोनों मिलकर उसकी मरम्मत करा देंगे ?

श्री सम्पतराम : प्रश्न के भाग ५ को देखें तो मालूम होगा कि मैंने उत्तर दिया है जी हां।

श्री रावतराम : प्रश्न एक के उत्तर में बताया कि गढ़ है ही नहीं।

श्री रावतराम : मैंने यह कहां बताया कि नहीं है।

श्री रावतराम : खेजड़ा ग्राम के निवासी और पंचायत मरम्मत करा दें तो आपको क्या हर्ज है ?

श्री सम्पतराम : आपने पूछा कि सार्वजनिक गढ़ है क्या ? मैंने उत्तर दिया कि नहीं है। पंचायत जरूर चाहती है कि यह मकान उनको दे दिया जाय तो मरम्मत करा सकेंगे। राजस्व विभाग उसको देने के लिए तैयार नहीं है।

श्री रावतराम : राजस्व विभाग मरम्मत कराने के लिए तैयार होगी ?

श्री सम्पतराम : इसका प्रयत्न किया जायेगा।

Page No.9

प्रश्न संख्या ११९०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

घट्टा घट्टी कॉलोनी, जिला कोटा में बनाये गये मकानों पर खर्चा तथा पुनः स्थापित किये गये लोगों को तकावी

११९१. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा जिले में घट्टा घट्टी कॉलोनी में बनाये गये मकानों में की मकान क्या खर्चा हुआ ?

(ख) क्या इन मकानों के निर्माण में लगने वाले खर्चे का पी० डब्ल्यू० डी० से सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है ?

(ग) पुनःस्थापित किये जाने वाले लोगों को किस किस माह में किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी तकावी दी गई ?

(घ) इन लोगों को काश्त के लिए जमीन प्रत्येक को किस हिसाब से कितनी कितनी और कब दी गई ?

उप पुनर्वास मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) प्रति मकान पर लगभग ६०० रुपया व्यय हुआ है।

(ख) यह मकान पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ही तैयार किये गये हैं, अतः सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ग) तकावी का विवरण निम्न प्रकार है :

माह	जनवरी,	१९५८	८१८)	वास्ते निर्वाह	(मेन्टिनेन्स लोन)
,,	फरवरी	,,	८१४)	,, ,,	,,
,,	मार्च	,,	३२६८)	,, ,,	,,
,,	,,	,,	३८५)	शेयर मनी।	,,
,,	,,	,,	४२००)	वास्ते खरीद गाय	,,
,,	अप्रैल	,,	३८१३)	वास्ते निर्वाह	,,
,,	मई	,,	४३०४)	,, ,,	,,
,,	,,	,,	५०००)	वास्ते खरीद गाय	,,
,,	जून	,,	३२०००)	वास्ते खरीद बैल	,,
,,	,,	,,	४८१०)	वास्ते निर्वाह	(मेन्टीनेन्स लोन)
,,	जुलाई	,,	४७९०)	,, ,,	,,

(श्री सम्पतराम)

,,	,,	,,	२१०००)	वास्ते खरीद बैल	,,
,,	,,	,,	२४००)	वास्ते उद्योग-धन्धा	(स्मॉल ट्रेड लोन)
,,	अगस्त	,,	८००)	,, ,,	,,
,,	,,	,,	४७९८)	वास्ते निर्वाह	(मेन्टिनेन्स लोन)
,,	सितम्बर	,,	४५०)	वास्ते औजार	(इम्पलीमेन्ट्स लोन)
,,	,,	,,	४७८६)	वास्ते निर्वाह	(मेन्टिनेन्स लोन)
,,	अक्टूबर	,,	५३००)	वास्ते औजार	(इम्प्लीमेन्ट्स लोन)

(घ) प्रत्येक परिवार को २॥ एकड़ इर्रिगेटेड भूमि मई के महीने में दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस जगह आबादी बसाई गई वहां इर्रिगेशन के सोर्सेज़ नहीं हैं।

श्री सम्पतराम : जो जमीन दी गई है वह इर्रिगेटेड है।

श्री भैरोंसिंह : जमीन कहां दी गई ?

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैं जानकारी के लिए निवेदन कर दूं यह जमीन जहां बस्ती बसाई गई है वहां पर तालाब के लिए भारत सरकार ने कुछ लोन दिया है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि अभी तक जो जमीन दी गई है वह अनइर्रिगेटेड है, जब तालाब बन जायगा उसके बाद वहां आबपाशी हो सकेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तालाब के बनने के बाद ही इर्रिगेटेड होगी।

श्री भैरोंसिंह : वह तालाब कब तक बन जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं जितनी जानकारी मुझे थी, वह मैंने दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस जगह ये लोग बसाये गये हैं वहां पीने का पानी उपलब्ध न होने की वजह से लोग वहां से निकल कर बारां आ गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले ऐसी दिक्कत थी अब पानी का इन्तजाम हो गया है और कुंओं का इन्तजाम हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों को बैलों के लिए जुलाई माह में तकावी मिल जानी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी, इसलिए वे जमीन तैयार नहीं करवा सके ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाली शहर में शराब की दुकानों की नीलामी

१११२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री आबकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली शहर में सन् १९५७ तक शराब की दुकान की एक ही नीलामी बोली जाती थी तथा सन् १९५८ में दो दुकानों की अलग अलग दो नीलाम की बोलियां सरकार द्वारा की गई ?

(ख) क्या यह भी सही है कि सन् १९५८ में पाली शहर की शराब की दुकानों की जो नीलामी बोली की रकम बोली गई है उतनी रकम की बोली पहले कभी नहीं बोली गई।

(ग) सन् १९५८ में नीलाम की दोनों बोलियों की कितनी रकम है और सन् १९५८ के पूर्व सब से ऊंची बोली की कितनी रकम कौन से साल में थी ?

(घ) क्या सरकार मजदूरों के हित में यह उपयुक्त समझती है कि पाली मिल्स के नजदीक शराब की दुकान की जो नई बोली ली गई है, वह रद्द कर दी जावे और पहले के माफिक पाली शहर में केवल एक ही शराब की दुकान रखी जावे।

(ङ) क्या सरकार को यह मालूम है कि ठेकेदार को कमीशन से जो रकम प्राप्त होती है उससे कई गुना अधिक नीलामी बोली ली जाती है और इस कारण ठेकेदार ईमानदारी से धन्धा नहीं कर सकता ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सन् १९५८ में दोनों बोलियों की रकम ४२,१२५ रु० रही व इससे पूर्व सबसे ऊंची बोली सन् १९५२-५३ में ३२,१०० रु० थी।

(घ) ऐसी कोई दुकान नहीं खोली गई है, अतएव रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ठेके की रकम, पिछले वर्षों में ठेकेदारों को जो कमीशन मिला है, उससे अधिक है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि रकम अधिक होने के कारण उसका हर्जाना दारू की एवज में पानी मिला कर देते हैं, उससे पूरा करते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह हो सकता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार इस प्रकार की नीति को बदलने का विचार रखती है ?

श्री सम्पतराम : फ्री ऑक्शन का जहां सिस्टम है उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन पानी मिलाने से शराब लैस इन्ज्यूरियस हो जाती है इसमें दिक्कत क्या है ?

डॉ० बहादुरसिंह : लैस इन्ज्यूरियस हो जाती है यह आपने कैसे मालूम किया ?

श्री सम्पतराम : पानी मिलाना कानूनी तो गुनाह है, फिर भी कोई कानून की अवहेलना करके गुप्त रीति से ऐसा करता है तो उसका इलाज नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कभी इसको टैस्ट किया या नहीं ?

श्री सम्पतराम : आपके साथ रहने का मौका मुझे मिला नहीं है।

श्री शंकरलाल : जब पहले एक बोली ली जाती थी और अब दो बोली ली जाती है, उससे मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकान हो जाने से उन लोगों की आदत बिगड़ती है क्या सरकार इसलिए यह आवश्यक नहीं समझती कि एक ही बोली ली जाय और जो दुकान मजदूरों की बस्ती में खुली हैं उसको हटा दिया जाय।

श्री सम्पतराम : वस्तुस्थिति यह है कि बहुत दिनों से ठेका तो एक ही दुकान का होता था, लेकिन दुकान दो जगह चलती थी। अब इस साल दो का ठेका कर दिया गया है। आइन्दा साल जब ठेका होगा उस समय यह विचार किया जायगा कि इस प्रकार की दुकान मजदूरों की बस्ती में रहनी चाहिये या नहीं। अगली दफा जब ऑक्शन किया जायगा तो उस समय निर्णय लिया जायगा।

श्री शंकरलाल : एक बोली पर दो दुकानें चलाई जायँ, क्या यह लाजमी हैं?

श्री सम्पतराम : एक्साइज विभाग रेवेन्यू बढ़ाने का विभाग है, अगर दो जगः काम होता है तो बिक्री ज्यादा होती है और सरकार को भी ज्यादा फायदा मिलता है।

श्री अध्यक्ष : गैरकानूनी तरीके से चलाते हैं उसके लिए क्या कहते हैं?

श्री सम्पतराम : ऑक्शन एक का होता था और दुकानें दो जगह चलती थीं।

श्री अध्यक्ष : तो आपने इस इल्लीगल चीज को लीगल बना दिया।

श्री शंकरलाल : नियमानुसार एक ही दुकान क्यों नहीं रखी जाय। यह जरूरी है कि इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन जो दुकान मजदूर बस्ती में रखी गई है उससे मजदूरों का कितना अहित होता है यह देखने की बात है। अगर वह दुकान वहां पर नहीं हो तो मजदूरों की आदत छूट जायगी।

श्री सम्पतराम : दुकानें चार पांच साल से चल रही हैं। लेकिन अब जब दुबारा नीलाम किया जायगा तब इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जायगा कि वह दुकान वहां रखना उचित है या नहीं।

श्री शंकरलाल : जब इल्लीगल थी तो क्या बोली वैसे ही लगा दी थी।

श्री अध्यक्ष : उपमन्त्री महोदय कहते हैं कि अगली साल जब ठेका करेंगे, इस पर पुनर्विचार करेंगे।

खनिज विभाग द्वारा डीजल कोमर ट्रक की खरीद

१११३. श्री भैरोंसिंह (श्री आनन्दसिंह कछवाहा की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान खनिज विभाग द्वारा सन् १९५१ में कमल एन्ड कम्पनी जयपुर से कोई डीजल कोमर ट्रक खरीदा गया है? यदि हां, तो किस कीमत में?

(२) यह डीजल कोमर ट्रक अब तक कितने मील विभाग के कार्य में दौड़ चुकी है?

(३) अब तक इस डीजल कोमर ट्रक पर रिपेयर व मेन्टीनेन्स में कितना रुपया सरकार का खर्च हो चुका है?

(४) अब यह ट्रक विभाग के किस काम में आ रहा है?

उप खनिज मंत्री : (श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(१) जी नहीं।

(२) २४००० मील चल चुका है।

(३) इसकी मरम्मत पर ३३४८ रू० और साधारण में ५१६६ रू० खर्च हुआ है।

(४) सन् ५५ से सरकारी गैरेज में मरम्मत के लिये रखी गई है।

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपये में खरीदा यह नहीं बताया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल :- २३८५० रुपये में खरीदा गया हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय यह ट्रक खरीदा गया, मोटर विभाग का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया गया, उसके अनुसार मशीनरी नई है और क्या ट्रक भी नया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल :- इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया या नहीं। यह बात जरूर है कि २३८५० में खरीदा गया है, इसलिये नया ही होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही हैं पुराने ट्रक को नये के नाम से खरीदवाया गया और उस परमेन्टीनेन्स का खर्चा लगने के बाद भी सन् ५५ से अभी तक डाइरेक्टर साहब के मकान पर पड़ा हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गैरेज में पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह :- क्या यह सही है कि जो ट्रक खरीदा गया वह इसलिये खरीदा गया कि उसको खरीदने से कमल एन्ड कम्पनी को फायदा मिल सका, क्योंकि कमल एन्ड कम्पनी के संचालक डाइरेक्टर साहब के रिश्तेदार होते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कमल एन्ड कम्पनी से खरीदा ही नहीं गया।

प्रश्न संख्या १११४

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई

(अनुपस्थित)

कंवरीलाल, भूतपूर्व पटवारी ग्राम पींगलोद के विरुद्ध शिकायत

१११५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कंवरीलाल, भूतपूर्व पटवारी ग्राम पींगलोद, तहसील रूपनगर के खिलाफ बिला नाम जमीन में से हरे पेड़ काटकर अपने घर पर ले जाने की कितनी शिकायतें पिछले छः माह में राजस्व मन्त्री, कलेक्टर अजमेर, एस० डी० ओ० किशनगढ़ के पास पेश की गई ?

(२) उक्त शिकायतों पर पटवारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) केवल एक। १०।६।५८ को एस० डी० ओ० किशनगढ़ के पास बमुकाम पींगलोद पेश हुई।

(२) उक्त शिकायत के ऊपर पटवारी के विरुद्ध जांच जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कब से जारी है ?

श्री सम्पतराम : जब से शिकायत आई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब से ?

श्री सम्पतराम : १०।६।५८ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी जांच कौन कर रहे हैं, एस० डी० ओ० कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : एस० डी० ओ० ने सरसरी तौर से जांच की थी। अब तहसीलदार को डिटेल्स में जांच करने के लिए लिखा गया है।

अजमेर डिविजन में निकलने वाले खनिज पदार्थ

१११६. श्री लालूराम टटवाड़िया (टौंक) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अजमेर डिविजन में कहां कहां किस किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं और उन खानों से क्या क्या माल कहां कहां मिलता है ? बाहर कहां कहां भेजा जाता है ? अब तक उनसे कितनी आमदनी सरकार को हुई ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की इन्फोर्मेशन नहीं आई है, अतः इसको आयन्दा के लिए रख दिया जाय।

ग्राम पींगलोद में खातेदारी राइट्स के पर्चे

१११७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पींगलोद, तहसील रूपनगढ़ में प्लॉट नं० ६७१ में इस वर्ष तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा किन २ किसानों को कितनी कितनी भूमि के खातेदारी राइट्स के पर्चे दिये गये ?

(२) उक्त प्लॉट में पिछले ३ वर्ष में किस किस किसान ने कितनी कितनी भूमि काश्त की थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्लॉट की भूमि चरागाह के काम में आती रही है और उसे चरागाह घोषित करने की सरकार से मांग भी की गई है ?

(४) जिन किसानों को भूमि के खातेदारी हक के पर्चे दिये गये हैं, उनमें किस किस के पास पहिले से कितनी कितनी भूमि मौजूद थी ?

(५) तहसीलदार, रूपनगढ़ की इस अनुचित कार्यवाही के खिलाफ राजस्व मन्त्री, कमिश्नर अजमेर डिविजन, कलेक्टर अजमेर और सब-डिविजनल ऑफिसर किशनगढ़, के पास कब तक आवेदन पत्र प्रेषित हुए।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) यह सही नहीं है कि वह भूमि चरागाह के काम में आती रही है। अलबत्ता इस भूमि को चरागाह कायम करने की मांग की गई थी किन्तु यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह भूमिखंड कुछ काश्तकारों के अधिकार में था।

(४) सूची के खाना नं० ४ में यह सूचना अंकित कर दी गई है।

(श्री सम्पतराम)

(५) ता० ५।५।५८ को एक प्रार्थना-पत्र कलेक्टर अजमेर व एस० डी० ओ० किशनगढ़ को भेजा गया। ता० ६।४।५८ को मुख्य मन्त्री राजस्थान के नाम से भेजे गये प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि कमिश्नर अजमेर जिलाधीश अजमेर व एस० डी० ओ० किशनगढ़ के पास भेजी गई। ता० २३।४।५८ को प्रधान मन्त्री के नाम भेजे गये प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि ऊपर लिखित अफसरों को भेजी गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि तहसीलदार रूपनगढ़ को एलॉटमेंट करने का कोई अधिकार नहीं था, इस प्रकार का।

श्री सम्पतराम : अधिकार तो नहीं था, पर चरागाह कायम करने की बात थी। संवत् २०१३-१४ में वह जमीन पड़त रही और तब यह सोचा गया कि ऑलरेडी टिनेन्ट जो है उसको वह रेस्टोर कर दिया जावे। इसमें अनियमितताओं की जो कुछ शिकायतें आई हैं, उनकी जांच कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं यह तो ठीक है, पर खातेदारी राइट के पर्चे तहसीलदार ने जो दिये हैं वह उनके अधिकार की बात नहीं है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री सम्पतराम : अधिकार की बात नहीं है। कुछ एक पीरियड के पास होने के बाद खातेदारी हक अपने आप एक हो जाते हैं और इसके बाद तो दे ही सकते हैं।

श्री सततीशचन्द्र अग्रवाल : अनियमितताओं की जांच कब तक खत्म हो जावेगी ?

श्री सम्पतराम : कलेक्टर, अजमेर को लिखा गया है डिटेल में जांच करने के लिए।

एक माननीय सदस्य : १११६ को ले लें साहब।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में लेंगे।

प्रश्न संख्या १११८

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १११६

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १ २०

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

(अनुपस्थिति—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११२१

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थिति–कृपया आगे देखिये)

तहसील लालसोट के रिज्यूम हुए जागीर क्षेत्र के वनों से गैर मुस्तकिल आय

११२२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) क्या तहसील लालसोट के रिज़्यूम हुए जागीर के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र हैं ? अगर है, तो उक्त क्षेत्र रेवेन्यू के आधीन है अथवा वन विभाग के ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पहाड़ों का डिमार्केशन अभी नहीं हुआ है, फिर भी गैर मुस्तकिल आय को प्राप्त करने के लिये राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों ही किसानों को प्रत्येक फसल के समय परेशान करते हैं ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां । वन विभाग के अधिकार में है । यह सही है कि अभी उन पहाड़ों का डिमार्केशन नहीं हुआ है ।-पर इस पर किसानों को आय के लिये परेशान नहीं किया जाता ।

श्री प्रभुलाल : उनसे आय वन विभाग लेता है या रेवेन्यू विभाग ?

श्री सम्पतराम : जो जंगलात वन विभाग के हैं उनका वन विभाग लेता है और जो रेवेन्यू के आधीन हैं उनका रेवेन्यू लेता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जयपुर स्पिनिंग मिल

११२३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) जयपुर स्पिनिंग मिल्स कब से चालू है, इसमें कुल पूंजी कितनी लगी हुई है और इसमें सरकार का कितना शेयर है ?

(ख) इस मिल से अब तक कितनी डिविडेन्ड्स प्राप्त हुई हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य सचिव ने इस मिल के सम्बन्ध में जांच के लिये एक कमेटी नियुक्ति करने की आज्ञा जारी की थी, लेकिन वह ऑर्डर्स रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जयपुर स्पिनिंग मिल की कम्पनी सन् १९४३ में स्थापित हुई, किन्तु मिल का कार्य सन् १९४७ से आरम्भ हुआ । यह मिल पचास लाख की पूंजी (सब्स्क्राइब्ड कैपिटल) से आरम्भ हुई तथा इसमें सरकार का १७,४५,८००) रुपया लगा हुआ है ।

(ख) इस मिल से सन् १९५७–५८ में रुपया ८९,८२५.३६ नये पैसे डिविडेन्ड के प्राप्त हुए हैं । यह सरकार के खरीदे हुए प्रिफरेन्स शेयर्स पर दिनांक ३१ अगस्त १९५० तक के ५.३ प्रतिशत डिविडेन्ड हैं । सन् १९५७–५८ से पूर्व डिविडेन्ड की रकम प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) जी हां, किन्तु यह आज्ञा रद्द कर दी गई क्योंकि इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की गई कम्पनीज़ की जांच के लिये कमेटी नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सन् ५० के बाद इस कम्पनी ने कोई भी डिविडेन्ड डिक्लेअर नहीं किया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेहरबानी करके फिर कहिये । सुना नहीं अच्छी तरह से ।

Page No.17

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सच है कि सन् १९५० के पश्चात् कोई भी डिविडेन्ड इस कम्पनी ने डिक्लेअर नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि सिर्फ सन् ५७–५८ में दिया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके पहिले कोई नहीं दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं दिया

श्री भैरोंसिंह : जो कमेटी मुख्य सचिव द्वारा नियत की गई थी और जिन कारणों को लेकर की गई थी, बाद में उन कारणों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कम्पनीज एक्ट के अनुसार ऐसा सरकार को अधिकार नहीं था कि कोई कमेटी मुकर्रर करके उसको जांच कराती। ऐसी स्थिति में उक्त कमेटी मुकर्रर नहीं की जा सकती थी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है, आपने कह भी दिया। पर जिन कारणों को लेकर कमेटी नियत की गई, उसके निराकरण के लिये सरकार ने अपनी ओर से और क्या कार्यवाही की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डरों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिये था। उनको अधिकार है। बात यह है कि आर्डिनरी शेयर होल्डरों को शिकायत है कि उनको डिविडेन्ड नहीं मिला और इसलिये उनके ऑब्जेक्शन्स थे। तो वे जनरल मीटिंग में ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करके कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के जो प्रतिनिधि वहां हैं उनको सरकार ने इस बात के आदेश दिये कि शेयर होल्डरों के इन ऑब्जेक्शनों के मुतल्लिक वे इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व करें और इसकी कार्यवाही करावें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि सरकार की तरफ से दो डाइरेक्टर मुकर्रर हैं और जो कुछ भी उनकी शिकायतें आई हैं उनके सिलसिले में उन्होंने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में जिक्र किया है। पर वे वहां माइनोरिटी में हैं, अधिक कुछ कर नहीं सकते, मेजोरिटी में वे हैं नहीं। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में ये बातें रखते हैं और वहां जो कार्यवाही वे ठीक समझते हैं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है जिन शिकायतों को लेकर कमेटी नियत करने की आज्ञा निकाली गई उनके सम्बन्ध में उनका निराकरण करने के बारे में हमारे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में, जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, किया है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि इसके बाद उन्होंने कोई रिपोर्ट सरकार के पास पेश नहीं की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो एतराज हैं, जो डिमान्ड हैं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उनको बराबर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में रखते हैं, उसमें जो निर्णय होता है मैजोरिटी से होता है। इसलिये जो ऑब्जेक्शन्स होते हैं वे कम से कम बराबर उनके सामने रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार ने किस आधार पर कहा कि सूचना प्राप्त नहीं होती कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने किस प्रकार से क्या कार्यवाही की, इसकी जब सूचना आप के पास नहीं आती तो सरकार ने किस आधार पर कहा कि वास्तव में प्रतिनिधित्व वे करते हैं वहां?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह कब कहा कि सूचना कभी नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी अफसर जब वहां जाते हैं और जो कार्यवाही वहां होती है उसकी सूचना भी देते हैं, तो क्या सरकार ने अच्छी तरह से एग्जामिन करा लिया है कि माइनोरिटी में होने से उन कारणों को निराकरण कराने की कार्यवाही पर अमल नहीं करा सकते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिनका निराकरण भी होता है और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके बारे में बातें चल रही हैं। इसलिये जब तक स्पेसिफिकली कोई बात आप न पूछें कि आया उसका निराकरण किया या नहीं, तब तक मैं क्या कह सकता हूं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके लिये प्रतिनिधित्व कम फोर्स से करना पड़ता है, किन्हीं का जोर से करना पड़ता है, ज्यादा महत्व की बात हुई तो उसे उतना ही महत्व देना पड़ता है। तो आप जब तक स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे क्या कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो उन बातों के लिये पूछ रहा था जिनको लेकर पहले सरकार ने कमेटी एपॉइन्ट की थी। उन स्पेसिफिक पोइन्ट्स में से कौन कौन से बाकी रहे और जो बाकी रहे उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है सरकार?

श्री अध्यक्ष : सरकार जागरूक है। नैक्स्ट।

लालसोट कस्बे में कॉलटैक्स. पेट्रोल गोदाम के लिये जमीन

११२४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि लालसोट कस्बे में कॉलटैक्स पेट्रोल गोदाम के लिये तहसीलदार, चेयरमैन नगरपालिका, सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा नगर के एक व्यक्ति के लिये सिफारिश करके कलेक्टर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिये जाने के लिये लिखा था और क्या जिलाधीश ने उस व्यक्ति को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया?

(ख) क्या यह सच है कि अब ३ वर्ष बाद तहसीलदार ने उक्त स्थान को सिवाय चक बतला कर प्रार्थी को कब्जा हटाने का आदेश दे दिया है?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं। खसरा नम्बर ४०।१।६१ में से ४० वर्ग गज भूमि पेट्रोल गोदाम जो श्री रामेश्वर पोखला ने बिना इजाजत बनवा लिया। इसके अतिरिक्त भूमि में सिवाय चक मकबूजा सरकार

(श्री सम्पतराम)

पर काबिज होने के फलस्वरूप बेदखली के लिये १०-९-४८ को सिफारिश की गई है, जो उपजिलाधिकारी, दौसा के यहां विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल : सिवाय चक कैसे हुई ?

श्री सम्पतराम : इन्क्वायरी की जा रही है कि बगैर पर्मिशन के कैसे बना लिया है।

ग्राम रावनिया तहसील रायपुर के जागीरदार द्वारा बावरियों की बेदखली

११२५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव रावनिया, तहसील रायपुर, जिला पाली के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा अनुसूचित जाति के बावरियों को काश्त की जमीन से बेदखल किया गया ?

(ख) क्या तालाब के पेटे की जमीन पर कानून के अनुसार खातेदारी के हक न होने पर भी, भूतपूर्व जागीरदार, रावनिया ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर रक्खा है ?

(ग) क्या सरकार जागीरदार का कब्जा नाजायज मानकर तालाब के पेटे की जमीन भूमिहीन किसानों में वितरण करने की व्यवस्था करेगी ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। भूतपूर्व जागीरदार रावनिया ने तालाब के पेटे की ५८ बीघा १५ बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रक्खा है, क्योंकि उक्त भूमि जागीरदार के खुदकाश्त में है और सैटलमेंट के रिकॉर्ड में जागीरदार की खुद की खातेदारी दर्ज है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकर लाल : तो यह तालाब के पेटे की जमीन पर खातेदारी राइट पैदा नहीं होते तो सैटिलमेंट ने पट्टा कैसे दिया ? क्या यह इल्लीगल नहीं है ?

श्री सम्पतराम : मुझे यह पता नहीं कि किस प्रकार का यह तालाब है। पर वस्तु-स्थिति थी, वह अर्ज कर दी गई है ?

श्री शंकरलाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उस जमीन में खातेदारी राइट पैदा नहीं होते और तब भी गलत रूप से जो पट्टा दिया गया, अगर यह मान भी लें कि बेदखल भी किया गया था पर प्रश्न यह है कि पट्टा कैसे है दिया गया ?

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जहां जहां पानी निकलता है, उसकी है यह बात।

श्री शंकरलाल : यह नहर की जमीन का मामला नही है। यह खाचर (अश्रव्य) का प्रश्न है।

श्री सम्पतराम : कोई काश्तकार बेदखल हो गया है और अगर हुआ हो तो आपको उसे राय देनी चाहिये कि वह कानूनी कार्यवाही करे। पर जहां तक तालाब की जमीन के पर्चे देने का सवाल है इसकी और डिटेल में एग्जामिन कर लूंगा।

ग्राम पाला, तहसील कामां में कुआं

११२६. श्री नत्थीसिंह (कामां) :

Will the Development Minister be pleased to state:—

(i) Is it correct that water in the only well for drinking water in village Palla, Tehsil Kaman, District Bharatpur is 60 cubits below th ground level ?

(ii) Is it also correct that it has no ghat and the piau where water for use of cattle is stored is also in broken condition ?

(iii) If so, will the Government be pleased to grant suitable aid for the construction of Ghat and Piau on the well ?

मुख्य एवं विकास मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (1) Yes. It is correct that there is only one drinking water well in village Palla, Tehsil Kaman, District Bharatpur, water level of which is 65 ft. below the ground level.

(2) Yes. Ghat and Piau for cattlee is in dilapidated condition.

(3) No demand has been made. If a demand is received, it will be considered sympatheticaily.

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सूचना काफी नहीं है कि एक ही कुआं है और उसका घाट और प्याऊ दोनों ही बिगड़े हुए हैं ? अब और उनकी मांग किस प्रकार से आयेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें कुछ कन्ट्रीब्यूशन गांव वालों को करना पड़ता है उसके बाद में मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेन्ट दिया करती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गांव वाले भी कुछ करने के लिए तैयार हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

उप तहसील पहाड़ी का तहसील में परिवर्तन

११२७. श्री नत्थीसिंह (कामां) : Will the Revenue Minister be pleased to state :

(i) Is the Government aware that sub-tehsil 'Pahari in the Bharatpur District was full fledged Tehsil before merger of the former Bharatpur State into Matsya ?

(2) Is the Government also aware that sub-tehsil Pahari is in no way lesser in area, land revenue, rural population than many tehsils of Rajasthan and specially of the Bharat pur District ?

(3) Is the Government aware that Pahari has got a newly constructed tehsil building and sufficient numder of villages and also refugee and Meo problems ?

(4) Will the Government take steps to convert sub-tehsil Pahari into a full-fledged Tehsil ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) During the time of Bharatpur State Pahari was a full fledged Tehsil.

Page No.21

[श्री दामोदरलाल व्यास]

It was reduced to a sub-tehsil when Bharatpur State merged in Matsya Union.

(2) The position of Pahari sub-tehsil in each respect is known to Government.

(3) Yes.

(4) There is no proposal at present to raise sub-tehsil to full fledged tehsil.

श्री नत्थीसिंह : इसके अन्दर प्रपोज़ल्स आप रखने की कृपा करें, फैक्ट्स मैंने अर्ज कर दिए ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रपोजल्स कब तक तय कर देंगे ?

श्री सम्पतराम : My reply is quite clear. No proposal in this respect is pending for the decesion at the Government level.

श्री अध्यक्ष : शायद कमेटी के पास होगा ।

श्री गोवर्धनसिंह ।

मल्टी पर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल, भरतपुर

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल, भरतपुर में कृषि विषय के अन्तर्गत कक्षावार कितने छात्र हैं ? क्या इन छात्रों को प्रेक्टिकल कराने निमित्त सभी साधन उपलब्ध हैं ?

(२) खेती सम्बन्धी प्रेक्टिकल शिक्षा देने के लिए उक्त स्कूल के पास कितनी जमीन है और कहां पर है ? यदि नहीं, तो अब तक सरकार ने उक्त स्कूल को जमीन देने की क्या व्यवस्था की है ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त स्कूल की हायर सेकेन्डरी १६५८ की फाइनल परीक्षा का कृषि विषय का बैच बगैर जमीन तथा आवश्यक साधनों के ही निकल गया ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) कक्षा ६ में ७४,

कक्षा १० में ६०,

कक्षा ११ में ४३

सभी साधन उपलब्ध हैं ।

(२) लगभग ४ बीघा जमीन स्कूल के पास है ।

(३) जी नहीं ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह जमीन कहां पर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्कूल के पास है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : स्कूल के ग्राउन्ड के अन्दर है या बाहर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब इतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद ।

Page No.22

बाड़मेर तहसील में फेमिन तकावी का वितरण

११२६. **श्री वलीमोहम्मद** (चोहटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर तहसील में सन् ५७-५८ में कितना रुपया फेमिन तकावी का किस किस गांव में वितरण गिया गया है ?

(ख) जिला विकास समिति की ओर से ज्यादा से ज्यादा कितनी तकावी देने की रकम निर्धारित की हुई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि निर्धारित रकम से अधिक रकम भी किसी को दी गई ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने आदमियों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट फरमावें ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) बाड़मेर तहसील में सन् ५७-५८ में १६५० रु० फेमिन तकावी का निम्न गांवों में वितरण किया गया :—

क्र. सं०	नाम ग्राम	संख्या व्यक्ति	रकम
१.	गुड़ाखास	६	७५०
२.	अलपुरा	१	१००
३.	डीमाडी	२	१००
४.	बन्ता	५	३००
५.	गंधर्वखुद	६	६००
६.	दूदू	१	१००
	कुल योग	२४	१६५०

(ख) जिला विकास समिति की ओर से तकावी वितरण करने हेतु कोई रकम निर्धारित नहीं की गई, लेकिन जिला राहत कमेटी की ओर से निर्धारित किया गया था कि ५० रु० से ७५ रु० तक तकावी ऋण दिया जा सकता है।

(ग) जी हां, यह सही है कि तहसीलदार बाड़मेर ने १५ व्यक्तियों को निर्धारित रकम से अधिक रकम तकावी ऋण स्वरूप वितरण की है (सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है) क्योंकि गुढ़ा की तरफ अकाल की हालत अत्यधिक शोचनीय थी और तहसीलदार बाड़मेर ने यह आवश्यक समझा कि सूची में बताये गए व्यक्तियों को निर्धारित रकम से अधिक रकम दी जाये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रावतराम : यह निर्धारित रकम से ज्यादा रुपया कैसे दिया ?

श्री सम्पतराम : उनको ज्यादा तकलीफ थी, इसलिए दे दिया।

श्री रावतराम : तो फिर रकम निर्धारित नहीं करनी चाहिए थी ?

श्री सम्पतराम : जो जिला विकास समिति थी उसके सामने यह सारी स्थिति नहीं थी इसलिए वह कर दिया।

श्री वली मोहम्मद : एक ही गांव में एक ही आदमी को क्यों तकावी दी गई, ज्यादा को देनी चाहिए थी ?

श्री सम्पतराम : जिनको उचित समझी गई और जिनकी आवश्यकता समझी गई उसके मुताबिक दे दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जयपुर जिले के बी० टी० सी० अध्यापकों को वेतन वितरण

११३०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर जिले के बी० टी० सी० अध्यापकों को सन् १९५० से प्रवर श्रेणी की ग्रेड के फिक्सेशन की रकम मिल चुकी है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सीकर, सवाई माधोपुर, टौंक डिस्ट्रिक्ट के बी० टी० सी० अध्यापकों को उपरोक्त रकम मिल चुकी है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्रीमोहनलाल-सुखाड़िया) : (१) जी नहीं।

(२) रिकॉर्ड पूरा न होने के कारण और ऑडिट की आवश्यकतायें पूरी न होने के कारण।

(३) सीकर जिले के अध्यापकों को मिल चुकी है। सवाई माधोपुर के जिले में ९५ प्रतिशत अध्यापकों और टौंक जिले में ७ अध्यापकों को मिल चुकी है।

डॉ० चन्द्रकला : यह सन् ५० से लेकर के अभी तक नहीं बन सकी इसका क्या कारण है ? क्या रिपोर्ट तैयार नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें बहुत से रिकार्ड की कमी थी और सन् ५७ तक जाकर सारे रिकॉर्ड तैयार हो पाये तभी इस पर कार्यवाही हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : अब कब तक मिल जायगी इनको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा निवेदन किया उसके मुताबिक काफी को मिल गई और बाकी का कार्य शेष है, उनको भी मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद।

बाड़मेर तहसील में भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण

११३१. **श्री वलीमोहम्मद,** (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर तहसील में सन् ५७-५८ में कितनी भूमि भूमिहीन किसानों को किन किन गांवों में वितरित की गई ?

(२) क्या भूमि वितरण कमेटी द्वारा भूमि वितरित की गई ? यदि हां, तो कमेटी की मिटिंग कितनी दफा किस किस तारीख को हुई ?

(३) इस कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं व बैठकों में कितने उपस्थित हुए ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) कोई भूमि वितरित नहीं की गई।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) कमेटी के सदस्य निम्नलिखित हैं :

१. तहसीलदार बाड़मेर

२. सरपंच तहसील पंचायत

३. सदस्य विधान सभा

४. सरपंच ग्राम पंचायत। जिसकी सीमा में भूमि वितरण की जाती हो। भूमि आवटन

Page No.24

(उप राजस्व मन्त्री)

के लिए कोई बैठक ही नहीं हुई, तो उपस्थिति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ११३२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

पाली जिले के पटवार सर्किल छोटे किये जाने के सुझाव

११३३. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले के पटवार सर्किल छोटे करने के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ख) यदि हां, तो कब से और अब कब तक सरकार उस पर अपना अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी सन् ५८ से निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

निरीक्षक, जयपुर पश्चिम के अधीन अध्यापकों की सीनियोरिटी

११३४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित**, (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या निरीक्षक, जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है ?

(२) यदि बन चुकी हैं तो क्या तहसील चाकसू के अध्यापकों के पास यह लिस्ट भेजी जा चुकी है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) क्योंकि इस लिस्ट की जांच अभी उपसहायक निरीक्षक द्वारा करवाई जा रही हैं।

प्रश्न संख्या ११३५

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११३६

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११३७

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित)

कोटा जिले के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन विवरण

११३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) कोटा ज़िला में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो वेतन तो एक तहसील से लेते हैं तथा काम दूसरी तहसील में कर रहे हैं ?

(२) कोटा ज़िला में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो जिस जगह तैनात हैं उस स्थान पर काम नहीं करके, दूसरे किसी स्थान या अधिकारी के घर पर कार्य कर रहे है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) ऐसे कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं ।

(२) इस प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस प्रकार की शिकायत है कि उनके नाम तहसील में है, लेकिन वह एस० डी० एम० और कलेक्टर के घर काम करते हैं ?

श्री सम्पतराम : आप प्रश्न की भाषा को देखिये । आपने पूछा है कि कोटा जिला में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो वेतन तो एक तहसील से लेते हैं तथा काम दूसरी तहसील में कर रहे हैं । आपका मतलब है कि एक तहसील से दूसरी तहसील में काम करते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोटा ज़िले की एक तहसील है उसका काम वहां न करके एस० डी० एम० के यहां काम करते हैं ।

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल हैं ।

राजस्थान में फर्टीलाइज़र फैक्ट्री की स्थापना

११०८. **श्री श्री भानसिंह** : (श्री मुरली धर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में फर्टीलाइज़र फैक्टरी की स्थापनार्थ कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी ?

मुख्य एवं उद्योग मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां, चूंकि अब ऐसी फैक्ट्री प्राइवेट सैक्टर में भी सम्मिलित कर दी गई, इसलिए राज्य सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है ।

यह कहना मुश्किल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ऐसी फैक्ट्री स्थापित भी हो सकेगी या नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह : यह प्राइवेट सैक्टर के लिए राजस्थान सरकार ने किसी प्राइवेट इन्डीविजुअल से यह फर्टीलाइज़र फैक्टरी स्टार्ट करने के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : अभी तक उस प्रयत्न में हमारी राजस्थान सरकार को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी तरफ से कुछ फॉरिन एक्सपर्ट्स यहां भेजे जाने वाले

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं। उनके सामने राजस्थान सरकार राजस्थान के केस को पूरी तरह रखना चाहती है।

श्री श्रीभानसिंह ; तो क्या राजस्थान सरकार ने अपना केस सेन्टर को नहीं दिया, जब कि आंध्र में प्राइवेट सेक्टर बेसिस पर फर्टीलाइज़र प्लॉन्ट खुल रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात गलत है कि कोई फर्टीलाइज़र प्लान्ट आंध्र में खुल रहा है और केन्द्र के सामने यह मामला रखा गया था पहले और मुकर्जी कमेटी की एक रिपोर्ट इस बारे में पेश की जा चुकी है और राजस्थान का पॉइन्ट आफ व्यू उस रिपोर्ट में मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री हजारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : हरिजनों का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

हरिजनों की आवास की स्थिति को सुधारने हेतु उठाये गये कदम

११२०. **श्री हजारीलाल** (श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री की अनुपस्थिति में) क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान के हरिजनों की आवास की स्थिति को सुधारने हेतु एवं उनका आवास स्तर ऊंचा उठाने हेतु, सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

(२) क्या सरकार हरिजनों को रहने व बसने हेतु मुफ्त जमीन देने अथवा एक रुपये गज पर या कन्सेशन रेट्स पर जमीन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजस्थान के हरिजनों की आवास की स्थिति को सुधारने हेतु एवं उनका आवास स्तर ऊंचा उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से ७५० रु० प्रति परिवार मकान बनाने की सहायता दी जाती है और उनको आदर्श बस्तियों में बसाया जाता है, जिसमें पंचायत घर, पीने के पानी का कुंआ, बच्चों के लिए क्रीड़ास्थल आदि सुविधायें दी जाती हैं ?

(२) मुफ्त जमीन म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा आदर्श बस्ती बसाने के लिए दी जाती है। विभिन्न मामलों में औचित्य के आधार पर नगरपालिका १ रु० प्रति गज की दर से रियायत पर भूमि प्रदान करती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या स्लम क्लीयरेन्स की योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए हरिजनों को सहायता मिलती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाहर अगर बस्तियां बसाई जाती हैं तो नगरपालिका दे सकती है ।

श्री रावतराम: क्या हरिजनों को यहां से हटाया जाता है जब कि वे वहां पार बसना नह चाहते हैं, वहां बसाना चाहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । आप जानकारी दें तो इन्क्वायरी कर सकता हूं ।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सवारी अलाउन्स

११२१. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्व विभाग के किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को सवारी अलाउन्स कितना कितना दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि मंहगाई के कारण जो कर्मचारी अपनी निजी सवारी न रखकर किराये की सवारियों द्वारा सरकारी ड्यूटी अन्जाम देते हैं, उन्हें सवारी अलाउन्स नहीं दिया जाता ?

(३) यदि हां तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि पटवारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण करने तथा अपने सर्किल से तहसील हैडक्वार्टर्स तक जाने आने के लिये कोई सवारी अलाउन्स नहीं मिलता ?

(५) क्या सरकार उन्हें सवारी देने के बाबत विचार कर रही हैं ।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) गिरदावर कानूनगो को ३०) रु० प्रतिमास और शुतर सवार को २०) रु० प्रतिमास (ऊंट रखने की हालत में)

(२) यह सवारी अलाउन्स इसलिए दिया जाता है कि राजकीय ड्यूटी अंजाम देने के लिये निजी सवारी होना आवश्यक है । अगर ऐसा कोई कर्मचारी निजी सवारी नहीं रखता तो वह सवारी अलाउन्स पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

(३) इसका जवाब प्रश्न (२) के जवाब में दे दिया गया है ।

(४) पटवारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए सवारी अलाउन्स नहीं दिया जाता । किन्तु तहसील हैडक्वर्टर पर आने जाने का यात्राव्यय नियमानुसार दिया जाता है ।

(५) अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गये कुए ।

११३५. श्री गोवर्धनसिंह केन(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री की अनुपस्थिति में) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोवर्धनसिंह)

(१) सन् १६५२ से सन् १६५८ तक समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने कुएं बनवाये गये ? ज़िलेवार संख्या तथा व्यय की गई रकम बतलाई जावे ?

(२) कितने रुपये ज़िलेवार सहायतार्थ हरिजनों को दिये गये ?

समाज कल्याण विभाग (श्री हरि भाऊ उपाध्याय) : (१) सन् १६५२ से १६५४ तक हरिजनों के लिये कुंए बनवाने हेतु कोई योजना नहीं थी और सन् १६५४-५५ से १६५७-५८ तक जो कुंए बनाये गये उसकी तालिका संलग्न है।

(२) तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लक्ष्मीचन्द।

१२.५ म० प०

हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास विधेयक पर याचिका की प्रस्तुति

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनीक हिन्दू-पब्लिक ट्रस्ट विधेयक, १६५८ पर एक याचिका जिस पर सर्वश्रीहमीरमल गोलेछा, सिरेमल संचेती, राजरूप टांक, बुद्धसिंह वैद्य, सरदारमल संचेती के हस्ताक्षर हैं, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

१२.७ म० प०

अनुपूरक अनुदान की मांगों की प्रस्तुति

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगें १६५८, ५६ के के प्रथम खंड को प्रस्तुत करता हूं।

१२. ६ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान जमीदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक १६५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १५, श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ में मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्लॉज़ १५ जैसी कि इस विधेयक में रखी गई है उसके पश्चात् एक प्रोविज़ो मैंने पेश करने के लिए रखा है :

Provided that the Collector or any other officer authorised by him in this behalf shall fiunlly determine the amount of compensation payable to a zamindar or biswedar within the period of two years श्रीमान्, इस संशोधन के द्वारा मैंने यह मांग की है कि सरकार जो मुआवज़ा मध्यस्थों के लिए या

[श्री बृजमोहनलाल शर्मा]

बिस्वेदार और जमींदार उन लोगों के लिए निश्चित करना चाहती है वह दो वर्षों के भीतर भीतर अन्तिम रूप से उनको मुआवज़ा निश्चित कर देना चाहिए। यह तो ठीक है। कि क्लॉज़ १५ में आपने यह दिया है कि यदि सरकार अन्तिम रूप से मुआवज़ा निश्चित नहीं कर सकती है तो उन लोगों को इन्टेरिम कम्पेन्सेशन दिया जाएगा। परन्तु अगर इस जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथा को समाप्त करने में और इस प्रोसेस को जितना लंबा खींचा जाएगा, मैं समझता हूँ, वह उतना ही बुरा है। यह रिपोर्ट के देखने से भी मालूम पड़ता है, और जहां तक अजमेर एरिया को प्रश्न है उन लोगों पर इसका जो असर होने वाला है उनकी यदि स्थिति को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि मध्यम श्रेणी के नीचे से नीचे निम्न श्रेणी में वे लोग आने वाले हैं। जिन लोगों पर असर होने वाला है, यदि उनकी वार्षिक आय को आप देखें तो जिन लोगों पर इसका असर होने वाला है उन लोगों की वार्षिक आय करीब १०० रु० सिवाय चन्द लोगों के उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आज से करीब ८ या १० साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम किया गया तो यह मालूम हुआ था कि सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी इस बात को मालूम करने के लिए कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? जब सरकार को यह मालूम हुआ था कि करीब २ करोड़ रुपया उन लोगों पर कर्जा है, तो लोगों की यह स्थिति है, मैं श्रीमान अजमेर के एरिया के लोगों की तरफ से बता सकता हूं कि ५० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका कि मुआवज़ा केवल १०० रुपए आएगा और हजारों की संख्या वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मुआवज़ा ५ या १० रु० से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। जब ऐसी स्थिति है तो इन्टरिम कम्पेन्सेशन पाने से पहले उनको कलेक्टर के पास में जाकर और अपने फार्म भर कर देने पर जितना पैसा मिलेगा उससे कहीं ज्यादा पैसा उन लोगों को खर्च कर देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता था कि सरकार बड़ी गम्भीरता से विचारती, खास तौर से उस एरिया के लोगों के लिए जिन लोगों पर हम यह लागू करने जा रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? मैं तो, श्रीमन्, यह भी कहना चाहता हूँ, और मैं समझता हूं कि यह डिस्कशन नहीं होगा, कि जिस समय अजमेर में जमींदारी एबौलिशन और मध्यस्थ उन्मूलन रखा गया था, उस समय उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए गम्भीरतापूर्वक सरकार के सामने जिस समय मैंने यह बिल वहां पर रखा, उस समय इस बिल के अन्दर इस वर्ग के लोगों को जिसको राजस्थान सरकार शामिल करने जा रही है, उस समय उन लोगों को शामिल रखा था और मैं आपके सामने यह भी सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और अपना कर्त्तव्य मानता हूं कि उसके पश्चात् भी यदि राजस्थान सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता पर विशेष महत्व नहीं देती है तो यह उन लोगों के लिए कम से कम इसकेमें पूर्व का इतिहास मैं आपके द्वारा उनके ध्यान जरूर ला देना अपना एक कर्त्तव्य मानता हूं। वह यह है कि जिस समय सरकार की ओर से एक विधेयक मध्यस्थ उन्मूलन बिल जब कि अजमेर असेम्बली में रखा गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, और जो विरोधी दल के सदस्य थे सभी ने एक स्वर से यह मांग की थी कि खेवटदार और बिस्वेदार मध्यस्थ नहीं हैं, इसलिए इनको

[श्री बृजमोहनलाल शर्मा]

शामिल नहीं करना चाहिए। श्रीमान् मैं यह बता दूं कि मैंने पुरजोर शब्दों में यह कहा था कि खेवटदार और बिस्वेदार को मध्यस्थ की श्रेणी का मानते हैं, इसलिए उनको शामिल करना ही चाहिए। परन्तु जो स्थिति वहां पर बनी उसके पश्चात् हमने इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया तो सर्वसम्मति से सारे सदन ने और सदन के अलावा जो लोग इसमें काम करते है, बरसों से जिन्होंने काम किया है इनके उन्मूलन के वास्ते, उन लोगों ने इस बात को रखा कि खेवटदार और बिस्वेदार लोगों की स्थिति है वह अजीबोगरीब है। श्रीमन् मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह एक प्रश्न पॉलिसी का प्रश्न था, यह एक नीति का प्रश्न था, इसलिए भारत सरकार के सामने और प्लानिंग कमीशन के सामने मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि उस स्थिति को लाऊं........ प्लानिंग कमीशन इस बात के लिये तैयार नहीं था, वह इस स्थिति को मानते हुए भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसलिए प्लानिंग कमीशन ने एक नोट बनाकर भारत सरकार के सामने उस मामले को रखा और भारत सरकार ने नीति निर्धारण के लिए एक पॉलिसी कमेटी बना रखी है, जिसमें शायद मैं भूलता नहीं हूँ तो गृह मन्त्री, वित्त मन्त्री, एग्रीकलचर मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर और एक और मिनिस्टर इस तरह से सेन्ट्रल केबिनेट के पांच मिनिस्टरों की कमेटी बनी हुई है, उनके सामने यह प्रश्न पेश हुआ। मैं भी वहां पर गया था और जहां तक मुझे स्मरण है दो घंटे तक इस मामले पर बहस हुई। यदि आप अजमेर राज्य के पुराने पत्रों को देखें तो उनमें केवेन्डिश और अन्य लोगों की रिपोर्ट है और सन् १८७४ से लेकर अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखने से मालूम होगा कि जिनको आज हम जमींदार कहने जा रहे हैं, वे जमींदार नहीं हैं बल्कि काश्तकार हैं जो हजारों वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं, न तो उनके पास पट्टे मिलेंगे, न पूली मिलेंगे। वर्षों तक काम करने के बाद भी आज उनके पास खाने तक को नहीं है। जहां सीलिंग निश्चित करने जा रहे हैं वहां उनके पास एवरेज होलडिंग १ बीघा से अधिक नहीं है। उनमें से ३०, ४० हज़ार आदमियों की स्थिति ऐसी होगी कि उनको यदि सिर्फ जमीन पर ही छोड़ दिया जाय तो उनकी सालाना आमदनी १०० रु० से ज्यादा नहीं होगी। मैंने उनकी सारी स्थिति प्लानिंग कमीशन के सामने रखी और दो घंटों की बहस के बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनको मध्यस्थ नहीं मानना चाहिए और उनके लिए एग्जेम्प्शन स्वीकार हुआ। मैं चाहता हूं वह प्रोसिडिंग्ज राजस्व मन्त्रीजी पढ़ें, उसे मुख्य मन्त्रीजी पढ़ें और दूसरे मन्त्री भी उसे पढ़ें यह मेरी उनसे प्रार्थना है और फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचें। मैं आपको ये सारी बातें बताना अपना कर्तव्य मान रहा था, आपको ये सारी बातें बता दूं ताकि यह न कहें कि मुगालते में रखा। मैंने स्पष्टत: सारी स्थिति आपके सामने रख दी, आप उस पर गंभीरता से विचार करें उसके पश्चात् भी यदि आप यह ठीक समझते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है वह ठीक है तो आप जैसा ठीक समझें वैसा स्टेप लीजिये, मैंने अपना कर्त्तव्य समझ कर कर इस ओर आपका ध्यान दिलाया।

दूसरा, मैंने जो ऐसे वर्गों के लिये संशोधन रखा है उसके दो कारण हैं। यह प्रश्न

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जितना लंबा होगा उतनी ही द्वेष की भावना बढ़ेगी। एक प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं तो उसको समाप्त करने का प्रोसेस जल्दी से जल्दी होना चाहिये। किसी आदमी को लट-काये हुए नहीं रखना चाहिये। उसके सर पर हमेशा तलवार लटकती नहीं रहनी चाहिये। मैं समझता हूँ यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये इसमें दो राय नहीं हो सकती। जो वर्ग सदियों से शोषण करता रहा है उसको समाप्त करना है, लेकिन उस शोषण की प्रथा को समाप्त करने में समय कम लगाना चाहिये, यह प्रोसेस कम लंबा होना चाहिये, वे भी हमारे देश के निवासी हैं, जब कि हम जमींदारी बिस्वेदारी खत्म कर रहे हैं तो प्रोसेस ज्यादा लम्बा नहीं होना चाहिये। मैं भरतपुर, अलवर आदि स्थानों की स्थिति को इतनी गंभीरता से महसूस नहीं कर सकता जितनी और सज्जन उस एरिया से आनेवाले कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने शाया की है उसको पढ़े तो मालूम होगा, उसमें लिखा है : It is our petty peasant proprietors. यदि यह स्थिति है तो आप प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखिये या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखिये तो आपको मालूम होगा कि उनका ऐसा इन्टेन्शन नहीं है मेरे संशोधन के दो मंतव्य हैं एक तो यह है कि यदि आप उनको समाप्त करते हैं तो उनको मुआवजा फौरन 'विद इन टू इयर्स' देना चाहिये, इसका कारण यह है कि वे मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनको कुल मिलाकर दो, तीन हजार रुपये आप मुआवजा के रूप में देंगे वे अगर जल्दी नहीं देंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आप ले लें तो उनका मंतव्य यह है कि सब को कृषकों की तरह रीहेबिलिटेट किया जाय। आपने जागीरदारी एबॉलिशन की, तब जागीरदारों को रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट दी थी, लेकिन इन जमींदारों, बिस्वेदारों को आप रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं उन जागीरदारों को रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट देने की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी इनको देने की जरूरत है, क्योंकि ये निम्न श्रेणी के जमींदार, बिस्वेदार हैं। अजमेर के खेवटदारों के बारे में मैं श्रीमान् आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप स्वयं जाकर देख लीजिये, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। १०० रुपया प्रति वर्ष से अधिक उनकी आमदनी नहीं है। उनके पास न तो पहनने को कपड़ा है न खाने को अन्न है और न उनके रहने के लिये घर है, ऐसे लोगों को आप एबॉलिश कर रहे हैं और उनको मुआवजा देने में आपको दो वर्ष या पांच वर्ष लग जाय तो वह गलत बात होगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जितने दिन मुआवजा देने में लगायेंगे उतनी ही अधिक परेशानी रहेगी। जिस तरह से एक आदमी मर जाता है तो उसकी लाश को अधिक देर तक हम घर में नहीं रखते हैं, हमारे यहां यह प्रथा है कि ज्यों ही एक आदमी समाप्त होता है, चाहे हम उससे कितना ही प्रेम क्यों न करते हों लेकिन हम यह प्रयत्न करते हैं कि जल्दी जाकर दाह संस्कार करना चाहिये ताकि संड़ान नहीं फैले। उसी तरह से हमें इस प्रथा को भी समझाना चाहिये। हम इस प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं तो हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय, श्रीमान्, सरकार कह सकती है कि २ वर्ष में मुआवजा देना असंभव है लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह असंभव नहीं है, यदि आप इसे करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल स्टाफ

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

लगाना होगा। आप यदि चाहते हैं तो उसको जल्दी कर सकते हैं। इसके लिये बहुत कहा जाता है कि अजमेर छोटा सा राज्य था इसलिये आपने कर दिया, ऊपर से भी आपको पैसा मिल जाता था इसलिये कर देते थे। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार को भी सेन्टर से पैसा मिलता है और जितना और पैसा चाहेंगे उतना और मिलेगा। केवल यह कहना कि अजमेर को पैसा मिलता था आपको नहीं मिलता तो मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं। अजमेर को आपने शामिल किया उसके लिये भी स्पेशल ग्रान्ट राजस्थान सरकार को सेन्टर ने दी है। मैं आपको तजुर्बे की बात बताता हूं सन् ५७ में अजमेर में जितने जागीरदार समाप्त किये गये थे उन सब की संख्या ६५०० थी और राजस्थान में भी सन् ५७ तक जागीरदार या इन्टरमीडियरीज समाप्त किये गये थे उन सब की संख्या सात या साढ़े सात हजार से अधिक नहीं थी। आप यह देखेंगे कि जितने जागीरदार अजमेर में समाप्त हुये थे उनसे लगभग एक हजार अधिक राजस्थान में हुये थे। इनमें से पूरे मुआवजा अंतिम रूप से जिनको दिया गया है उनकी संख्या २५, ३० से ज्यादा नहीं हैं, फाइनल डिटर्मिनेशन मुआवजा का इतना हो हुआ था। मैंने इसमें इसलिये लिखा है : Collector or any other person duly authorised by him. मेरा मन्तव्य यह था कि आप सेन्ट्रेलाइज़ करने जा रहे हैं। आपने इसमें कलेक्टर्स के पास जाकर कागज़ वगैरह पेश करने का रखा है। मैं यह चाहता हूँ कि पॉवर्स कलेक्टर के पास न रख कर एस० डी० ओ० के पास रख दीजिये ताकि एस० डी० ओ० के हैड क्वार्टर पर आकर वे फॉर्म्स आदि दे सकें क्योंकि फॉर्म्स इत्यादि देने के लिए उनको हैड क्वार्टर पर ही आना पड़ेगा, इसलिये यदि सब डिविजनल ऑफिसर्स को ओथेराइज़ कर देते हैं तो इससे सहूलियत हो जाती है। आपने जो स्कीम रखी है उसके द्वारा कलेक्टर को पॉवर दी है, लेकिन आप ऑथेराइज़ करिये कि तहसील हैड क्वार्टर पर या सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर भी फॉर्म्स वगैरह पेश कर सकते हैं। यदि आप मौजूदा स्टाफ से ही यह काम कराना चाहते हैं तो उसमें समय लगेगा। मान लीजिये आपने प्रोसेस लम्बा बनाया तो उसका नतीजा क्या होगा। पैसा आपको देना है, कम्पेन्सेशन देना है, स्पेशल स्टाफ मुकर्रिर करेंगे तो काम जल्दी होगा और उनको मुआवजा जल्दी मिलेगा और जो मकसद है वह पूरा हो जायगा इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी दिया जाय। कल राजस्व मंत्री जी ने बताया था और मैंने जो संशोधन रखा था तब भी बताया था कि जिनको दो हजार से भी कम मिलता है उनको लम्बे अर्से तक नहीं रखना चाहिये इसमें आपका भी कोई भला नहीं है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) वह धारा पास हो चुकी है इसलिये उस बारे में कहना रिलेवेन्ट नहीं है। इस क्लॉज़ पर वह बहस करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि रेलेवेन्सी पर टिक करना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, माननीय सदस्य की बात को कि उन्होंने बिल बनाया था और जैसा उन्होंने कहा, वे प्रोविजन बिल में जरूर थे। अभी उन्होंने कहा कि रूल्स में है, रूल्स में होगा। लेकिन सदन का समय इस बात के लिए खराब नहीं किया जाय। जिस क्लॉज को पास कर चुके हैं उस पर बहस नहीं की जाय।

श्री अध्यक्ष : अपने अजमेर के एक्स-पीरियेन्स से आपको फायदा दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं स्वीकार करता हूँ कि जो बातें वे कहते हैं वे लॉ में होंगी।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : जब आप फ्लोर ऑफ हाउस, सदन में कोई बात कहते हैं, तो आपको पहले रूल्स को देख लेना चाहिये था। मैं इस बात को बता रहा था कि उसमें जो प्रोविजन रखा था, उसके द्वारा जिन लोगों का चार हजार कम्पेन्सेशन आयेगा, उनको एक मुश्त देने का प्रोविजन उसमें साफ लिखा है, In one instalment. यह रूल है ३१ : "The net amount of compensation payable to an intermediary under Section 10, after decucting the amount specified in section 15 and sub-section (2) of section 16, shall be paid in one lumpsum to the intermediary whose net annual income does not exceed Rs. 250/-."

नेट एन्युअल इन्कम हो २५० रु०...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पढ़ कर सुना दिया. अब उसके एक्सप्लेनेशन में १५ मिनिट लगा देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रेलेवेन्सी पर जोर दें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : रेलेवेन्सी है। जो मैंने संशोधन रखा है, उस संशोधन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि दो साल में देना है तो दो साल में दीजिये लेकिन जल्दी से जल्दी देने के लिये लिखें। अगर यह काम कलेक्टर न करे तो किसी दूसरे आदमी को ऑथोराइज्ड करके यह काम दे दीजिये। जिसकी एन्वल इन्कम २५० रु० है, उसको १६ टाइम कम्पेन्सेशन दिया तो चार हजार के करीब मुआवजा होगा, उसको वन इन्स्टालमेंट में दीजिये। यह सही बात है कि इससे स्टेट एक्स चैकर पर बर्डन होगा, लेकिन श्रीमान् मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि जो लोग निम्न स्तर के, मध्यम श्रेणी के हैं, उनका एबोलिशन करके उनको रीहेबिलिटेट करना है, उनको भले ही रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट न दीजिये, लेकिन उनका कम्पेन्सेशन दो साल में डिटरमिन कर दीजिये ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें...

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, मैं अपने लायक दोस्त से पूछना चाहूँगा कि दो साल के अन्दर कलेक्टर, किन्हीं ऐसे सर्कम्सटान्सेज़ की वजह से, जो कंट्रोल में न हो, या कोई और बात की वजह से कम्पेन्सेशन डिटरमिन न कर सकें तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? What will happen to the defaulter or the State grantee whose grant is resumed? what is the alternative procedure for that?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं बता दूं श्रीमान्...

श्री दामोदरलाल व्यास : He has not given that in his amendment.

श्री भैरोंसिंह : Hon'ble Members please. One at a time.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं अर्ज करता हूँ माननीय राजस्व मंत्री ने पोइन्ट रखा है कि अगर उन लोगों का फाइनल कम्पेन्सेशन दो साल में नहीं हुआ, तो उनका

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

क्या होगा। पहले आप इस चीज को बता दें कि अगर पीरियड दो साल है, तो उसको ढाई साल कर सकते हैं, तीन साल कर सकते हैं This is not the last word यह अन्तिम शब्द नहीं होगा। अब तक आप कई अमेंडमेंट लाये हैं। आप कह सकते हैं कि ६ महीने के लिये और बढ़ा दीजिए। लेकिन इसी प्रोविजन में अभी से यह गुंजाइश रखी गई, तो आपका ऑफिसर नहीं करने वाला है। पहले से आप इस दृष्टिकोण को रखकर चलिये कि हमको एबोलिशन के बाद फाइनल डिटर्मिनेशन दो साल में एचीव करना है तो उसके बाद आप ऑर्डीनेन्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाय तो ऑर्डीनेन्स का सदुपयोग होगा, अगर सेशन न हो तो ऑर्डीनेन्स निकाल सकते हैं और अगर सेशन चल रहा हो तो अमेंडमेंट ले कर आ सकते हैं that the period of two years is being extended by six months or, say, about one year मेरी, श्रीमान् यह प्रार्थना है कि पहले वाले जागीरदार हैं, उसका फाइनल डिटर्मिनेशन तीन चार साल में पूरा नहीं कर सके, उसमें जो प्रोसेस लिया गया, अब अगस्त में लाखों आदमियों को एबोलिश करने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस से खत्म कर रहे हैं, तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अब तक के आपके फिगर्स इस बात को बतावें कि आपने चार वर्ष में कितनों के क्लेम फाइनल किये हैं और उसी हिसाब से अगले वर्ष आपको मालूम हो जायगा कि कितने वर्ष में क्लेम फाइनली डिटर्मिन होंगे: There must be clear picture before the Government as to how the compensation is going to be determined and in what period it is going to be determined. इन शब्दों के साथ, श्रीमान्, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। मेरा क्रिटिसाइज करने का दृष्टिकोण नहीं है। मैंने जिस भावना से संशोधन रखा है, मैं समझता हूं श्रीमान्....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भावना को समझता हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात पर ध्यानपूर्वक विचारेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : श्री पी० के० चौधरी का अमेंडमेंट इस क्लॉज पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, धारा १५ के सम्बन्ध में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हृदय-विदारक चित्र जमींदारों का रखा है, मैं समझता हूँ माननीय राजस्व मंत्री पर उसका थोड़ा बहुत अवश्य असर हुआ होगा। इस धारा में जमींदारों को इन्टरिम कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है, इसमें मुझे कुछ खामियाँ नजर आती हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कल जागीर कमिश्नर के डिपार्टमेंट के विषय में सदन में चर्चा हो रही थी, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि ऐसे मामलों में यदि जागीर कमिश्नर के सुपरविजन में जमींदारी एबोलिशन का प्रश्न रखा गया तो छोटे छोटे जमींदारों को, जिनका फैसला कलेक्टर तक हो सकता है, उन सबको जागीर कमिश्नर के पास आना पड़ेगा। मैंने उनकी उस बात को, उनके सिद्धान्त को इस धारा के सामने रख

(श्री भैरोंसिंह)

कर पढ़ा है और इस बात को समझा है कि यदि वास्तव में माननीय राजस्व मंत्री इस कठिनाई को समझते हैं तो जिस कठिनाई को दूर करने की चर्चा है, उसे दूर करनी चाहिए। जहां इसमें उन्होंने यह व्यवस्था की है : "Where within a period of one year from the date of vesting of an estate, the compensation payable to the Zamindar or Biswedar is not detemined, the State Government shall..."

स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर वे कलेक्टर कर दें, उससे जो कुछ भ्रान्ति हो रही है। आगे इसमें लिखा है : "...or otherwise as may be prescibed, direct the payment to such Zamindar or Biswedar of interim compensation which shall be equal to one tenth of the estimated amount of compensation."

इसका मतलब यह है, एक तो यह जैसा कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कोई भी कानून बनायें, कानून बनाने से पहले उस कानून की तामील नहीं हो सकेगी, इस बात की कल्पना करके चलें और उस कल्पना के आधार पर उसी प्रकार का प्रावधान रखें तो उसके मूल में इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कानून के अमल में किसी कमजोरी को महसूस कर रहे हैं। जमींदार एबोलिश होंगे और उनको कम्पेन्सेशन भी मिलेगा और कानून में व्यवस्था की है उसके अनुसार, उसको कम्पेन्सेशन मिलेगा, लेकिन यह मान कर नहीं चल सकते कि उसको कम्पेन्सेशन मिलने में देरी हो सकती है। सरकार के सामने कोई स्पष्ट कारण है नहीं जिसके कारण यह समझा जा सके कि उसमें किसी प्रकार की देरी हो सकती है लेकिन सरकार महसूस करे कि कम्पेन्सेशन के फाइनल डिटर्मिनेशन में किसी प्रकार देरी हो सकती है और उस देरी के कारण यदि किसी जमींदार को समय पर मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता है तो वह इन्टरिम कम्पेन्सेशन ले सकता है। लेकिन इन्टरिम कम्पेन्सेशन ले सकता है सरकार की इजाजत से। अब प्रश्न यह आता है कि एक तरफ छोटे जमींदारों के सामने यदि सरकार से इजाजत लेने का प्रश्न पैदा होगा, तो चाहे भरतपुर के हों, चाहे अलवर के हों, कोटपुतली परगना के हों, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हों, उनको सरकार से इजाजत प्राप्त करनी होगी और कहना होगा कि इन्टरिम कम्पेन्सेशन १२ महीनों में फाइनल नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनुमति दी जाय। जब अनुमति मिले तो वह कलेक्टर से इन्टरिम कम्पेन्सेशन प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में जहां इन्टरिम कम्पेन्सेसन बहुत थोड़ा दे रहे हैं, नेगलीजेन्ट अमोउन्ट कुछ जमींदारों को कम्पेन्सेशन के रूप में निर्धारित कर रहे हैं, वैसे लोगों के सामने हार्डशिप आती है, इन्टरिम कम्पेन्सेशन लेने का अधिकार रहता है लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान रखें, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसमें अनावश्यक डिले होगी और छोटे जमींदार जो बहुत धन इन्टरिम कम्पेन्सेशन के रूप में लेने वाला है, उस रुपये में से कुछ रुपया आवागमन के ऊपर, करसपोन्डेन्स के ऊपर खर्च करना पड़ेगा और जो रिलीफ देना चाहते हैं वह नहीं दिया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें एक दूसरा पॉइन्ट है, सरकार ने व्यवस्था की है, कि दो वर्ष में इन्टरिम कम्पेन्सेशन नहीं मिले तो इन्टरिम कम्पेन्सेशन क्लेम कर सकता है। मैं इस बात को स्वीकर करता हूं। १६५२

(श्री भैरोंसिंह)

में राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट पास हुआ था, उसमें जमींदारी को भी एबोलिश किया गया था, जमींदारी के कम्पेन्सेशन के सम्बध में वही व्यवस्था तय की गई जो जागीरदारों के लिए को गई। आज १६५२ से १६५८ तक जमींदारी समाप्त नहीं हुई और १६५८ में जमींदारी समाप्त कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने आज से ६ वर्ष के पहले एक सिद्धांत स्वीकार किया था, जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्दर, मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। उसके अन्दर इन्टरिम कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था रखी हैं, उस व्यवस्था में इस बात का उल्लेख है कि अगर ६ महीने के अन्दर इन्टरिम कम्पेन्सेशन के क्लेम फाइनल न हों तो इन्टरमि कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की जाय : Where, within a period of six months from the date of resumption of any jagir land.."

इस तरह से इस जमींदारी के मामले में एक वर्ष का रखा है....from the date of vesting within a period of one .. यदि कम्पेन्सेशन के क्लेम्स उसके फाइनल नहीं होते हैं तो वह इन्टरिम कम्पेन्सेशन डिमान्ड कर सकता है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से जो हमेशा यहां कहते रहते हैं कि जागीर रिजम्पशन एक्ट में जिस तरह के प्रोविजन्स रखे है, जिस तरह की व्यवस्था रखी है, उसी प्रकार की व्यवस्था और उसी तरह के प्रोविजन्स इसमें रखे है, निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उसी के अनुसार करना है और इन्टरिम कम्पेन्सेशन दे कर लोगों को रिलीफ पहुंचाना है तो यहां भी यही करना चाहिये कि यदि ६ महीने के अन्दर-अन्दर कम्पेन्सेशन के क्लेम्स फाइनल नहीं हों तो उनको इन्टरिम कम्पेन्सेशन दे दिया जाय और कलेक्टर द्वारा दे दिया जाय।

इसके अलावा इसमें एक प्रोविजो और जोड़ दिया है, उसका मतलब यह है कि दो वर्ष में पूरा फाइनल न हो तो आगे इन्टरिम कम्पेन्सेशन की किश्त दी जा सकती है। जागीर रिजम्पशन एक्ट में ऐसा नहीं रखा है एक साथ जागीरदारों को तीन किश्तें दी है, चौथी किश्त के बारे में सरकार ने कई स्थानों पर आदेश दिये हैं और यह काम सरकार के विचाराधीन है। कम्पेन्सेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से किसके कितने राइट्स हैं, इसको हम दूर रखें, जागीरदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट देनी चाहिये कि नहीं, जमींदारों को कितनी देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये, इस बात को दूर रखें पर मैं तो यह एक मोटी बात रखता हूं कि कितना ही अमॉउन्ट दें, किसी व्यक्ति को कम्पेन्सेशन दे रहे हैं तो देने के तरीके में उन दोनों नियमों में अन्तर नहीं होना चाहिये, जागीरदारों को भी कम्पेन्सेशन देते हैं, जमींदारों को भी कम्पेन्सेशन देते हैं, कितना किसको देना चाहिये, मल्टीपल का प्रश्न भिन्न हो सकता है पर कम्पेन्सेशन किस तरह दिया जायगा, इसमें यदि जागीरदारों को सहूलियत से मिलता है तो जमींदारों को भी सहूलियत से मिलना चाहिये।

मेरा हालांकि इस प्रकार का संशोधन नहीं है पर जैसे कि मन्त्री महोदय अपनी ओर से संशोधन पेश कर देते हैं उसी तरह मेरी ओर से ऐसा संशोधन वे स्वयं सदन में पेश करदें और मेरी भावना है, उसको वे इस तरह एकोमोडेट करें कि सदन में यह भावना फैले कि माननीय राजस्व मंत्री जी सदन की

(श्री भैरोंसिंह)

भावना के साथ थोड़ा एकोमोडेट करने लगे हैं ।

इन्हीं बातों पर विचार कर के, जमींदारों के सामने जो इस तरह की कठिनाइयां आयें उनको मिटाने की दृष्टि से मैंने अपने विचार प्रकट किये है मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीमहोदय इस चीज को स्वीकार करेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने अपना एक अमेंडमेंट पेश किया और उसके जरिये से वे इसे एक लाजिमी बात बनाना चाहते हैं कि कलेक्टर के ऊपर कि जमींदारों को मुआवजा देने का मामला दो साल में पूरा कर दें। मैंने उनसे पूछा कि अगर न करें तो क्या हो, इस पर वे कोई प्रोविजन नहीं बता सके।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): On a point of explanation, Sir the period of two years can be extended, but not today. It can be extended later. मैंने बताया था कि आॅर्डीनेन्स बाद में ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : But provision of that nature will mean only an expression of good intention.

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्सप्रेशन तो गुड इन्टेन्शन का आ जायगा, पर नहीं करेंगे तो होगा क्या ? किसी कानून में प्रोविजन तो रखिये कि नहीं हो तो....This is not being done by virtue of your provision दो साल का कहते हैं, दो साल में नहीं होगा तो क्या करेंगे ? If it is not possible, then ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He can include 'within a reasonable period of two years.'

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) That means you can go on increasing the period, as may Hon'ble friend says that it can be enhanced. That he can tolerate, but he cannot tolerate the present provision in the body of the Bill. तो इसके लिये मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं, ६ महीने के अन्दर अन्दर ही जागीरदारों और जमींदारों के क्लेम, डिटर्मिन्ड होने चाहिये, और उनको इन्टरिम कम्पेन्सेशन समय पर मिलना चाहिए और कम्पेन्सेशन भी जल्दी से जल्दी असेसमेंट होना चाहिये और मैं इसके लिये उनसे ज्यादा उत्सुक हूं पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसमें प्रोविजन कर दिया जाय कि दो साल से ज्यादा नहीं लगें, यह उचित नहीं होगा ।

इसके साथ ही उन्होंने अजमेर से खेवटदारों की बात कहीं. उससे अजमेर के खेवटदारों को....Well, that matter is closeb. अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अजमेर के खेवटदार हैं इसमें शामिल नहीं होने चाहिये, तो सदन में इस तरह की डेफीनेशन लाकर रखते है तो अच्छा होता बजाय इसके कि हर क्लॉज में एक अमेंडमेंट पेश कर के उसमें एक बात खेवटदार रख देंगे कि प्लानिंग कमिशन से इजाजत ले ली इसका डिस्किशन यहां एप्रोप्रियेट नहीं है ।...That clause has already been passed. क्योंकि वह क्लॉज़ हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। इसलिये मैं उनके अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूँ ।

दूसरे माननीय सदस्य श्री माधोपुर से आये हुए हैं, उनकी भावना की भी उतनी ही

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कद्र करता हूं जितना अभी मैंने ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य के लिये कहा है। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उत जल्दी से जल्दी तय हो, दो साल की जो लिमिट रखी है वह इसलिये नहीं रखी है कि दो साल लगें, एक महीने में हो सकता है तो एक महीने में किया जाय, इससे जल्दी हो सकता है तो जल्दी किया जाय। हमने अभी छोटे-छोटे जागीरदारों के जिनकी जागीरों का जुलाई में रिजम्पशन हुआ है, उनके एक लाख दावे तय कर दिये हैं। तो हमारी तो इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तय करें पर कानून के अन्दर इस प्रकार हार्ड एन्ड फास्ट रख देना ठीक नहीं होगा। वे तो कुछ कद्र करने की कहते हैं, मैं तो उनकी पूरी कद्र करने को तैयार हूं, पर कानून में इस तरह की बात मंजूर करने के लिये मजबूर हूं क्योंकि कानून के अन्दर इस तरह की बात नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात यह है कि उन माननीय सदस्य ने कोई अमेंडमेंट भी नहीं रखा है, मेरी एजेंसी से वे अमेंडमेंट रखना चाहते हैं।....

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट के अलावा और एक बात कही कि वहां पहले जागीर एबोलिशन में ६ महीने हैं तो इसमें आपने एक साल रखा है, यह क्यों रखा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर एबोलिशन के अन्दर ६ महीने का प्रोविजन जरूर है कि ६ महीने के अन्दर अन्दर क्लेम्स फाइनल नहीं होंगे तो इन्टरिम कम्पेन्सेशन देंगे। पर यह भी है कि जागीर रिजम्पशन में ऐसा प्रोविजन हुआ है वह प्रेक्टिकेबल नहीं है, हम तो चाहते हैं कि एक महीने में करें पर ६ महीने में भी कुछ बड़े जमींदार हैं, उनका नहीं हो सकता तो इसके लिए एक साल रखा है कि इन्टरिम कम्पेन्सेशन देंगे। उस प्रोसेस को हम यहां दोहराना नहीं चाहते यह कहना कि जागीर रिजम्पशन का हर प्रोविजन इसमें रख दिया जाय तो हर प्रोविजन को यहां रखना मुमकिन नहीं है। जागीर रिजम्पशन का सारा एक्ट है वह कई मायनों में इससे डिफरेंट है, इसमें कई तजुर्बे जो उससे हुए, उनका इसमें सुधार करना पड़ता है। यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम पॉवर्स ले लिये हैं तो जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया जाय, इसमें जनरल डिसीज़न तो गवर्नमेंट ही करेगी।

श्री अध्यक्ष : सेक्शन ३४ के नीचे पॉवर्स डेलिगेट किये जा सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह है, वहां भी आज २० हजार से ऊंचा जितना कम्पेन्सेशन है, जागीर कमिश्नर तय करता है।

The State Government can delegate these powers to the Collector or any other authority which is convenient to the Zamindars. इसलिए यह कहना कि इसमें कानून बना रहे है इसमें यह बात रखनी होगी। एक अमाउन्ट हम देते हैं The State Government has to take a decision. लेकिन हम को एक किस्त जमीदारों को दे देनी चाहिये उसके लिये प्रश्न यह है कि कौन देवे ? These powers will be delegated and they will definitely be delegated. There in no doubt about it.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष, माननीय राजस्व मन्त्री ने बताया

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

मगर मैंने उचित जगह पर परिभाषा के लिये संशोधन भेजा था परन्तु वह बिल एक दिन पहले ही आ गया और जैसी स्कीम थी उसके मुताबिक चला नहीं, इसलिये वह नहीं आ सका...

श्री दामोदरलाल व्यास : On a Point of information Sir. I want to inform the Hon'ble Member that this definition was amende not in this Bill but in the Revenue Laws (Extension) Order to Ajmer and that was passed in January, 1958 and enforced in June, 1958, and he should not forget that. He ought to have brought an amendment in that Act.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप इसमें saving क्लॉज़ रख सकते है, 'For the purpose of this Act.' We can say Biswedar shall not include a Khewatdar or Biswedar of Ajmer area' and I have sent an amendment to this effect and it may be accepted. I have given a Saving clause, and you should accept it, otherwise it is your responsibility.

श्री अध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट है।

श्री बृजमोहनलाल : दूसरी बात पीरियड के लिये आपने कहा। आप देखिये कि क्लॉज १५ और १६ का इन्टेन्शन क्या है। क्लॉज १६ में आपने यह इन्टेन्शन रखा है कि जमींदारों और बिस्वेदारों को दो महीने के भीतर भीतर अपने मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र पेश करना चाहिये। मैं मानता हूं, श्रीमानजी, कि उनको १ महीने में ही पेश करना चाहिये, दो महीने लगने नहीं चाहिये। मगर फिर भी अगर दो महीने में वह नहीं पेश कर सका तो उसके लिये आपने सेविंग क्लॉज़ नहीं रखा। जहां पर आपकी जिम्मेदारी आती है वहां पर आप पसन्द नहीं करते। यह आपकी जिम्मेदारी है आपको इसके लिये सोचना चाहिये। मैंने तो आपको सजेशन दिया है। आगे आपकी मर्जी है। फिर भी मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बृजमोहनलाल ने पेश किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

आप विड्रॉ करें।

श्री बृजमोहनलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १६ श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह एक्ट पास हो जावेगा उस समय जमींदारों को और बिस्वेदारों को दो दो महीनों के अन्दर अन्दर अपने मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र पेश करने होंगे। इसमें इस प्रकार का प्रोविजन है : "(1) Every zamindar or biswedar who is divested of his estate by virtue of a notificat-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ion issued under section 3 shall with in two monthes" 'विद इन टु मन्थस' में ने अपना संशोधन रखा है कि दो महीनों के स्थान पर ६ महीने कर दिये जावें। क्योंकि यह जो छोटे छोटे जमींदार हैं, जब वे अपना स्टेटमेंट पेश करेंगे तो सारे कागजात उनके पट्टों के सम्बन्ध में होंगे उनको उनके साथ पेश करने पड़ेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि उस समय वर्षा का समय हो या काश्तकारी का समय हो और वे लोग खेती में लीन हों और अपने स्टेटमेंट पेश नहीं कर सकें और जब टाइम्स लैप्स हो जाता है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट पेश नहीं किये हों तो जिन लोगों ने अपने स्टेटमेंट पेश नहीं किये हैं उसके मुताबिक सरकारी रिकार्ड के आधार पर उसका निर्णय होगा। इसमें गड़बड़ी की संभावना है। आपने जागीरदारी एबोलिशन में भी 'विद इन टु मन्थ्स' का समय दिया था, मगर उसके बाद मुझे पता चला है कि आपको समय एक्सटेन्ड करना पड़ा और सालों बाद में भी जिन्होंने अपने क्लेम्स पेश किये उनको लिये गये। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि छोटे छोटे जमींदारों और बिस्वेदारों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा तय करेंगे और दे दिया जावेगा। मगर ऐसी स्थिति में यदि उस समय काश्त का समय हो या वर्षा का समय हो और वे लोग जिले से दूर रहते हो उनके लिये यह दो महीनों का समय उचित नहीं होगा। या तो इसमें दो महीने के स्थान पर ६ महीने का प्रावधान किया जाए या उसके बाद में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य का जो संशोधन है कि उसके बाद में भी कलेक्टर को सफिशियेन्ट रीजन्स देने पर उसे सुनने का अधिकार दे दिया जावे। मैं समझता हूं कि यदि टाइम लिमिट हो जावेगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ में मैंने एक संशोधन रखा है कि यदि दो महीनों के भीतर जमींदार और बिस्वेदार अपने क्लेम्स पेश नहीं कर सकते उस तिथि से जिसके द्वारा सरकार ने उनकी जमीन को अपने आधिपत्य में ले लिया है तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो इस संशोधन के द्वारा मैंने यह मांग की है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी क्लेम पेश नहीं कर सके तो यदि वह कोई सफिशियेन्ट रीजन्स यानी वाजिब कारण बताता हो जिसके कारण दो महीनों के भीतर पेश नहीं कर सका और उसके कथन पर कलेक्टर का संतोष होना चाहिये तो उन लोगों को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने मुआवजे के पत्र को दो महीनों के बाद में भी पेश कर सकते हैं। मुझे, श्रीमान्जी कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें लाखों व्यक्तियों की संख्या है जो जमींदार और बिस्वेदार की परिभाषा में आवेंगे और संभव है इसके लिये सरकार की तरफ से प्रोक्लेमेशन भी होगा। इसके लिये आपको इन लोगों के लिये व्यक्तिगत रूप से गांवों की हथाइयों पर या किसी दूसरे जरिये से लोगों को बताना होगा कि आपके यहां से जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त हो चुकी। अब सरकार उनकी मालिक हो चुकी है। आपको क्लेम पेश कर देना चाहिये। मगर आज हमको इस बात को नहीं भूलना है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनको स्टेटमेन्ट के साथ गिरदावरी, खेवट की नकलों की आवश्यकता होती है या वे लापरवाह हो सकते हैं। और किसी तरह से अपने क्लेम्स दो महीनों के भीतर भीतर पेश नहीं कर सकते, इसलिये उनको

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

क्लेम नहीं मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार की कभी यह इच्छा नहीं हो सकती कि उनको पैसे नहीं मिलने चाहिये । मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे और जमींदारों और बिस्वेदारों को पूरा मौका मिलना चाहिये कि दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद में भी वे अपने क्लेम्स पेश कर सकें जैसा कि मैंने अपने संशोधन में रखा है :

A proviso be added as to sub-clause (1):—

"Provided that a Zamidar or Biswedar may be allowed to fild a statement of his clacm after the expiry of two months on sufficient reasons being shown to the satisfaction of the Collector."

मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री इस प्रोविजन को स्वीकार करेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दोनों अमेन्डमेन्टों का सम्बन्ध है, मैं इसके लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार करता हूं और वह इस लिये नहीं कि जो दलीलें उन्होंने दी हैं वे उचित हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्य इस क्लॉज़ १६ के साथ में क्लॉज़ १७ को पढ़ते तो उनको मालूम होता कि इस तरह का प्रोविजन है कि अगर टाइम लिमिट में पेश नहीं करते हैं तो कलेक्टर खुद कम्पेन्सेशन एक्सेप्ट कर लेगा । इसलिए यह कहीं भी मन्शा नहीं है कि कम्पेन्सेशन असेस होने से रह जायगा । जमींदारों और बिस्वेदारों के ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि जिनके कारण वे क्लेम समय पर पेश न कर सकें तो वैसी हालत में समय-समय पर उनको समय का एक्सटेन्शन दिया जा सकता है । मैं इसको स्वीकार करता हूँ ।

६ महीने का रखने का जो संशोधन रखा गया है मैं समझता हूं कि जब टाइम एक्स्टेन्शन का समय रख देते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती है । दो महीने का तो क्लेम सबमिट करने का समय दे दिया है फिर टाइम को एक्स्टेन्ड करने का भी डिस्क्रेशन कर दिया है और साथ में प्रोविजन कर दिया है कि 'The Collector shall work out the compensation. तो किसी को खतरा, नुकसान या तकलीफ पहुंचने का अंदेशा नहीं है । इसलिए सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का मैं विरोध करता हूं और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट को तहेदिल से स्वीकार करता हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार किया, उससे मेरे संशोधन की भावना पूरी हो जाती है इस लिए मैं इसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १६ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १७, श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्लॉज़ १७ के अन्दर अमेन्डमेंट है :

"The words 'within six months' be inserted between the words 'due to the claimants' and 'and' occuring in sub-clause (1)."

अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट का मतलब यह है कि अमुमन यह होता है कि क्लेम्स कलेक्टर के पास पेश हो जाते हैं और सालों तक वे जांच नहीं करते और पार्टीज़ पेशियों में चलती फिरती रहती हैं, क्लेम्स समय पर पास होते नहीं, लोगों को पैसा मिलता नहीं, उनको पैसे-पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है और उनको मारे-मारे फिरना पड़ता है। जब जागीरें रिज्यूम हुई तो समय पर कानून के अनुसार पैसा कम्पेन्सेशन उनको मिल जाना चाहिये था, लेकिन मिलता नहीं कलेक्टर के हुक्म की तहसीलदार परवाह नहीं करता, और तहसीलदार के हुक्म की गिरदावर परवाह नहीं करता और गिरदावर के हुक्म की पटवारी परवाह नहीं करता। न तो ऊपर की ऑथोरिटी ही इसको देखती है कि समय पर उनके हुक्म की कम्प्लायेन्स होती है या नहीं, कानून का पूरा पालन होता है या नहीं। यदि रिपोर्ट भी ली जाती है तो वह तहसीलदार के पास जाती है, फिर गिरदावर के पास जाती है, गिरदावर के पास से पटवारी के पास और पटवारी से न जाने कहां। पार्टीज़ को चक्कर काटने पड़ते हैं। इस सब का नतीजा यह होता है कि एक दूसरे के पास जाने पर भी काम समय पर नहीं होता, सालों लग जाते हैं। अब तो यह कहावत भी हो गई है कि 'जब तक कागजों पर वजन नहीं रखेंगे तब तक सुनाई नहीं होगी'। इसलिए इसी बिल में ही यह हो जाय कि कलेक्टर छः महीने के अन्दर तय कर देगा तो नतीजा यह होगा कि छः महीने की तारीख लगा कर बैठ जावेंगे कि फलां तारीख को छः महीने होने वाले हैं उस तारीख के पहले या उस दिन उसका क्लेम सैटिल हो जायगा, फाइनल हो जावेगा। लेकिन यदि छः महीने की अवधि नहीं रखते हैं तो जब मर्जी होगी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी आदि उसको तय करेंगे कम्पेन्सेशन के लिए, लोगों को और मुसीबत में डाला जायगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसी में यह तय हो जाना चाहिये कि छः महीने की अवधि में क्लेम तय हो जाय और नहीं करें तब भी पैसा दे दिया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट पर मुझे ज्यादा अर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

छः महीने का पीरियड माननीय सदस्य रखना चाहते हैं इसलिए वह रखना किसी तरह से उपयुक्त नहीं होगा। जैसा मैंने दफा १५ में अर्ज किया उनकी जो भावना है, वह उसमें है दलील वह कुछ भी दें कि पटवारी इन्स्पेक्टर को नहीं मानता, इन्स्पेक्टर तहसीलदार को नहीं मानता और तहसीलदार कलेक्टर को नहीं मानता। यह उनके ध्यान में होगा डिपार्टमेंट में अभी अर्नोकी नहीं आई, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं अपने डिपार्टमेन्ट को रन करता हूं, हुकम की तामील सब करते हैं, इसलिए यदि छः महीने में नहीं करेगा तो क्या होगा। The Collector will take all possible measures to expedite it. छः महीने में भी हो सकता है। इट मे टेक टैन मन्थस। इसलिए मैं इसी बिना पर इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मीचंद : माननीय अध्यक्ष, उत्तर तो संतोषजनक नहीं है। मैं जानता हूं कि यदि वोटिंग करवाऊंगा तो हम कम हैं इसलिए वह गिरेगा ही, ऐसी स्थिति में मैं इस संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना की वे कद्र करते हैं।

प्रश्न यह है की जो संशोधन श्री लक्ष्मीचंद ने रखा है, उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मीचंद : I withdraw my amenalment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ को स्वकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

क्लॉज १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज १८, श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): श्रीमान्, मैंने इसी आशय का एक संशोधन कल रखा था। तो बहस उस पर काफी हो चुकी है और माननीय राजस्व मंत्री जी का मैं विशेष समय नहीं लूंगा, क्यों कि उनके दिल के अन्दर यह बात समाई हुई है कि वे देना तो चाहते हैं और इसके औचित्य को स्वीकार नहीं करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य इसको मूव नहीं करना चाहते।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसलिये श्रीमान्, आप इसको ठीक न समझें तो मैं इस संशोधन को वापिस ले लूं, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको बेरोजगार न बनायें। यदि आप उनको एक मुश्त दे देंगे तो वह दूसरा रोजगार कर सकेंगे, नहीं देंगे तो लोन गवर्नमेंट दे रही है उसका फायदा उठावेंगे। उनको तो इस लोन से बसाने की करिये। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ही यही है कि प्रत्येक नागरिक को बारोजगार बनाया जाय। मुआवजा एक हजार का नहीं, ५०० का सही, कुछ न कुछ तो रखिये ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ और राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे यहां ही डिक्लेरेशन

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

कर दें कि इतना तो हम कर देंगे। वैसे इन शब्दों के साथ, सदन से अनुमति चाहता हूं कि, मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ में मेरा संशोधन है : The following proviso be added to sub-clause (1):-

"Provided that the compensation, the net amount of which does not exceed five thousand rupees, shall be paid in on instalment."

१ म० प०

अध्यक्ष महोदय, यह एक मेरा छोटा सा अमेन्डमेन्ड है। और इस अमेन्डमेन्ड की मन्शा यह है कि जो सरकार छोटे जमींदारों को बहुत जल्दी कम्पेन्सेशन देना चाहती है उसकी जो इस प्रकार की मन्शा है उसकी पूर्ति इस संशोधन द्वारा हो जाती है। छोटे छोटे जमींदार बहुत हैं उनको कम्पेन्सेशन के लिये इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि हम अगर कोई कल्पना करें आंखो से देखी हुई बात की! राजस्व मंत्री महोदय कहते हैं कि मेरे पास किसी किस्म की शिकायत नहीं आयी।..............

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने यह नहीं कहा कि मेरे पास किसी किस्म की शिकायत नहीं आयी। आप जब फर्माते हैं तो वह भी शिकायत है।

श्री लक्ष्मीचंद : (जारी) अध्यक्ष महोदय आजकल मंत्री महोदय जो दौरा करते हैं वे केवल मात्र तीन कामों के लिये दौरा करते हैं चाटन भाषण और उद्घाटन। इसके अलावा चौथा काम देखने की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कितने क्लेम्स पेश हुए, किस किस डिस्ट्रिक्ट के पेश हुए, उन लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर माननीय राजस्व मंत्री एक जिला जालोर का ही इन्स्पेक्शन कर लें तो उनको मालूम हो जायगा वहां सैकड़ों की तादाद में कम्पेन्सेशन के लिये क्लेम्स भरे हुए पड़े मिलेंगे। काफी समय बीत गया फिर भी उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि किसी में यह कह दिया जाता है इसमें तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं आयी स्पेशल मेसेन्जर जाता है फिर भी पटवारी मौके पर नहीं मिलता है इस तरह से कागज भी तो वहां से आते हैं वे इन्कम्पलीट आते है क्योंकि वे कलेक्टर के नीचे तो है नहीं इसलिये उनके हुक्म की तामील उसी प्रकार से करते हैं वे देखते है हमारा एक्सप्लेनेशन मांगने से रहे क्योंकि हम इनके मातहत तो हैं नहीं, इसलिये उनके ऑर्डर्स की पूरी तरह से कम्पलॉयेन्स नहीं होती। और अफसर ऐसे हो गये हैं कि अगर उनके मातहत वाले काम नहीं करते हैं तो उनको कुछ परवाह नहीं, उसका परिणाम यह होता है कि उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। समय पर जवाब नहीं आता, समय पर इन्स्पेक्शन नहीं होता। आप किसी को धर्मादा नहीं दे रहे है या किसी को मुफ्त में दान नहीं दे रहे हैं आप उनको उनकी जागीरें लेकर उसका मुआवजा दे रहे हैं। आपको चाहिये तो यह कि उनका जो कम्पेन्सेशन बनता है वह उनके घर तक पहुंचावें। आप उनको एक इन्स्टॉलमेन्ट में नहीं दे सकते, तो उसके हिस्से करके मनिऑर्डर के जरिये आपको पहुंचना चाहिये। आज जनता के अन्दर यह भावना बनती जा रही है कि मुआवजा क्या मिल रहा है माजना पाड़ा जा रहा है उनकी इज्जत बेइज्जत हो रही है किसी को सौ रुपये का कम्पेन्सेशन लेना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

हो तो उसके लिये उसको एक महीने तक वहा रहना पड़ता है और ऐसे- ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है जिनका वास्ता कभी उनसे पड़ा नहीं ऐसे लोगों से कम्पेन्सेशन के लिये जाना पड़ता है। ऐसे - ऐसे लोग हैं जिनको इन्स्टॉलमेन्ट मिले छः छः महीने हो गये, आप यदि साहूकार हैं तो क्यों नहीं उनको मनिऑर्डर द्वारा भेज देते हैं। आज किसी महाजन के पास आपका पैसा जमा है तो मांगने पर वह महाजन फौरन हुन्डी द्वारा भेज देता हैं, लेकिन आप तो उनको समय पर देना नहीं चाहते और जनता को परेशान करना चाहते है। मैं माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहूंगा क्या उन्होंने जालौर डिस्ट्रिक्ट का इन्सपेक्शन किया, उनको समय नहीं। २-६-५६ को जागीरें ली गई, लेकिन आज तक किसी को भी एक भी इन्स्टॉलमेन्ट नहीं मिला, इसके बावजूद भी हमारे मंत्री महोदय कहते हैं हमारे पास किसी किस्म की शिकायत नहीं, शिकायत करे कौन, आपको तो सुनने की फुरसत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने अमेन्डमेन्ट पर ही बोलें।

श्री लक्ष्मीचंद : (जारी) उसी पर ही अर्ज कर रहा हूं कि पांच हजार तक का प्रोविजन हो जाय कि इतनी रकम जिनकी होगी उनको एक इन्स्टॉलमेन्ट में ही मुआवजे की रकम मिल जानी चाहिये, ताकि महीने महीने उनको परेशानी उठानी न पड़े। अगर पांच हजार एक साथ मिल जाते हैं तो उसके लिये महीना भर भी किसी को परेशान होना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि पांच हजार से कम जिनकी आमदनी हो उनको एक इन्स्टॉलमेन्ट में दे दिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक छोटा सा है सब-क्लॉज़ तीन में for two year 'these words may be added after the word 'deposit'.

इससे यह क्लॉज़ इस प्रकार से हो जायगा :-

"The Collector shall arrange payment of the net amount of compensation to the person or persons to whom it is payable but, if any such person refuses to accept payment, the amount payable to him shall be held in deposit for two years." यानी जो डिपोजिट है उसमें यदि किसी प्रकार का झगड़ा खड़ा हो जाय जो रुपया कम्पेन्सेशन का मिल रहा है, वह दो साल तक पड़ा रहे, उसको लेने वाला कोई नहीं हो तो दो साल बाद सरकार को चाहिये कि वह अपने खाते में उसको जमा कर लेवे। हम पहले तो कम्पेन्सेशन देना नहीं चाहते, हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है फिर भी दे रहे हैं और जो लोग लेना नहीं चाहते तो वैसी हालत में उस रकम को झगड़े में नहीं रखनी चाहिये। दो साल के बाद उस फन्ड में जमा कर दिया जाय। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह छोटा संशोधन बहुत आवश्यक भी है इसको मन्जूर कर लेना चाहिये।

इसके अलावा सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। वह इसलिये करता हूँ कि उनको मालूम होना चाहिये कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि पाँच हजार या दो हजार एक साथ

(डॉ० बहादुरसिंह)

दे सकें। वे तो यह चाहते हैं कि इस प्रकार से राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाय और यह सरकार फेल हो जाय। आज हमें, हमारी सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार कानून बनाना चाहिये।

मैंने जो इसमें संशोधन रखा है उसका मतलब केवल यह है कि अगर झगड़े के निपटारे के पश्चात् डिपोज़िट रखा हुआ है अगर उसको कोई दो साल तक नहीं ले तो उसको चाहिये कि सरकार अपने खजाने में जमा कर ले, यह मेरा संशोधन है। आशा है, राजस्व मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसके विरोध में यह बात कही गई है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिए एक साथ इतना रुपया देना राजस्थान सरकार के लिए मुमकिन नहीं है और इस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट फेल हो जायगी।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कि इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि आज जो स्थिति है उस स्थिति में जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने तजुर्बा किया, उस तजुर्बे को भी ध्यान में रखना है। हकीकत यह है कि आज जो लोग कम्पेन्सेशन लेने जाते हैं वे इतने जलील होते हैं कि कई बार यह निर्णय कर लेते हैं कि यह कम्पेन्सेशन न लिया जाय तो अच्छा है। उनको इसके लिए ऐसे लोगों के ताल्लुक में आना पड़ता है, हालांकि सरकार की तरफ से ये आदेश हैं कि ऐसे लोगों के साथ सभ्यता का व्यवहार किया जाय, लेकिन इसके बावजूद भी जो मनोवृत्ति बदला लेने की है उस मनोवृत्ति का कहीं न कहीं टेढ़े मेढ़े रूप में दर्शन हो ही जाता है। इसके अलावा एक और बात है, राजस्थान सरकार के जितने भी डिप्टी कलेक्टर्स हैं, वे सारा पैसा एक साथ न देकर यह कहते हैं कि सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ जमा कराओ। जहां तक इस प्रकार से रुपया जमा कराने का प्रश्न है वह तो सरकार के पास रहने की हालत में भी एक प्रकार से जमा है।

जब उनको देना ही है तो आपको चाहिये कि उनको एक बार बुलाकर जितना आप देना चाहें, दे दें और उनको निपटा दिया जाय। वे आपके दरवाजे पर रोजाना आवें और कम्पेन्सेशन के लिए आपके दरवाजे खटखटाते रहें। आप भी शायद इसको पसन्द नहीं करेंगे और वे भी पसन्द नहीं करेंगे आपके दरवाजे पर आना, जिनका वास्ता आपसे कभी रहा नहीं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी कम्पेन्सेशन देना है, चाहे वे एक साल आप न दे सकें, दो साल में देने का तय कर दीजिये तो भी किसी को एतराज नहीं होगा। एतराज उस हालत में होता है जब कि उनको इसके लिये हार्डशिप्स में से गुजरना पड़ता है। हार्डशिप्स उन लोगों को होती है जो लोग कम्पेन्सेशन मांगने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने पर ही रुपया दिया जाय, यह जो शर्त लगाते हैं यह भी उचित नहीं है। इस तरह से जब लोगों को तंग किया जाता है तो लोग परेशान होकर दो चार रोज ठहर कर इन्तजार करते हैं, फिर बाद में आखिर हैरान हो जाते हैं तो कह देते हैं कि जितना आपको लेना हो, लो बाकी का तो हमको दे दो। इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(श्री तनसिंह)

दूसरी, बात यह है कि मान लीजिये कि कम्पेन्सेशन मिलता है अगर उनको अमों-उन्ट एक साथ नहीं मिलता है तो उनके रीहेबिलिटेट होने में परेशानी होती है। जिस बड़ी मुश्किल से हम अपना जीवन-निर्वाह कर पाते थे उसके छिन जाने पर जो भी उससे कम्पेन्सेशन के रूप में मिलता है वह तो उनके खाने के खर्चे में ही चला जायगा। अगर कुछ दिनों की परेशानी के बाद भी उसको एक मुश्त रकम मिल जाती है, तो उसको अपने पुनर्वास में सहायता मिल सकती है। इससे सरकार को यह लाभ होगा कि राजस्थान की जनता में जो ऐसे लोग हैं, उनको पुनर्वास करने का अच्छा मौका मिलेगा। यह जरूर है कि कुछ लोगों को परेशानियां बढ़ेंगी देरी से मिलने के बावजूद भी तकाबी के लिए आना। मैं तो तकाबी लेना भी बहुत बुरी बात समझता हूँ। सरकार को मोरल स्टेन्डर्ड इतना नहीं गिराना चाहिये कि सरकार जितना धन देना मुनासिब समझे उसको एक साथ दे दे और उनका स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करे। आपको इस प्रश्न को इस दृष्टि-कोण से नहीं लेना चाहिये कि हमने प्रोविजन कर दिया है इसलिए देते हैं। हमें इस दृष्टि-कोण से देना चाहिये कि यह पैसा मिलने के बाद वे वास्तविक लाभ उठावें, बेकारी कम हो, सब लोगों का स्टेन्डर्ड ऊपर उठे, इस दृष्टि-कोण से इसका समर्थन करता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पर काफी वाद-विवाद हो गया है। मैं सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य का अनुमोदन करता हूँ और मैं यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार समय निर्धारित किया गया है उस समय में जरूर मिल जाना लाभप्रद है और साथ ही मेरा यह निवेदन है कि जागीरदारी के प्रश्न खत्म हो चुके, उनके समय में जो गलतियां और जो दिक्कतें हमें उठानी पड़ीं उनको हम इन जमीं-दारों को समाप्त करते समय न दोहरावें। ये बहुत जरूरी है।

साथ ही डॉक्टर बहादुरसिंहजी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं उनका विरोध करता हूँ और साथ ही यह निवेदन करूंगा कि यह जितनी भी पार्टियां और सदस्य हैं उन सबके ये भाव हैं कि जहां तक हो, जिनको दिक्कतें भी न पड़ें और गवर्नमेन्ट को भी दिक्कत न पड़े। इस प्रकार कहना कि यह गवर्नमेंट के अपोजिशन की ओर से दिक्कतों में डालने के वास्ते इस प्रकार की विचारधारायें पदा होती हैं, इस प्रकार की बातें करना इस स्थान पर, यह किसी भी एक पार्टी या एक सदस्य की विचारधाराओं के लिए कहना मैं तो अनुचित समझता हूं और यह सदन की मर्यादा के भी खिलाफ है, इसके अलावा सदस्य के वास्ते भी ठीक नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह मर्यादा क्या है, अध्यक्ष महोदय ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन तो यह है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समय पर देने वाले प्रस्ताव को वे मानें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस तरह के ही एक क्लॉज़ पर कल काफी बहस हो चुकी है जिसमें कि हमारे ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने दो हजार तक का कम्पेन्सेशन एक मुश्त देने का प्रस्ताव किया था, आज वे पांच हजार का

Page No.48

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एक अमेन्डमेन्ट लाये हैं इसलिये इस पर ज्यादा बहस की तो आवश्यकता नहीं है। कल काफी बहस हो चुकी थी और जवाब में मैंने भी सरकार की काफी अपनी दुश्वारियां पेश की थी। उनको आज फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा था, इसमें जो भावना है उसकी तो मैं बहुत कदर करता हूँ पर जो दिक्कतें गवर्नमेंट के सामने हैं, माननीय सदस्य उसको भी महसूस करेंगे। मैंने कहा कि कितने केसों में एक मुश्त दे सकेंगे, यह तो सरकार की फाइनेन्सेज को देखते हुए और उस प्रोब्लम की इन्टेन्सिटी को देखते हुए इसके लिये रूल्स में प्रोविजन किया जावेगा जैसे जागीर रिजम्प्शन एक्ट में किया गया है। यहां आवश्यक नहीं है।

मैं समझता हूँ कि जो सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे इसको महसूस करेंगे कि यह अमेन्डमेन्ट यहां उपयुक्त नहीं है।

दूसरा, धौलपुर से आने वालों का है, वह ठीक है पर जिस बात को लेकर यह कानून बना रहे हैं और जितनी लीनियेन्ट ट्रीटमेन्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी हालत में यह क्लॉज़ यहां रखना उपयुक्त नहीं होगा; इसलिये उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह : यह समझ में नहीं आया कि वह रकम आप कब तक अपने पास डिपोजिट रखेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपोजिट के रूल्स हैं, आई एम सोरी, उसके फाइनेन्शियल रूल्स हैं वह तो उसमें अपने आप गवर्नर होगा। मुझे ठीक मालूम नहीं इस समय कि उसमें क्या प्रोविजन है। पर इसमें अलग की जरूरत नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे एक निवेदन और करना था, जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा था कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ यह क्या वह कह गये, कुछ समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो आगे चलिये। यह कुछ नहीं था।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे सदन इजाजत देगा कि अपने संशोधन को वापिस ले लूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने पेश किया, उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने पेश किया उसे पास किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १९ व २०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १९ और २० स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ और २० विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज़ २१. श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २२, इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २३, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: यह आज डिस्ट्रिब्यूट हुआ था। मेरा एक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर): श्रीमान्, मैंने क्लॉज २२ और २३ के बीच में एक अलग क्लॉज़ २३ जोड़ने की मांग की है और मेरी यह प्रार्थना है कि २३ को फिर बाद में २४ कर दिया जाय। वैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मातहत भी आपको हक होगा कि आप इसे २४ बना दें।

क्लॉज़ २३ इस प्रकार है:

"Savings-The provisions of this Act shall not apply to the Khewatdars and Biswedars of the area covered by the Former Ajmer State and the definition of 'Biswedar' as given in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 will stand amended to this extent for the purposes of this Act."

तो श्रीमान्, यह है एक बहुत महत्वपूर्ण सेविंग क्लॉज़ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो बिस्वेदार की परिभाषा रखी, आपने केवल बिस्वेदारी को ही उसमें लिया। परन्तु श्रीमान्, मैंने कुछ समय पूर्व, अभी यह बतलाया था कि बिस्वेदार को, खेवटदार को, जिस रूप में जमींदार माना है उनको उस रूप में नहीं मानना चाहिये। श्रीमान्, यह बुरा न होगा, अगर मैं आपके द्वारा

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

राजस्व मन्त्री जी का एवं सदन का ध्यान इस ओर खींचें कि अजमेर एरिया में उन खेवटदार की स्थिति या बिस्वेदार की स्थिति वह है जो कि आज आप जिन आदमियों को डवेलपमेंट के लिये नई जमीनें देते हैं और पट्टे ग्रान्ट करते हैं। अगर आप उनका प्राचीन इतिहास देखें जैसा कि कर्नल डिक्सन ....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट में इतना बतला दें कि वे इन खेवटदार के स्टेट्स को क्या समझते हैं। अगर टिनेन्ट समझते हैं तो कौन सा टिनेन्ट समझते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, मैं उनके स्टेटस के बारे में ही बता रहा था कि आपने जमींदार और बिस्वेदार के स्टेटस को मालूम करने के लिए एक कमेटी बैठाई थी और उसने उसके बारे में इस चीज को मालूम किया और मालूम करके उनको एक स्टेटस बताया। आपने गंग-कैनाल के अन्दर बैठने वालों को या गंगानगर एरिया में जिन लोगों को इन्क्ल्यूड किया है बिस्वेदारों की परिभाषा में, उनके बारे में एक क्वेश्चेनेयर बनाया जो कि इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है। जो क्वेश्चेनेयर था वह यह था :

The points raised by us & the gist of the Collector's report thereon are given below.

मैं उसका रिपीटीशन नहीं करना चाहता लेकिन आपने कलेक्टर से उसके लिए रिपोर्ट मांगी और वह इसके अन्तर्गत है। मैं उनके स्टेटस के बारे में बता रहा था कि हमारे यहां भाईचारे का सिद्धांत था और जो सिद्धांत मूलभूत वर्षों से चलता आया था उसका परिपालन खेवटदार करते थे कि 'सबै भूमि गोपाल की' यानें भूमि उसी की है जो कि उसको काश्त करता है। जो भूमि काश्त करता है भूमि उसी की होनी चाहिए और अगर आप इन लोगों के पास जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि न तो उनके पास कोई जमीन के पट्टे मिलेंगे और न उनके पास ओनरशिप मिलेगी ....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अर्ज करूंगा कि आप एक दफा यह तो बता दें कि टिनेन्सी में कौन से टिनेन्ट्स शामिल करना चाहते हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : पहले मैं उनका इतिहास बता रहा हूं और फिर आपको यह भी बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सैटिलमेन्ट में उनका कोई स्टेटस तो डिटर्मिन होगा ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : उनको फ़ुल प्रोप्राइटरी राइट्स भी हैं। काश्त करने के लिए भी हैं और काश्त भी करते हैं और इन लोगों ने जो जमीन ली है वह खेती करके नहीं। ६६ पर्सेंट वे लोग हैं कि जिन्होंने जमीन जो पड़ी हुई थी उसी को ले लिया और काश्त के काबिल बना लिया। जो जमीन पड़ी हुई थी उसको दुरुस्त किया, उसमें कुए खुदवाये, इनके ऊपर एम्बैंकमेन्ट बनाये और उसी जमीन पर काफी समय से काश्त करते आये हैं और उसी जमीन के वे मालिक हो गए। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ७ के मातहत जो कोई आदमी गांव की जमीन को साफ करके और उसमें कुछ इन्वेस्टमेन्ट करके खेती करने लग

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

गया वह उसी का मालिक बन गया ....

श्री अध्यक्ष : तो यह काश्तकार हैं या मालिक।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : काश्तकार हैं

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इनको क्या कहेंगे ? खातेदार या गैरखातेदार।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप इस बात को मानकर चलें आपने तो डिफाइन कर दिया। जो आपने खातेदार की परिभाषा रखी इनकी स्थिति वही है। आपने थोड़ी सी लिमिटेशन रखी है और उन पर वह लिमिटेशन आज की स्थिति में नहीं है। आज उनको कुछ राइट्स मिल गए क्योंकि आपने उनको ओनरशिप देकर खातेदार को राइट्स ट्रांसफर की हैं। आपने रेस्ट्रिक्शन रखी हैं और कुछ लिमिटेशन्स रखी हैं, इसके अलावा इनकी स्थिति में और काश्तकार की स्थिति में कुछ फर्क नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अध्यक्ष महोदय, एक चीज और जानना चाहता हूं कि खेवटदार और बिस्वेदार के राइट्स में क्या फर्क है, यह आप जरा अर्ज कर दें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : बिस्वेदार और खेवटदारों के पूरे राइट्स तो मैं नहीं बता सकता, अगर आप रिपोर्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि जो अन्तर पड़ता है वह यह पड़ता है कि ये लोग हजारों वर्षों से खेती करते हैं, आप उनको बेरोज़गार बनाना चाहते हैं जिनके होल्डिंग्स एक बीघा से ज्यादा के नहीं है और एवरेज होल्डिंग ....

श्री अध्यक्ष : क्या वह इस एक्ट से कवर होंगे ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : जी हां। वह इससे इफेक्ट होंगे .

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खुद काश्त की जो जमीन है उसके लिए प्रोविज़न है कि वह उनके कब्जे में बदस्तूर रहेगी। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह कैसे इससे इफेक्ट होंगे। लैंड रेवेन्यू वह स्टेट को दे रहे हैं सो वे देते रहेंगे, ऐसा प्रोविज़न इसमें हमने रखा है। फिर कैसे इफेक्ट होंगे ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आज उनके जो राइट्स हैं उनको, फुल ट्रांसफर के राइट्स हैं उनको इससे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। मैं आप को बताऊं कि उसकी वजह से उनका जो राइट ऑफ ओनरशिप है उसके ऊपर इफेक्ट आयेगा। दूसरे, कोई उन लोगों का स्टेटस देखने जायें तो उन लोगों का जिन्होंने जमीन को डवेलप कर लिया उसी को ओनरशिप का राइट दे दिया बाई विरच्यू ऑफ सेक्शन ७'। आपको अगर ओनरशिप शब्द से नाराजगी है तो यह तो लेजिस्लेशन की चीज है। अगर हम अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितिय पंचवर्षीय योजना को देखें तो स्टेट और काश्तकार के बीच में जो ओनरशिप है, जो इन्टरमीजरीज हैं उसको एस्टेब्लिश करें बल्कि टिनेन्ट्स को ओनर नहीं कहा जाये। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है और जो स्कीम है और उसके जो प्लानर्स हैं उनके शब्द कहकर सुनाता हूं ....

श्री अध्यक्ष : खेवटदार तो जमीन किसी को देता है तो क्या लीगली कुछ वसूल कर सकता है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : लीगली १/६ कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने पेश किया, है यह है : with regard to the Savings. यह या तो रिपील या सेविंग का क्लॉज़ होता है या फिर यह पहले कहीं आना चाहिए It extends to the whole State of Rajasthan. जो क्लॉज़ वन है उसमें यह अमेन्डमेन्ड पेश किया जा सकता है excepting the area of the previous Ajmer State. मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल मिसफिट है। हमारे सामने तो रिपील का क्लॉज़ है और अजमेर स्टेट के खेवटदारों के ऊपर यह एप्लाई भी नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट विद्इन दी स्कोप ऑफ दी क्लॉज़ नहीं है, इसलिए इसको डिसअलाऊ कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जिस तरह से इस मस्ले पर बहस हो रही है उससे तो यह तय होने वाला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपका अमेन्डमेन्ट पास होना चाहिए तो आप एक जगह बैटकर बात कर लें। इस तरह से इस पर डिबेट हो और बहस हो तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम होल्डऑन कर लेते हैं और आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बातचीत कर लें और जो आप डिटेल्स बता रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं और जो क्वेरी राजस्व मन्त्री जी कर रहे हैं उन सब बातों को सदन के समक्ष न करें। आप इस विषय में राजस्व मंत्रीजी से बात कर लें और फिर उसके बाद में बहस करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री श्रीमानसिंह : यह तो मूव हो गया है अमेंडमेंट।

श्री अध्यक्ष : We will hold it on.

श्री दामोदरलाल व्यास : He has in fact not moved the amendment.

अभी तो आप बता रहे हैं कि प्लान में क्या है। मोमेन्टम तक अभी आये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : रेफर कर सकते हैं या जैसा चाहें कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Actually the Hon'ble Member from Jaipur has taken a very valid objection.

कि इस तरह से यहां सेविंग क्लॉज नहीं आ सकता।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह बाद में भी आ सकता है। इस बात का तो स्पीकर साहब को हक है कि क्लॉज़ ३ के बाद में आये या कहां आये। परन्तु उस रोज यह बिल नहीं आने वाला था और अचानक ही म्युनिसिपल बिल आ गया। उसके बाद में यह बिल फिर अचानक आ गया था। तो यह ऐज़ (क्लॉज़ ४) रख सकते हैं। दूसरे आपको एक भ्रम हो रहा है। सदन के भी जो मेम्बर हैं उनके सामने मैं फिर दो उद्धरण दूंगा और आपके द्वारा सदन को अध्यक्ष महोदय, सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा कि इसकी इन्टेन्शन क्या है कि एबोलिशन ऑफ इन्टरमीजियरीज़ के पश्चात् हमारे देश का क्या नक्शा होना चाहिए। यह प्लॉनर्स ने बताया है। और प्लॉनर्स के ही शब्द आपको फिर कोट करूंगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जो ऑब्जेक्शन या पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है उसकी मैं ताईद करता हूँ। आप तय करें कि ऐसा अमेंडमेन्ट इस समय में ला सकते हैं क्या ? दूसरी, बात राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में बिस्वेदार और जमींदार को डिफाइन किया है तो उसमें साफ तौर से लिखा है It will not include Khewat of the Ajmer State. There will be a Biswedar but for the purpose of pay of compensa tion of Zamindari he will not be...

इस तरह का अमेंडमेन्ट ला सकते हैं क्या ? इसको आप तय करें बजाय इसके कि हिस्ट्री जो माननीय सदस्य बताना चाहते हैं और जो तीन चार रिपोर्ट्स का हवाला दिया उसमें क्या लिखा है I think that will be barred if you decide it.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस मामले को बहुत अहमियत देते हैं। अगर सदन स्वीकार करता है तो इसको किसी भी जगह एड्जस्ट कर सकते हैं।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : अगर मान लीजिये कि इसको सदन स्वीकार कर लेता है तो यह चेप्टर ३ में जायेगा या ४ में जायेगा क्योंकि थर्ड चेप्टर जो है वह तो Assessment and payment of compensation. और फोर्थ है Appeal revision and Reveiew.

श्री अध्यक्ष : उनका तो मतलब है कि नया क्लॉज कहीं पर भी एड्जस्ट कर दिया जाये।

श्री तनसिंह : बाद में जो सेविंग क्लॉज़ आयेगा उसी समय इसको ले लेंगे ताकि उनका पॉइन्ट भी ठीक समय पर आ जायेगा। अगर इस पर बहुत ही अहमियत देना चाहते हैं तो किसी जगह पर रख देना चाहिये। सेकिण्ड रीडिंग हो रही तो उस समय ला सकते हैं। वरन् यहां पर पास कर दिया तो यहां पर फिट इन नहीं होगा। यह न तो चैप्टर ३ में होगा और न चेप्टर ४ में।...

तो कभी इस समय बहस होकर बाद में तय करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से यह उस समय तय हो जब कि सेकन्ड रीडिंग खत्म हो रही हो या थर्ड रीडिंग शुरू हो रही हो या क्लॉज़ १ पर डिस्कशन हो रहा हो उस समय ले लें।

श्री अध्यक्ष : यह क्लॉज़ १ में नहीं आयेगा। क्लॉज़ १ को लेने से पहले कर सकते हैं।

श्री तनसिंह : डिसक्स कर लें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : क्लॉज़ ३ से पहले में आयेगा जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार करने के बाद जहां आप कहेंगे वहां रख देंगे।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसके मायने यह नहीं है कि जो स्थिति है वह आपके सामने नहीं रखूं ?

श्री अध्यक्ष : आपको अवश्य मौका दिया जायगा, स्थिति सामने रखने का।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल : वर्तमान को भूतपूर्व का ध्यान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मेरा ख्याल है

(श्री अध्यक्ष)

कि सारे एक्ट में सेविंग क्लॉज़ हर चेप्टर के बाद में आती है उस स्टेज पर जैसा कि माननीय तनसिंह जी ने कहा वह ठीक है, ले लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वे मूव कर चुके उसके बाद में ले सकते हैं ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मूव मैंने कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभी आप अपना भाषण दे रहे हैं, मूव नहीं किया है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मूव करके बोलना शुरू किया है । मुझे बहस मौका दें चाहे वह स्वीकार हो या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आपका दृष्टिकोण सदन के सामने जरूर आयेगा ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं मूव कर चुका हूँ और आधार बोल भी चुका हूँ । अब १० या १५ मिनिट में खत्म कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : बहस अधूरी है वह पूरी कर लेने दें । डिसीजन बाद में ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है कि १० मिनिट और बोल लें ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था यह कहना गलत है कि अगर हम मध्यस्थ को समाप्त करने जा रहे हैं तो उसके बाद में जिन लोगों को काश्तकार बनाया जायगा, केवल उसको मालिक बनाने की योजना है । इस बिल को आप देखेंगे तो वास्तव में जिस प्रकार से कि यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है इसमें सारी स्कीम यह है कि इन्हें सरकार मालिक के रूप में रखे । काश्तकार को हमेशा के लिए काश्तकार बनायें यह बिल की रिपरिट के कतई नहीं है । वहां ऑनर्स का नाम आया उन्होंने कहा कि मध्यस्थ हैं, जो टिलर्स ऑफ दी सोइल और सरकार के बीच में मध्यस्थ हैं उनको समाप्त करने की चीज है । इसलिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के पैरा १७ पेज १९० में दिया गया है ।

"Keeping in view the limit for resumption of personal cultivation, we suggest that for areas in excess of this limit the general policy should be to enable the tenants to become owners. First tenants have to be given security of tenure which could well extend to the conferment of occupancy rights."

They dont' settle. They always remain as tenant. सेकिन्डली, "We suggest that there is advantage in the Government establishing direct contact with tenants upon whom these rights are conferied and collecting land revenue from them rather than owners,' आपने रखा है कि जो टिनेन्ट है वह हमेशा के लिए टिनेन्ट रहेगा और रेन्ट देगा । मेरी प्रार्थना है कि वह लैंड रेवेन्यू देगा ।

There is a distinction between payment of land revenue and rent. This is here that direct contact with tenants upon whom these rights are conferred and collecting land revenue from them rather than through own-

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

ners the price of land being recovered along with the land revenue फिर पैरा २० के अन्दर फर्स्ट फाइव इयर प्लान में कहा है, आगे कहा है—

"The general aim of the policy should be to encourage and assist these owners to develop their production and to persuade them to organise their activities, as far as possible, on Co-operative lines."

The intention of the Planners is that they should be as owners. The should pay land revenue instead of rent.

श्री मोहनलाल भटनागर : खातेदार क्या पे करते हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : लैण्ड रेवेन्यू देंगे और आपने रखा है कि रेन्ट देंगे। उसमें रैन्ट और लैण्ड रेवेन्यू में डिफरेन्स है। डिफरेन्स नहीं हो तो आपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर लैण्ड रेवेन्यू और रेन्ट के अन्दर डिफरेन्स रखा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेन्ट में और उसमें क्या फर्क है। क्लॉज ३२ है, सेक्शसन ५ उसमें है न "rent" shall mean whatever is in cash or in kind or partly in cash and partly in kind payable on account of the use or the occupation of land or on account of any right in land and unless the contrary intention appears, shall include sayer."

This is always that the rent is paid payable by whom, by the tenant. and in fact the rent is paid by the tenant.

श्री दामोदरलाल व्यास : खेवटदार की कहीं कोई डेफिनिशन है दुनिया में ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसमें है कि जिसने कोई कुआं बनाया है, उसको डेवलप किया है तो सेक्शन ७ में वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो लैण्ड रेवेन्यू में डिफाइन्ड है वह इस प्रकार से है: "Revenue" shall mean land revenue, that is to say the annual demand payable directly to the State Government or any account what so ever in respect of land or of any interest in or use of land and shall include assigned land revenue." आपने जमीं, दारी और विस्वेदारी के उन्मूलन में दिया है उसके अन्दर डिस्टिंक्शन रखा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप डिस्टिंक्शन को वाइप ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन you have made a distinction.

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि खेवटदार अपने टिनेन्ट से रेन्ट ले सकता है और गवर्नमेंट को लैण्ड रेवेन्यू देता है। तो गवर्नमेंट और टिनेन्ट के बीच में वह इन्टरमीडियरी हुआ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इन्टरमीडियरी नहीं है। आप यह कहना चाहते हैं वह ठीक है। लेकिन एक परिभाषा के अन्दर एक सिस्टम को मानकर चलते हैं और जिस डिस्टिंक्शन को आप लेकर चलते हैं और लैण्ड रेवेन्यू देते हैं वे टिनेन्ट भी इस हिसाब से दूसरे काश्तकार को नहीं दे सकते हैं। खातेदार टिनेन्ट को भी सबलैट करने का अधिकार दिया है। सेकन्ड और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अन्दर भी जिनको दिया है उसके लिए प्रोविजन है कि वह सबलैट कर सकेगा। The principle is there.

श्री अध्यक्ष : बहुत लिमिटेड कन्डीशन्स में।

श्री ब्रजमोहनलालशर्मा : ५ साल से कम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टेटों में आप देखेंगे तो कहीं दो साल के लिए सबलैट करने की पॉवर्स दी हैं, कहीं तीन साल के लिए दी हुई हैं :

The principle is there. The power of subletting has been given to the tenants. आपने यह भी नहीं रखा है। आपने प्रोविजन रखा है। एक विधवा को सबलैटिंग के पॉवर्स दिये हैं और ऐसी कन्डीशन्स के अन्दर पॉवर्स दिये हैं।

दूसरा, श्रीमान्, पैरा ५ के अन्दर आपने रखा है। "There is a great deal of difference between a 'land owner' and a 'tenant' and the Collector obviusly got confused when he made the above statement."

मेरा, श्रीमन्, यह कहना था कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में आप देखेंगे तो भी उसके अन्दर ओनर्स क्रियेट करने के लिए टिनेन्टस को खत्म करके उनको मालिक बना दिया जाय। यह इन्टेन्शन है। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर वर्ड (ओनर) यूज किया है। They pay land revenue. आपने राजस्थान जागीर बिल बनाया है उसमें लैण्ड रेवेन्यू यूज किया है you have not used rent सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में लैण्ड पॉलिसी का चेप्टर है उसके अन्दर पैरा ११ है, उसमें है :

"On abolition of intermediaries, the multiplicity of tenures has deen greatly reduced and for the most part tenants holding lands under intermediaries have become owners of land. It is desirable that a fairiy uniform pattern of ownership should be evolved which conforms to certain commonly agreed rights and obligations."

They have not used the word 'ownership'.

टिनेन्ट को टिनेन्ट बना देते हैं तो करते क्या हैं? कुछ भी नहीं किया है आपने।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): ओन पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जमींदारी एबोलिशन होने के बाद उसका क्या होगा? टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत आयगा और जो इसके अन्तर्गत आवे, वे सारे टिनेन्ट्स होने चाहिए। सारे टिनेन्सी एक्ट की चीज को आप यहां लाना चाहते हैं तो यह इलप्लेस्ड है। This is ill placed here. This is not clear.

श्री बृजमोहनलालशर्मा : यह क्या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर हुआ? किसी रूल का रेफरेन्स तो दे दीजिये, This is not point of order. If you want to raise a point of order, then it should be some thing against the Constitution or.

श्री सोहनलाल : It is irrelevant and against this particular bill.

श्री अध्यक्ष : अब आप अपने ऑर्ग्यूमेन्ट्स थोड़े में समाप्त कर दीजिये।

श्री भानसिंह : खेवटदार की डेफीनिशन अजमेर एक्ट में है क्या ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : नहीं है।

श्री तनसिंह : खेवटदार द्वारा सबलैट करने का कंसीड्रेशन अजमेर में हैं या नहीं ? सब-टिनेन्ट से वह कितना लगान वसूल कर सकता है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : दूसरों को जो सबलेटिंग के पॉवर्स हैं वे ही पॉवर्स उनको भी हैं । दूसरे शिकमी काश्तकार भी हैं वहां पर ।

मैं श्रीमान्, इसलिये आपके सामने प्रार्थना कर रहा था कि उनकी स्टेटस के लिये गुंजायश है तो उसको मालूम करने के लिये कमेटी बैठा दीजिये । सरकार के सामने सारे कागजात हैं, चार चार एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है । 'डेलपिन, केवेन्डिश,-लालसिंह शक्तावत जो इस हाउस में भी हैं उनकी रिपोर्ट मौजूद है, उनको देख लीजिए । दूसरी बात यह है कि प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की पॉलिसी कमेटी ने भी एग्जेम्पशन ग्रान्ट किया है । अजमेर एक्ट में भी साफ लिखा है ।' इन्टरमीजियरीज़ के बारे में अमेन्डमेन्ट भेजा है, लेकिन आपने इसे इन्क्ल्यूड नहीं किया है, लेकिन परिभाषा जहां होगी वहां खेवटदार शामिल नहीं होंगे । मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया था यह प्रश्न डिसाइड हो चुका है, इसलिये खेवटदारों और बिस्वेदारों को एबोलिश नहीं किया जाय, क्योंकि वे इन्टरमीजियरीज़ नहीं हैं । अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरी लॉ एन्ड ऑर्डर की प्रोबलम सरकार के सामने आने वाली है । इसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो आप इसे पास करिये । मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता था और यह बताना चाहता था कि यह स्थिति है, उसके बाद भी आप यह मानते हैं कि वे जमींदार हैं तो आप मानें, लेकिन कम से कम बाद में सरकार यह न कह दे कि हमारे सामने यह स्थिति नहीं थी इसलिए बिल पेश किया था कि खेवटदारों को इन्टरमीजियरीज़ मानकर पास किया था । जिस समय अजमेर असेम्बली में बिल पेश किया था, एज़ इन्ट्रोड्यूस्ड इन दी हाउस, उसमें जो डेफीनिशन इन्टरमीजियरीज़ की दी थी वह आपको बता दूं :

"An intermediary is a holder of a estate and includes stamrardar, a minor jagirdar, a Bhomiya......holding any land in the estate of a..." इसके बाद सदन के अन्दर सर्वसम्मति से यह राय दी थी जिन्होंने वर्षों तक इस फील्ड में काम किया था........

श्री दामोदरलाल व्यास : I wanted to know from the Hon'ble Member whether a Khewatdar is a Biswedar or not ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा :Khewatdar is not a Biswedar.

श्री दामोदरलाल व्यास : I may draw the attention of the Hon'ble Member to the definitions of Biswedar as defined in the Ajmer Act and if permitted I will read out them. May I read out, Sir ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : वह मुझे मालूम है । डेफीनिशन बता दूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We will like to know, प्रजेन्ट और पास्ट का झगड़ा है He is preset and you are past.

श्री दामोदरलाल व्यास : 'Biswedar' means any person who is recorded as plot proprietor in the settlement

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Khewat of 1874 and is continuously to recorded since, or who, but for an error or omission, would have been so conitnuosly recorded and, खेवटदार रिकॉर्ड हो गया। इससे बिस्वेदार की डेफीनिशन में नं० १. यह है :

any member of the proprietary body who becomes an owner of land under Section 7 of the Ajmer Land and Revenue Regulation, 1877, or any person who becomes, or is declared, a Biswedar under the provisions of this Act, and includes a person admitted to the occupation of land under a lease guaranting hereditary rights of ownership and enjoyment on condition of his permanently developing such land by sinking a well or otherwise, and who accordingly developed such land and was before the commencement of this Act recorded as plot proprietor there of in the khewat;" यह है डेफिनिशन।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : बिस्वेदार की है खेवटदार की नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह कौन है ?

श्रीबृजमोहनलाल शर्मा: आपने आग्युमेंट दिया, इसकी परिभाषा बता दी। इसके आगे मैं यह बता दूं कि हमने यह भी लिखा है कि जो बिस्वेदारी है उसकी स्टेटस मानी जायगी यह खेवटदार है लेकिन यदि आपके कहने का अभिप्राय यह हुआ कि किशनपोल बाजार जयपुर में है, और त्रिपोलिया बाजार भी जयपुर में है, इसके मायने यह तो नहीं है कि त्रिपोलिया बाजार में जयपुर भी शामिल है। आपने जो आँग्युमेंट दिया वह यह है कि एक छोटी चीज़ में बड़ी चीज है तो बडी चीज में छोटी चीज भी होगी, यह बात नहीं है। मैं तो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था। उसके बावजूद भी आप इसे करना चाहते हैं तो मैं अपना अमेंडमेंट वापिस ले लूंगा, लेकिन मैं वापिस अर्ज कर दूं कि एक मौका ऐसा आया था जब भारत सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर साहब अजमेर आये थे, वे उन गांवों की तरफ गये थे जहां खेवटदार थे। उस समय मैंने नन्दा जी को बताया कि आप जिन खेवटदारों को एबोलिश करना चाहते थे वे ये ही लोग हैं, तारागढ़ में मीटिंग हुई थी उस समय की बात है। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में जो एग्जेम्पशन दिया गया है वह ठीक दिया गया है। इसके बाद भी यदि गवर्नमेंट कटिबद्ध है तो आप जैसा चाहे वैसा करिये। डिसिजन आपका है। कम से कम आप यह न कहें कि हमको इतिहास मालूम नहीं था इसलिये कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। क्लॉज़ ३ के बाद में भी आप इसे रख सकते हैं और लास्ट में भी सेविंग क्लॉज़ रख सकते हैं, इसके लिये स्पीकर साहब को पूरा हक है। मैंने जो कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं उनको मानकर चलेंगे तो आसानी होगी। नहीं तो कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि आप फिर संशोधन लावें। इसके पश्चात भी आप लाना चाहते हैं तो आप की मर्जी है। इन शब्दों के साथ मैं इसको प्रैस करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब भी बहस की गुंजायश है क्या ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसमें

(श्री श्रीभानसिंह)

बहुत गुंजायश है । यदि इसे एक्सेप्ट किया जायगा तो बहुत बेजा होगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है । अजमेर को हमेशा राजस्थान में एक्सेप्शन बनाया जाता है और वहां के एक्स रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट रखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि अजमेर विधान सभा ने यूनेनिमसली इसे पास कैसे कर दिया । इन्टरमीजियरीज़ को रिमूव करना चाहते थे फिर खेवटदारों को एक्सक्ल्यूड कैसे कर दिया, ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि खेवटदार सबलैट करते हैं और सब-टिनेन्ट्स से रेन्ट वसूल करते हैं और गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनके दृष्टिकोण में किस आदमी को इन्टरमीजियरी बनाया है । क्या जमींदार इन्टरमीजियरी है जो रेन्ट लेता है, और लैंड रेवेन्यू पे करता है, वही सिर्फ इन्टर-मीजियरी है और जो दूसरे लोग हैं वे गवर्नमेंट की नजरों में इन्टरमीजियरीज नहीं हैं, चाहे वे एक्सप्लोइट करते रहें........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : जो खातेदार लैंड रेवेन्यू पे करते हैं वे इन्टरमीजियरीज हैं या नहीं जो सबलैट भी करते हैं, इसमें आपने प्रोविजन दिया ?

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) मैं यह एक्सप्लेन कर रहा था कि खेवटदारों को इन्टरमीजियरी नहीं माना अजमेर में और...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, मैंने आपके द्वारा एक क्वेरी भी दी थी उसका जवाब नहीं मिला एक खातेदार गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देता है और टिनेन्सी एक्ट के अनुसार उसको सबलैट करने के पॉवर हैं ।

According to the Rajasthan Tenancy Act he an intermediary according to the definition which you have given

श्री अध्यक्ष : A Khatedar can perpetually sub-lease but not a tenant,...

श्री बृजमोहनलाल : इसमें भी यह है कि खातेदार को प्लान्स में रखा है वह आप ५ साल से कम नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष : Not under our Tenancy Act.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा:गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी रखी है, जिनको ओनर बनाया है उनको रेन्ट लेने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : Out State is not Progressive.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : पर्मानेन्ट देते हैं, तो पर्मानेन्टली देने के मायने हैं कि पर्मानेन्ट मालिक बना देते हैं । पर्मानेन्ट लीज दे देते हैं तो और अच्छी बात है ।

श्री श्रीभानसिंह (जारी) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि जो खेवट-दार टिनेन्ट हैं, उनको आपने आइडेन्टीफाई किया । माननीय सदस्य ने बिस्वेदार के साथ में उनको आइडेन्टीफाई किया है । वे चाहते हैं कि उनकी पोजिशन के राजस्थान में जो टिनेन्ट हैं, उनको राजस्थान में एबोलिश कर दिया जाय । मगर अजमेर में उनको सुरक्षित रखा जाय, क्यों कि उनको अजमेर जमींदारी एबोलिशन एक्ट में सुरक्षा दी थी । एक तरफ तो आप चाहते हैं कि इन्टरमीजियरीज़ नहीं रखने चाहिए और दूसरी तरफ इन्टर-मीजियरीज़ को आप रखना चाहते हैं । तो हमारे इस एक्ट में इतना डिस्क्रिमिनेशन अजमेर के फेवर में क्यों हो ? कहीं दूसरे नाम से

(श्री श्रीमानसिंह)

हो इन्टरमीजियरीज़, उनके लिए वे अमेंडमेंट पेश करें कि उनको एबोलिश न किया जाय, उनके पास सबलैट करने का राइट होना चाहिए, रेट कलेक्शन का राइट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह क्लॉज रहेगा तो एक डेन्जर्स क्लॉज रहेगा और लैंड रिफार्म्स के अन्दर, अजमेर के अन्दर लैंड रिफार्म से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंचाया जा सकेगा। मैं समझ नहीं सका कि अजमेर असेम्बली ने इसे (यूनेनियसी) पास किया या नहीं, यह नहीं कह सकता, लेकिन खेवटदार का मतलब है खातेदार टिनेन्ट से, इससे बिस्वेदारी एबोलिशन में फर्क नहीं पड़ता है, अगर खेवटदार का मतलब है गैर खातेदार से, तो भी उसकी पोजिशन में फर्क नहीं पड़ता है। इससे तो उन लोगों को इफेट पड़ता है जो जमींदार हैं, जो रेंट कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कहीं कभी सैटिलमेंट हुआ था तो कौन कितना लैंड रेवेन्यू पे कर रहा था। गवर्नमेंट और काश्तकार के बीच में चाहे खेवटदार के नाम से हो, चाहे बिस्वेदार के नाम से हो, चाहे जमींदार के नाम से हो, जिस किसी नाम से जो इन्टरमीजियरीज़ आते हैं, उनको इफेट होता है। माननीय सदस्य, इस प्रिन्सपल को एक्सेप्ट करते हैं कि एबोलिशन किया जाय, प्लानिंग कमीशन भी एडवाइज करता है कि इन्टरमीजिरीज को एबोलिश किया जाय, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो ओनरशिप के लिए कहा है, उसको आपने ठीक तरह से समझा नहीं। ओनरशिप का राइट देना चाहिए टिनेन्ट को, और टिनेन्ट की डेफीनिशन में खेवटदार आता नहीं है। हाउस के अन्दर एब्सोल्यूटली कह दिया है कि वे इन्टरमीजियरीज हैं। अब उनको सुरक्षित रखने के लिए आर्ग्यूमेन्ट दिए, वे ऐसे दिए, मुझे माननीय सदस्य माफ करें, अगर मैं कहूं कि उनको कन्फ्यूजन था, उनकी पोजिशन वे खुद एक्सप्लेन नहीं कर सके, कि उनकी क्या पोजिशन है, क्या स्टेटस है। उसके कोई राइट्स होते तो उसको टिनेन्ट माना जाता। टिनेन्ट मान कर करते हैं तो टिनेन्ट जब होता, तो यह प्रश्न हो सकता था कि जमींदारी एबोलिशन से राइट लिए जा रहे हैं, उसके राइट्स कम हो रहे हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि राइट्स थोड़े बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, राइट्स कम होने का प्रश्न नहीं है। अब आप कहें कि खेवटदार इस पोजिशन के हैं उनको एबोलिश न किया जाय क्यों कि अजमेर एक्ट ने नहीं किया था, आप अजमेर एक्ट में इन्टरमीजियरीज को बदस्तूर रख सकते हैं, मगर राजस्थान की जो कांग्रेस नीति है, जो प्लानिंग कमीशन का आदेश है, वह यह है कि इन्टरमीजियरीज को रखना नहीं है। तो फिर आप उनको क्यों क्रियेट करते हैं। आप उनकी पोजीशन एक्सप्लेन करते, वह बताते कि क्या नुकसान होगा, तो यह माना जा सकता था कि उसको लैंड रेवेन्यू डिपोजिट करने का राइट होना चाहिए, टिनेन्ट्स को एक्सप्लोइट करने का राइट होना चाहिए। यानी आप डेमोक्रेसी के जमाने में प्लीड करते हैं कि उन आदमियों के राइट होने चाहिए जो सब टिनेन्ट हैं, उनकी जमीन प्रोपर्टी नहीं है, मगर सब-टिनेन्ट की प्रोपर्टी बनी रहे। मैं नहीं समझता कि यह आर्ग्युमेन्ट कहां तक लागू हो सकता है कि अजमेर के हिस्से में जो खेवटदार हैं उन पर यह लागू नहीं हो सकता। इसलिए मुझे सिर्फ यह निवेदन करना था माननीय

(श्री श्रीमानसिंह)

सदस्य को, कि उन्होंने जो प्रोवीजो, अमेन्डमेन्ट या सेक्शन रखा है, उस सेक्शन के मुताबिक हमारे लैंड रेवेन्यू की प्रगति, राजस्थान में प्रगति करना चाहते हैं, जिस आर्डर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस एक्ट के जरिए से, वह अजमेर में लागू नहीं होगा जो कि राजस्थान का एक पार्ट है। राजस्थान का एक पार्ट है तो यह जरूरी है कि अजमेर के खेवटदार की पोजीशन कुछ भी हो, यह नहीं कहता कि अब क्या है। माननीय सदस्य इसे एक्सप्लेन करें, लेकिन यह लाजिमी है कि राजस्थान के अन्दर टिनेन्सी एक्ट होना चाहिए यह नहीं कि अजमेर के अन्दर किसी सर्कम्स्टान्सेज से एक्सेप्शन किया जाय, धौलपुर में एक्सेप्शन किया जाय, अलवर, भरतपुर में एक्सेप्शन किया जाय, एक ही टिनेन्सी लॉ होना चाहिए। कमीशन, ओमीशन या जेनीयस ऑफ दी प्लेस—इसके आधार पर देखें तो यह पॉलिसी सही नहीं है। अगर एक्सेप्शन के कानून रखे जाते हैं, ऐसा टिनेन्सी लेजिस्लेशन हो तो वह सक्सेस एचीव नहीं कर सकता है, अगर ऐसा सेविंग क्लॉज रहेगा तो अजमेर और राजस्थान के लिए यह क्लॉज घातक रहेगा। आप इन्टरमीजियरीज को एबॉलिश करने जा रहे हैं, तब ऐसा सेविंग क्लॉज रख कर अजमेर के खेवटदार को मेन्टेन रखेंगे, एक सीन लगा देंगे कि वे पर्मानेन्ट हैं तो वे जिस प्रकार अब तक एक्सप्लोइट करते आए हैं उसी प्रकार आगे एक्सप्लोइट करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं माननीय सदस्य को, यदि यह क्लॉज इन्सर्ट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेटली एक जगह इन्टरमीजियरीज को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी जगह मेन्टेन करते हैं और तीसरे लैन्ड रिफार्म्स की पॉलिसी है, उसके खिलाफत में जाते हैं। इन तीनों सर्कम्स्टान्सेज को देखते हुए माननीय सदस्य को यह अमेंडमेंट प्रैस नहीं करना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो खेवटदार शब्द की परिभाषा अभी माननीय सदस्य, जो ब्यावर से आये हैं उन्होंने बताई और उन्होंने खेवटदार को न बिस्वेदार बताया न जमींदार बताया न खातेदार बताया। अब यह बात तय करने की है कि खेवटदार को यह विधान सभा क्या माने, ओहदेदार मान ले या अजमेर में सुपर्विजन करने वाला सुपर्वाइजर मान ले। हमें अब खेवटदार और खातेदार में फर्क देखना है। खेवटदार वह है जो जमीन को चाहे जितने समय के लिए किसी को दे सकता है। खातेदार के लिए सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इतना ही फर्क है। जैसे पहले स्टेट्स में जागीदार थे, जागीदारी के राइट्स थे, उनको ये राइट्स थे कि चाहे कितने ही साल के लिए जमीन दे सकते थे, ऐसे जागीदार के राइट्स भी खातेदारी राइट्स में परिवर्तित किये और रेस्ट्रिक्शन लगाया कि इतने साल तक जमीन वे दूसरों को दे सकेंगे। खातेदार के सब टिनेन्ट हैं उसके लिए टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें यह बात उन्हें जरूर रखनी चाहिये। अजमेर में ऐसा है वह बात दूसरी है। यहां जमींदार और बिस्वेदार का सवाल है और जमींदार और बिस्वेदार का जहां सवाल है, मैं समझता हूं कि जितने बिच्चोलिये हैं उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जो अपनी जमीन खुदकाश्त करते हैं उनका सवाल नहीं है। खुदकाश्त करने वाले खुदकाश्त करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह कहना कि यह बिल लाखों आदमियों को इफेक्ट करेगा, मेरी समझ में यह

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लाखों आदमियों को इफेक्ट करने वाला नहीं है, यह बिस्वेदार को ही इफेक्ट ही करने वाला है । अजमेर में जो बिस्वेदार जमींदार हैं, हम उनको खत्म करना चाहते हैं । आप जो खेवटदार और खातेदार में फर्क बता रहे हैं, उससे कन्फ्यूजन में उन्हें डाल दिया है । इसी प्रकार के पहले स्टेट्स में बापीदार थे, उसी प्रकार खेवटदार हैं । बापीदार अपनी पूरी जमीन वेच सकता था; और चाहे कितने ही साल के लिए सब-टिनेन्ट को दे सकता था, उन्हीं बापीदार को खातेदारी राइट्स दिये और उन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिये । जब फिफ्थ टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल आये तो आप उसमें इसका समावेश करा सकते हैं और यह करा सकते हैं कि खेवटदार के पूरे राइट्स हों याने चाहे जितने दिन सबलैट कर सकता है । यह सवाल यहां नहीं है यहां पर जमींदार और बिस्वेदार का सवाल है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने काफी इसको स्पष्ट कर दिया है । मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है बमुकाबिले कोई खास बुनियादी बात हो । खेवटदार अजमेर में है, इसमें दो राय नहीं है । जैसा माननीय सदस्यों ने बताया, माननीय सदस्य, जो ब्यावर से आये हैं, उनको एक बात बतानी चाहिए कि खेवटदार का क्या स्टेटस वे रखना चाहते हैं । वे अपने एक्ट के अन्दर मंजूर करते हैं कि वे खातेदार काश्तकार नहीं हैं । वे कहते हैं ऑनर्स है वह ऑनर्स हैं नहीं क्योंकि खातेदार काश्तकार नहीं हैं । आखिर एबॉलिशन ऑफ इन्टरमीजियरीज कम्प्लीट कर लेंगे तब कहीं न कहीं उनको रखना पड़ेगा....

अगर बिल्कुल अलग क्लॉज़ बनाना चाहते हैं तो उनको टिनेन्सी एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट करने के लिये नये क्लॉज का अमेंडमेंट लाना चाहिये । पर जैसा कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, बिस्वेदार, खेवटदार, पट्टेदार, बपौतीदार भी काश्तकारों के श्रेणी में आते हैं । इस तरह अलग अलग जगह अलग अलग हैं पर हमने राजस्थान के लिये एक यूनिफार्म लॉ बनाया है । अजमेर में लागू किया है तो जून १६५८ के बाद से राजस्थान टिनेन्सी लॉ से वह गवर्न होता है, उस राजस्थान टिनेन्सी लॉ में खेवटदार की क्या पोजिशन है ? जहां इन्टरमीजियरीज का सवाल आये वहां तो माननीय सदस्य कहते हैं कि उसको खत्म कर दिया जाय, फिर खेवटदार को किस जगह रखना चाहते हैं, क्या उसे रिजम्प्शन से एक्सक्लूड कर दिया जाय ? मैं समझ नहीं सका कि रिजम्प्शन से खेवटदार को क्या नुकसान होता है, जब कि वे कहते हैं कि खेवटदार एक बिस्वा, दो बिस्वा, तीन बिस्वा के काश्तकार हैं । मैं कहता हूं वे वही काश्तकार बने रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देते हैं वह बदस्तूर देते रहेंगे । ऑन दी अदर हैंड उसको यह लाभ और मिलता है कि कम्पेन्सेशन देते हैं । तो मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य इतने नरवस हैं और कहते हैं कि उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाय । हम तो यह कहते हैं कि जो प्रोप्राइटरी एस्टेट उनकी है उसको कभी खत्म नहीं करना चाहते ....

We want that there should be tenant and a khatedar tenant. There should be no intermediaries. इसलिये वे खेवटदार, बिस्वेदार, बपौतीदार किसी तरह कहिये सबके एबॉलिशन के लिये यह कानून

Page No.63

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है । अगर उनका यह मतलब है कि इन खेवटदारों ने सब-टिनेन्ट्स रख रखे हैं और उनको इससे प्रोटेक्शन मिलता है, और वे चाहते हों कि उन जमीनों पर जिन पर कि सब-टिनेंट्स काबिज हैं, तो यह मैं स्वीकार नहीं करने का। यह हमारी लैंड रिफॉर्म्स की मंशा नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं । और माननीय सदस्यों ने यही विचार प्रकट किये हैं । इस पर बहस हो चुकी है, इस सारी बहस के बाद मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापिस लेने का विचार ही नहीं कष्ट ही करेंगे जरूर ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे की बातें हैं । जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कही हैं, वे कहते हैं तो वापिस तो लूंगा ही । एक मुद्दे की बात तो उन्होंने यह कही कि खेवटदारों की जगह नहीं दिखाई है ....

श्री दामोदरलाल व्यास - ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, एक मिनिट और अर्ज करना चाहता हूं, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कि खेवटदार राजस्थान लैंड रेवेन्यू में डिफाइन्ड हैं, उनको डिफाइन करने से पता चल जायगा कि उनका........ Whether they are estate holder or intermediaries. बिस्वेदार की अजमेर एक्ट से डेफीनिशन पढ़ कर सुनाऊं। खेवटदार उसी को कहेंगे जिसको खेवट में १८५० के रेगूलेशन में दर्ज किया है, वह खेवटदार है । खेवट शब्द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिफाइन किया हुआ है । अलग अलग जगह अलग अलग है । यह मैंने भी अर्ज किया है जैसा कि किशनगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि चापीदार, पट्टीदार हैं, वे तो सब खत्म हो गये हैं We have got only Tenancy Act of 1955. जिसके अन्दर दो तीन टाइप के टिनेन्ट्स के अलावा और कोई टिनेन्ट नहीं है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमन्, आपने कहा कि जिसका नाम खेवट में है वह खेवटदार है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि खातेदार रखे हैं उनका नाम भी खेवट में है........

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : खेवट में नहीं होते ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अजमेर के अन्दर एबोलिशन करने के बाद भी खेवट रखा है, जिसको भूस्वामी माना है । जो काश्तकार थे भूस्वामी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उनको वही हक हैं जो एक खातेदार को हैं, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । आज उनके राइट्स, स्टेट्स डिफाइन नहीं किये कि जिसने जमीन को इम्प्रूव किया वही जमीन का मालिक है । ६६ प्रतिशत काश्तकार हैं, ८० पर्सेन्ट तो वहां पहले खेवटदार काश्त करते हैं । देते भी हैं तो किसी दूसरे खेवटदार को ही देते हैं, जो यह क्लेम नहीं करते कि मुझे दे दी जाय । ऐसी सूरत में अगर किसी को दे दिया तो झगड़े होंगे । जो पोजिशन थी वह मैंने आपके सामने रखी। अगर फिर भी आप इसे नहीं लेना चाहते तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने जो संशोधन रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज २३। आपके (राजस्व मंत्री से) अमेंडमेंट्स हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २३ में मेरे अमेंडमेंट्स हैं। कल सदन में बहस हो रही थी और उसके दौरान में मैंने अर्ज किया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपीलेट ऑथोरिटी करना चाहते हैं। अपीलेट ऑथोरिटी की फाइनल ऑथोरिटी बोर्ड रेवेन्यू को बनाने का कहा था उसी के आधार पर यह अमेंडमेंट रखा है :

(1) ''In sub clause (1)-

- (a) substitute 'sixty days' for 'thirty days',
- (b) Substitute 'Board of Revenue' for 'Commission'.

(2) In sub clause (2)

- (a) Substitute 'Board of Revenue' for 'Commissioner' occurring first.
- (b) substitute 'it' for 'he' in line 2.
- (c) substitute 'Board' for 'Commission' in line 2 and.
- (d) Omit 'subject to any order passed in revision under section 24'.

२.१० म० प०

श्री निरन्जननाथ आचार्य, (उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह जितने भी अमेन्डमेंट हैं उसमें कमिश्नर के बजाय बोर्ड ऑफ रेवेंन्यू के अन्डर में होंगे, and the decision of the Board of Revenue shall be final. इसलिये मैंने यह सेक्शन २३ का अमेन्डमेंट रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २३ में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है और संशोधन रखते समय यह भी विचार प्रकट किये कि कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार था कि कमिश्नर के बजाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया जाए। मैं भी स्वयं इस विचार का था कि रेवेन्यू बोर्ड रखा जावे, लेकिन मैंने यह निवेदन किया था कि यदि कमिश्नर के स्थान पर रेवेन्यू बोर्ड होगा तो लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा और कन्सोलिडेटेड लॉ होगा और कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध जो भी अपील वगैरह हो उसके बाद मे रेवेन्यू बोर्ड में फाइनल डिसिजन के लिये जाना चाहिये। फाइनल डिसिजन रेवेन्यू बोर्ड में होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आशय नहीं था कि फर्स्ट अपील हो वह रेवेन्यू बोर्ड के सामने जावे। मेरा आशय यह था कि कमिश्नर के पास फर्स्ट अपील जाए और उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड को रिवीजन के पावर्स दिये हैं उसके स्थान पर सेकिन्ड अपील के पावर हों और सेकिन्ड अपील रेवेन्यू बोर्ड में रखी जावे। वर्ना इसमें थोड़ी सी लोगों को आपत्ति होगी। उन्होंने इसको स्वीकार किया है मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर यह फर्स्ट अपील के बारे में नहीं होता तो ज्यादा सहूलियतें मिल सकती हैं। मान लें कि कलेक्टर भरतपुर और कलेक्टर अलवर ने किसी केस में निर्णय दिया। उन्होंने १०० मुकदमें डिसाइड किये और उन १०० मुकदमों के विरुद्ध अपील होगी। १०० में से ७० लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट अपील करेंगे। जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

७० लोग हों वे फर्स्ट अपील कमिश्नर के पास करें। उसके बाद में २० या ३० व्यक्ति ही ऐसे रहेंगे जो सेकिन्ड अपील में रेवेन्यू बोर्ड में जावेंगे। जब हमने फर्स्ट अपील ही रेवेन्यू बोर्ड में रखी है तो ७० लोगों में से ५० प्रतिशत तो अपील करने का विचार छोड़ देंगे क्योंकि उनको फर्स्ट अपील में रेवेन्यू बोर्ड के दफ्तर अजमेर में जाना होगा और रेवेन्यू बोर्ड भरतपुर और अलवर से दूर पड़ता है। इसलिये उनको जो अधिकार दिये हैं उनसे वंचित रहेंगे। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड दूर पड़ेगा और उनको एक्सपेन्सिव भी पड़ेगा। वर्ना यह होगा कि ७० प्रतिशत लोग जो अपने मुकदमों की फर्स्ट अपील होगी वहीं कमिश्नर के पास क्योंकि अलवर में कमिश्नर महोदय अलवर जाकर ही मुकदमों का फैसला कर देते हैं और भरतपुर वाले जयपुर में जा सकते हैं। तो फर्स्ट अपील यदि रेवेन्यू बोर्ड में हुई तो ७० प्रतिशत में से २० प्रतिशत लोग तो ज्यादा एग्रीव्ड समझेंगे तो रेवेन्यू बोर्ड में जाने की हिम्मत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा को रखने से मैं समझता हूं कि उनको subject to such orders as are passed under sub-clause (2) के बराबर होता है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड में सेकिन्ड अपील में ही जाने का प्रावधान होना चाहिये सेक्शन १०० सी. पी. सी. के नीचे लोग जा सकते हैं और सेकिन्ड अपील तभी हो सकती है जब कोई लॉ का पोइन्ट हो और उन्हीं मामलों में रेवेन्यू बोर्ड इन्टरफीयर करता है। जैसा आपने टिनेन्सी एक्ट में किया है। कॉमन लॉ में है। सेकिन्ड अपील सर्टेन कन्डिशन्स में ही हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि फर्स्ट अपील के ऐसे राइट्स हों जो ज्यादा से ज्यादा सुलभ हों। इसलिये अलवर के जितने मुकदमें होंगे या लिटिगेशन होगा, जिसमें कलेक्टर के ऑर्डर से लोग एग्रीव्ड होंगे उनकी फर्स्ट अपील वहीं कमिश्नर के पास हो सकेगी। उसके बाद २० प्रतिशत लोग रहेंगे जो रेवेन्यू बोर्ड में जावेंगे। पहले ही आप फर्स्ट अपील में ही ७० प्रतिशत लोगों को रेवेन्यू बोर्ड में भेजना चाहते हैं यह उचित नहीं होगा। उन्होंने जो इस प्रकार का संशोधन रखा है उसके स्थान पर अगर वे इस प्रकार का संशोधन कर दें कि फर्स्ट अपील कलेक्टर की कमिश्नर के पास और रिवीजन के स्थान पर सेकिन्ड अपील रेवेन्यू बोर्ड को कर देंगे तो मैं समझता हूं कि धारा २३ में कोई अन्तर नहीं पड़ता। जब इस प्रकार करते हैं तो २३ और २४ धाराएं स्टेन्ड करती हैं ? उसमें और इसमें क्या अन्तर होता है। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि रिवीजन के स्थान पर रेवेन्यू बोर्ड को अपील होनी चाहिये। रिवीजन का स्कोप बहुत कम है। इसलिये मैंने यह विचार रखा था और निवेदन किया है कि सेकिन्ड अपील का प्रोविजन कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद २३ धारा जैसी भी है उसको स्वीकार कर लिया जावे। कमिश्नर की फर्स्ट अपील और रेवेन्यू बोर्ड को रिवीजन के स्थान पर सेकिन्ड अपील करने से लोगों को ज्यादा सुविधा रहेगी और दोनों के दोनों क्लॉज उसी प्रकार से स्वीकार किये जा सकते हैं। माननीय राजस्व मंत्री महोदय इसके ज्यादा जानकार हैं। रिवीजन में ६० प्रतिशत में राजस्व बोर्ड इन्टरफीयर नहीं करता है, लेकिन सेकिन्ड अपील में ५० प्रतिशत में इन्टरफीयर करता है। ऐसी हालत में सेकिन्ड अपील का प्रोविजन होना बहुत उचित होगा। बहुत सारे केसेज़ तो कमिश्नर के लेवल पर ही तय हो जावेंगे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

और जो लोग १० या २० प्रतिशत जो कमिश्नर ऑर्डर से ग्रीवेन्स होंगे वे रेवेन्यू बोर्ड में जावेंगे। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि २३ धारा जैसी स्टेन्ड करती है वैसी की वैसी और २४ में प्रोविजन रिविजन के बजाय अपील कर दें There is only one appeal, that is decision of the jagir Commissioner. वे वहां पर जाकर फाइनल होगा। सब क्लॉज़ (२) ओमिट करना होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और सेकिन्ड अपील रेवेन्यू बोर्ड में करने का प्रावधान करें। सेकिन्ड अपील जागीर रिजम्शन में होती है.......

श्री दामोदरलाल व्यास : Jagir-Commissioner is the campetent autho. rity under Jagir Resumption Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल there is no second appeal.

श्री दामोदरलाल व्यास : But the case can be decided by the Jagir Commissioner.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There are cases comming from outside, from the Collectors which are also given to Jagir Commissioner.

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं कल भी इस पर बहस हुई। मैंने इसको ठीक समझा था कि ऐसी ऑथेरेटी होनी चाहिये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील के पॉवर्स में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर यह समझते हैं कि भरतपुर और अलवर के लोगों को इससे दिक्कत होगी तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवीज़न के बजाय अपील करने को तैयार हूं Then the position is that clause 23 will stand as it is and in clause 2+... क्लॉज़ २४ में अपील रेवेन्यू बोर्ड में होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेकिन्ड अपील बिल्कुल लीगल पोइन्ट्स पर होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सी० पी० सी० की धारा १०० के प्रोविजन के अनुसार होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : १०० सी० पी० सी० के प्रोविजन में होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : जिनके खिलाफ फैसला होगा वहां पर कमिश्नर से Lgeal point नहीं होगा तो Second अपील एलाऊ नहीं करते......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर के ५० प्रतिशत केसेज का वहीं निर्णय हो जावेगा अन्यथा फर्स्ट अपील में सबको रेवेन्यू बोर्ड में आना होगा।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय राजस्व मन्त्री इसमें संशोधन लाये हैं उसके भीतर जो भावना है वह कल श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव पर यह संशोधन लाया गया है कि कहीं नकदी सेन्ट्रल पोलिसी सरकार की है उस पर अपना मत प्रकट करें। तो जब यह रेवेन्यू बोर्ड को पॉवर्स थे जैसा कि आपके संशोधन में Revenue Board will be the appellate authority. तो रेवेन्यू

Page No.67

(श्री रघुवीरसिंह)

बोर्ड में कोई जावेगा तो उसी हालत में आवेगा जब कोई केस होगा और अपील में रेवेन्यू बोर्ड ने आॅर्डर दिया उसका क्या असर होगा, कौन कितना मानेगा। अब जो सुझाव हैं उसके अनुसार वह कमिश्नर के पास रह जावेगा और सेकिन्ड अपील में रेवेन्यू बोर्ड में जावेंगे। कोई एरे गैरे केसेज ही रेवेन्यू बोर्ड में फैसला होने के लिए जावेंगे। लोगों को जो कुछ भी नुकसान पहुँचना होगा पहुँच जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि फर्स्ट अपील तो जागीर कमिश्नर के पास होनी चाहिये और सेकिंड अपील रेवेन्यू बोर्ड में होगी तो जिस लक्ष्य के लिये यह रखा गया है उस लक्ष्य की पूर्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अलवर के कलेक्टर और भरतपुर के कलेक्टर अलग अलग फैसले करेंगे। गंगानगर का तीसरा उसका फैसला करेगा। इस तरह से भिन्न प्रकार के फैसले होंगे और मैं कहता हूँ कि बहुत ज्युडिशल मामले नहीं हैं, आॅल दीज़ आर एक्जीक्यूटिव मेटर्स। उसकी प्राईवेट प्रोपर्टी क्या होनी चाहिये, कौन कौन से आइटम उसके मुआवजे में इन्क्ल्यूड करने चाहिये, कहां तक उसका मुआवजा ठीक होगा, यह केवल डिसाइड करना है और उसके लिए एक सेन्ट्रेलाइज्ड पॉलिसी न हुई तो नतीजा यह होगा कि भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में भिन्न भिन्न प्रकार से डिसिजन होंगे और हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही दो प्रकार के डिसिजन हो जायं, एक कलेक्टर ने एक तरह से डिसिजन दिया और दूसरा कलेक्टर आया तो उसने दूसरी तरह से डिसिजन दिया। इसलिये इसको सेन्ट्रेलाइज कर दीजिये, नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और लोगों की परेशानी बढ़ेगी और यह भी होगा कि एक ही राज्य में एक ही कानून को अलग अलग रूप में इन्टरप्रेट किया जा रहा है। यदि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसको स्वीकार करें तो पहली अपील जागीर कमिश्नर के पास हो और दूसरी अपील रेवेन्यू बोर्ड में हो, यदि ऐसा नहीं रखते हैं तो भिन्नता इसमें बराबर रहेगी।

श्री तनसिंह (बाडमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जिस समय बहस हो रही थी उसमें जो विचार आये और जो आश्वासन माननीय मन्त्री महोदय की ओर से दिया गया, वह आश्वासन मन्त्री महोदय ने अपने अपने अमेन्डमेंट के द्वारा सर्कुलेट किया है उससे वह पूरा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति रहती है, इतनी अनस्टेबल स्थिति रहती है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा संशोधन स्वीकार किया जाने वाला है और कौन सा किस समय पर। माननीय मन्त्री महोदय ने इस समय अमेन्डमेन्ट पेश किया है, उसको कुछ ही क्षणों पहले वितरित किया गया है। चूंकि इसको मन्त्री महोदय ने पेश किया है, इसलिए न तो उसको सपोर्ट करने की और न ही उसका विरोध करने की आवश्यकता है क्योंकि वह तो स्वीकार किया जाने वाला ही है। हम अन्दाज लगाते हैं कि यह गवर्नमेंट की ओर से पेश हुआ है, मेजोरिटी पार्टी की ओर से पेश हुआ है इसलिए इसके पीछे सोलिडिटी है, उस पर लम्बी बहस क्यों हो, उसको स्वीकार करें जैसा कि कल बताया है और उसके लिए निवेदन किया है:

श्री उपाध्यक्ष: We are not concerned with what happened yesterday.

श्री तनसिंह: जब कल क्लॉज़ ८ पर बहस हुई थी उस समय मन्त्री महोदय ने वायदा किया था कि २३ में ऐसा अमेंडमेंट किया जावेगा। १० का डिसिजन है उसमें यह सुझाव रखा गया था कि जागीर कमिश्नर के

(श्री तनसिंह)

पास इसको रखी जावे । यह महत्वपूर्ण मसला था । लेकिन यह बताया कि जागीर कमिश्नर का ही महत्वपूर्ण नहीं है । पालिसी इस तरह की हो कि जो भी डिसिजन्स हों वे भिन्न भिन्न न हों और इसी आधार पर मन्त्री महोदय ने इसको स्वीकार किया था । अभी जो वर्तमान में जो बात रखी है उससे यह प्रतीत होता है कि सेकिन्ड अपील रेवेन्यू बोर्ड में होगी । १०० के हैं वे एप्लाई होंगे, कल यह बताया कि सारे के सारे डिसिजन एक हों और उसके लिये एक पॉलिसी निर्धारित होगी । लेकिन आज बताया कि १०० में रेस्ट्रिक्शन्स हैं उन पर एक सामान्य पॉलिसी लागू होगी । हमको एक बात देखनी है कि यह निश्चित तौर पर बात है कि अजमेर आने में समय लगेगा, और खर्चा भी लगेगा । इसके साथ साथ यह भी विचार कर लीजिए कि कमिश्नरी में आने में अलवर को फायदा होगा जो अलवर में रहते हैं । लेकिन पेश करने के लिए तो अजमेर ही जाना पड़ेगा । डबल लिटिगेशन होगा । हम नहीं समझ सके कि पर्सनल प्रोपर्टी के मामले हैं जो फेक्ट्स पर आधारित हैं उसमें सेकिन्ड अपील की क्या आवश्यकता है ? हमारी समझ में तो आवश्यकता नहीं रहती और जरूरत रहती है तो हाइयेस्ट अपीलेट ऑथोरिटी है । पहली अपील लेकर फेक्ट्स के आधार पर फैसला दे देते हैं तो फिर उसका प्रश्न कहां रह जाता है । जिनमें कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन रहती हो उसमें अपील की आवश्यकता रहती है । कहां पर किसका कब्जा है, रेकॉर्ड में दर्ज है या नहीं, यह पर्सनल प्रोपर्टी में आती है या नहीं यह सब इन्टरप्रिटेशन पर है जो कि फेक्ट्स के ऊपर आधारित है । यदि ऐसे मामलों को भी सेकिन्ड अपील में डालते हैं तो ज्यादा लिटिगेशन्स होंगे । वकीलों को फायदा होगा और लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, केसेज पेन्डिंग रहेंगे । सेकिन्ड अपील का प्रोविजन रख कर हम फालतू ही परेशानी पैदा करते हैं । वास्तव में यह ठीक है कि फर्स्ट अपील रेवेन्यू बोर्ड में होनी चाहिये । इससे एक समान ढंग से नीति का आचरण होगा । दो अपीलों के बजाय एक ही रहना चाहिये और सर्कुलेट किया हुआ अमेन्डमेन्ट नहीं रहना चाहिये । इससे स्थिति दूसरी रहती है तो पर्पज भी सोल्व नहीं होता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): धौलपुर से आये सदस्य की बात सुनने के बाद मैंने यह स्वीकार किया था कि अगर सदन इस बात पर कीन है कि कन्वीनियेन्स के लिहाज से कमिश्नर के यहां पहली अपील की पावर रखी जाय तो इसे क्लॉज में इन्सर्ट करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । मैंने महसूस किया कि अलवर, भरतपुर के केसेज को डिस्पोज ऑफ करने में इससे क्या होगा कि एडिशनल कमिश्नर उन जगहों पर जाकर वहां के केसेज वहीं डिस्पोज ऑफ कर सकेगा । इस कन्वीनियेन्स को देखते हुए मैंने इसे स्वीकार किया है । इसके साथ में सेकिण्ड अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो ।

तो इसमें जहां हम एक युनीफोर्मिटी इसमें लावेंगे वहां कन्वीनियेन्स भी होगी । इससे लोगों का अन्नेसेसरी एक्सपेन्स भी नहीं होगा । नहीं तो अलवर, भरतपुर वालों को यहां जयपुर में रेवेन्यू कमिश्नर के पास आना होगा । पर इसमें भी मुझे जिद्द नहीं है । अगर आप जागीर कमिश्नर के यहां रखना चाहें तो वहां रख लें । पर इसमें फिर यह नहीं हो सकेगा कि जहां इससे सहुलियत हो वहां

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह रहे और उनको कमिश्नर से कन्वीनियेन्स रहती है तो उनके कमिश्नर रहें। इस तरह के दो प्रबन्ध नहीं हो सकेंगे। जागीर कमिश्नर स्वयं अलग अलग जगहों पर जाकर फैसला नहीं दे सकता, न केस सुन सकता है। उसमें तो यहीं जयपुर आना पड़ेगा अलवर, भरतपुर वालों को। इसमें फिर बीकानेर वालों को भी जयपुर आना पड़ेगा। प्रिन्सिपल में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है न कोई जिद् है। यह आपके देखने की बात है। यह आप विचार कर लें। मैं समझता हूं आप एक दो मिनट में सोच-कर बता दें। अलवर, भरतपुर के लोग ज्यादा सम्बन्धित हैं। आई हैव नो....

डॉ० बहादुरसिंह : ठीक है, कमिश्नर को ही होना चाहिये यह पावर। दूसरी अपील रेवेन्यू बोर्ड को कर दीजिये। हमारे यहां जागीर कमिश्नर नहीं है, दिक्कत पड़ेगी।

श्री तनसिंह : हमारे यहां इसमें दिक्कत होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : हमें इसमें सहूलियत रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : Then I put it to vote

श्री दामोदरलाल व्यास : चूंकि मैंने अपना एक्चुअल अमेन्डमेन्ट तो पुट किया ही नहीं जो ऑलरेडी मुझे करना था। पर इसके पहले आप लोगों की चौइस तै कर ली जावे तो अधिक ठीक होगा। नहीं तो फिर मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश करने की सूचना दी है, उसे मुझे पेश करना है। अब इसमें उनको सोचने में कुछ समय चाहिये तो उपाध्यक्ष महोदय, आप आगे के क्लॉज़ ले लें। पांचवां रेफर्ड क्लॉज़ है, उसे ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the silence over the issue suggests the consent.

श्री तनसिंह : या तो कुछ क्षण के लिये छोड़ दीजिये, या इसको रेफर कर दीजिये थोड़े समय के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : I take clause 24, not 24. clause 25. I take 25. But 25 th is also affected by it. 'The Board, the Collector or any other officer......'

श्री तनसिंह : वह तो एक साथ ही डिसाइड हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ और २७ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ और २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Then we come to clause 28th. Shri Brijmohan Lal Sharma.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार दूसरे स्थान पर रख चुका हूं, इसलिये कि उसे माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करने को तैयार हैं, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने रखा ही नहीं तो वापिस क्या लेंगे? आप मूव मत करिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ पर मेरा अमेंडमेंट यह है कि : "Delete the words 'was liable......in respect there of'."

उसको डिलीट करके, substitute the following :-

'had been receiving from the tenants of his area, but shall not exceed three times the land revenue payable in respect thereof.'

यह २८ (१) के अन्दर है । और २८ (२) में यह है कि :

"Add a further proviso to sub clause (2) as follows :-

'Provided further that the division of such holding shall not reduce the holding below a basic minimum prescribed by the State Government for different areas."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २८ के हिसाब से जमीदार और बिस्वेदार को फ्री खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे । जब हम उन लोगों को नॉनकल्चरिस्ट क्लॉज़ मानते हैं तो फिर खातेदारी के राइट्स, टिनेन्सी के राइट्स उनको कनफर करना बिदाउट पेमेन्ट टू दी स्टेट गवर्नमेन्ट मैं तो ठीक नहीं मानता । जो नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट अब तक रहे, जो टिनेन्ट्स को एक्सप्लोइट करके अपना एग्ज़िस्टेन्स रखते आये हैं उनको राजस्थान गवर्नमेन्ट बिना उनसे कोई मुआवजा लिये या फीस लिये जो ऐसे मामलों में वह दूसरों से बराबर लेती रही है उनसे बिना लिये खुदकाश्त के राइट्स कनफर करने जा रही है तो यह जो सब-टिनेन्ट्स हैं, जो खुदकाश्त होल्डर हैं, सब-टिनेन्ट्स हैं या टिनेन्ट्स हैं उनके साथ अनजस्टिस होगी । और इसलिए मैंने डिलीट करने का प्रोविजन रखा है । आज तक जो खाली रेन्ट कलेक्ट करते आये उनको खातेदारी के राइट्स कनफर करना इसमें सरकार के पास कौन सा आर्ग्यूमेन्ट हो सकता है ।

अब इसमें एक बात और है कि वे जो रेन्ट दूसरों से रिसीव करते आ रहे हैं उसी जमीन पर और अब-जब वे खुद उस जमीन पर खातेदारी राइट्स लेने जा रहे हैं तो उनसे भी उतना ही रेन्ट लेना चाहिए और उनको देना चाहिए, पर शायद रेकॉर्ड वगैरह न मिलें और इसलिए राजस्थान गवर्नमेन्ट जो इन्टरमिजियरीज़ को रिमूव करके जो अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकती थी उतनी न बढ़ा सके, उनसे उतना फायदा न ले सके तो भी एक रीजनेबल टैक्स जरूर वसूल करे इस मतलब से उसमें दूसरा प्रोविजन मैंने ऐड कर दिया है : But shall not exceed three times the land revenue payable in respect thereof. यह तो एक बिल्कुल रीजनेबल बात है । जो जमीदार अब तक लैंड चार्ज कर रहा था वह बहुत एक्सेस था पर उसके रेकॉर्ड अब किसी के पास नहीं हैं वे बीस रुपया पर-बीघा तक लेते थे, बारह रुपया पर-बीघा लेते थे, पर उसका रेकॉर्ड अवेलेबल नहीं है । पर यह तो मालूम है कि जो कम से कम रीजनेबल और लीगेली परमिसिबल है वह तो उनसे कलेक्ट कर ही सकेंगे और वह तीन टाइम्स है शायद, तो अब जब खातेदारी राइट्स वे खुद चाहते हैं तो उनसे भी इसी हिसाब से टैक्स लेना चाहिये जिस हिसाब से किसी भी काश्तकार से सरकार लेती है । उनको इससे एग्जम्पशन देना और केवल लैंड रेवेन्यू जो सिर्फ चार आना, आठ आना बीघा वह जमीदार टिनेन्ट से लेता रहा व है

(श्री श्रीमानसिंह)

दे तो यह उन काश्तकारों के खिलाफ अनजस्टिस होगा, जिनसे आप तीन गुना लेते हैं ऐसे मामलों में। जागीरदारी में खातेदार टिनेन्सी आप कनफर कराते हैं तो कम्पेन्सेशन दिलाते हैं। तो यहां वह प्रोसीजर नहीं अडोप्ट करने में कोई रीजन नहीं है। जो स्टेट्स को कनफर करने के राइट्स हैं, जो असेट्स हैं वे असेट्स जब उसको मिलते हैं तो उस पर जो लायबिलिटी है तीन गुना वह भी उसे देनी चाहिये। इस पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखा जावे तो इक्विटेबल होगा। इसको लेने में राजस्थान गवर्नमेन्ट को कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

दूसरा २८ (२) इस तरह है :

५ "If there are more persons than one having interest in land held as khudkasht......जहां तक इसको देखा जावे सबके साथ जस्टिस करने का पॉइन्ट ऑफ व्यू से यह बहुत अच्छा क्लॉज़ है। जो अगर डिविजन करना चाहे तो कर सके। पर यह हमारी आज की जो इकोनोमिक होल्डिंग बनाये रखने की नीति है उससे खिलाफ जाता है। एक तरफ हम राजस्थान कन्सोलिडेशन होल्डिंग एक्ट लाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के इन्हेरिटेन्स के लॉज को एक्सेप्ट करते जाते हैं कि जिससे जो होल्डिंग है वह अनइकोनोमिक हो जावे। न तो उससे एल्डर को ही उस होल्डिंग से पूरी लिविंग मिले न दूसरे को ही।

फिर दूसरी तरफ आप सीलिंग लगा रहे हैं। तो हमें यह भी साथ साथ देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि होल्डिंग इस तरह से डिवाइड होती जा रही हो कि उसका एक इकोनोमिक यूनिट ही न रहे, प्रोडक्शन और कॉस्ट बेसिस पर न रहे, ओप्टिमम या फेमिली होल्डिंग जिस तरह से देखें तो वह भी न रहे और इस तरह से यह हमारे जो कन्सोलिडेशन होल्डिंग एक्ट हैं या सीलिंग एक्ट आ रहा है उनकी जो भी मंशा है वह फेल हो जावे।

इससे हमारी खाद्य समस्या पर असर पड़ेगा। जो उसे अलग अलग बांटेंगे उनकी समस्या भी हल नहीं होगी। तो ये इतनी सारी दिक्कतें हैं इसमें। हां, अगर आप डिविजन परमिट ही करना चाहते हैं तो उस सीमा तक परमिट करें कि जिससे वह अनइकोनोमिक होल्डिंग न बन सके, उसकी इकोनोमिक वेल्यू कायम रह सके, उसकी रिटर्न वेल्यू को इफेक्ट न करें। यह देखते हुए मैंने यह संशोधन रखा है : Provided further that the division of such holding shall not reduce the holding below a basic minimum prescribed by the State Government for different areas. अगर सरकार यह दलील दे कि हम एक बेसिक यूनिट मिनिमम फिक्स नहीं कर सकते तो मैंने यह प्रोविजन रख दिया है। अब एक के पास ८० बीघा है और पांच क्लेमेन्ट्स हैं। अगर आप उसको उनमें बराबर बांटते हैं तो १६।१६ बीघा हिस्से में आता है जो अनइकोनोमिक साबित होगी, उससे उनका लिविंग पर्पज सर्व नहीं होगा। तो एक तरफ तो आप अनइकोनोमिक होल्डिंग को इकोनोमिक बनाने का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो इकोनोमिक है उसको आप इस तरह से अनइकोनोमिक बनाने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, सबका क्लेम है और देना चाहिये पांचों को। पर अगर उनका क्लेम उस होल्डिंग पर रखते हैं

(श्री श्रीभानसिंह)

तो उनमें से चार के लिये खुदकाश्त जमीन अलग प्रोवाइड करिये । पर एक होल्डिंग जो राजस्थान की फूड प्रोब्लम के लिये कुछ कन्ट्रीब्यूशन कर सके उस सीमा तक उसको बनाये रखना होगा । यह इस राज्य के और देश के हित में होगा । उस पर एक आदमी का हक रहे । क्योंकि साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि जिसका उस पर राइट है वे भी स्टार्व करें और पार्टीशन के बाद उससे जो बेनिफिट मिल सकता है वह भी न मिले । कोई सेन्टीमेन्टल या रिलीजस रीजन हो सकते हैं पर इनहेरिटेन्स लॉ को इसके लिये रीजन न मानें । इसके लिये तो इकोनोमी का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा । हमें एक बेसिक होल्डिंग से करना पड़ेगा ताकि फ्रेगमेन्टेशन के डिस-एडवान्टेजेज से हम जमींदार और बिस्वेदार को बचा सकें । और उन्हीं लोगों को नहीं बचाते पर हमारी सोइल की वैल्थ को भी आप प्रीजर्व करते हैं । और जो वह ईल्ड ला सकती है उसको भी प्रीजर्व करते हैं । तभी हम उसकी मैक्सीमम कैपेसिटी को यूटीलाइज कर सकते हैं उस कम्पेक्ट ब्लॉक का । अगर उसमें से हम पांच बीघा भी कम करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन वेल्यू पर असर पड़ता है और प्रोडक्शन वेल्यू पर असर पड़ता है तो हमारा जो फूड प्रोब्लेम में कन्ट्रीब्यूशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है और इससे जो फेमिलीज अपनी लिविंग लेना चाहती हैं वह नहीं ले सकेंगी । उस पर एग्जिस्ट भले ही करें और सब्स्टेन्सीयल इन्डस्ट्री बनी रहे । प्रोडक्टिव इन्डस्ट्री नहीं बन सकती ।

यह कहते हुए मैंने ये जो दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार करने की सदन से रिक्वेस्ट करता हूँ ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): २८ (१) में जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं । इसका कारण यह है कि हमने एक सिद्धांत मन्जूर किया है कि सरकार और जमीन को हांकने वाले के बीच में कोई बिचोलिया न रहे । पर यहां सवाल यह नहीं है, यहां सवाल यह है कि जो खुदकाश्त करता है, वह चाहे जागीरदार हो या जमींदार उसके साथ खुदकाश्त करने वाले टिनेन्ट या काश्तकार का सा ही बर्ताव किया जाना चाहिये, यहां वह बिचोलिया नहीं है क्योंकि इसमें जो शब्द हैं खुदकाश्त land in his possession. यह जमीन जिस व्यक्ति के खुद के पजेसन में है उससे लगान कैसे तीन गुना लेंगे ? जो खातेदार टिनेन्ट से लिया जाता है वही तो उससे लिया जा सकता है । यह हमारे रूल्स के खिलाफ होगा । जब जमींदार खुद काश्त कर रहा है तो क्या वह चूंकि जमींदार भी था इसलिये जिन्दगी भर तक तीन गुना लगान देता रहेगा ?

यह तो बिलकुल हमारी पॉलिसी और हमारे सिद्धांत के खिलाफ होगा कि हम एक खातेदार टिनेन्ट से तो लेते हैं एक लगान और दूसरे से तिगुना लेते हैं । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन रखा गया है यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेन्ट बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पहला अमेंडमेन्ट जो है उसमें उन्होंने यह इन्सर्ट कराना चाहा है ।

"... as he had been receiving from the tenants of his area, but shall not

(श्री दामोदरलाल व्यास)

exceed three times the land revenue payable in respect thereof," इसके लिए जैसा कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया इसके बाद में एडीशनल बात यह है कि मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां खुदकाश्त का प्रश्न है जमीदार और विस्वेदार का तो वह खुदकाश्त का टिनेन्ट तो उसी रोज बन गया जिस रोज कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पास हुआ। इसलिए उससे रैन्ट रियलाइज करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब तो खुदकाश्त वह है कि जो पर्सनल कल्टीवेशन में है उसका केवल लैंड रेवेन्यू स्टेट को देता है। वह खुद ही काश्त करता है इसलिए रैंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हां, जो लैंड रेवेन्यू वह स्टेट को देता है वह बदस्तूर देता रहेगा जब तक कि दूसरा सेटलमेन्ट न हो जब तक कि री-सेटलमेंट इसमें इन्ट्रोड्यूस न हो। यह इस प्रोविजन से मतलब है थ्री टाइम्स का और टू टाइम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : What the Government will charge from the Khatedar tenant of a Zamindar, the land revenue or three times the land revenue ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको बता रहा हूँ। खातेदार काश्तकार से वही चार्ज किया जायेगा जो कि जमीदार को वह अब तक देता आया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रोविजन में खास तौर से रखा गया है कि खातेदार काश्तकार जो कि आज टिनेन्ट है वह जो लगान दे रहा है जमीदार को वह बदस्तूर देता रहेगा जब तक कि नया सेटलमेन्ट न हो। जो लैंड रेवेन्यू स्टेट को दे रहा है वह देता रहेगा जब तक कि नया सेटलमेंट न हो। क्योंकि प्रिंसिपल यह है कि जो लैंड रेवेन्यू है और एक्चुअल है उसके बीच का प्रोफिट माना है और उसको कम्पेन्सेशन भी दे रहे हैं इसलिए यह दिक्कत नहीं है कि वह क्या देगा। फर्क यह जरूर है और आप आज यह कह रहे हैं कि फर्क जरूर है अमाउन्ट के अन्दर। मगर उसके राइट्स में भी तो फर्क है। इस सारे एक्ट का प्रोविजन है वह यह है : "whatever they have been paying uptill today, they will continue to pay so long as resettlement is not done in their area.

इसलिये उस लिहाज से थ्री टाइम्स का तो हम नहीं रख सकते। पोजीशन ऐसी है कि थ्री टाइम्स तो हम लेते नहीं हैं इसलिए इसमें प्रोविजन रखने का सवाल ही नहीं है।

सेकिण्ड पॉइन्ट आपका जो है वह यह है फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्स नहीं हो जाये। इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें एक ऐसा प्रोविजन कर दिया जाये कि जिससे मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब कर दिया जाय कि उससे नीचे कोई होल्डिंग्स नहीं होंगी। ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रोविजन के करने की जरूरत नहीं है। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अन्दर ऐसा है कि टिनेन्सी एक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत गवर्नमेंट मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब करेगी जिसके अन्दर कोई भी फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग नहीं होगा और गवर्नमेंट ने वह प्रेस्क्राइब कर दिया है। इसमें जो प्रोविजन है उसमें देखेंगे कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो डिविजन होगा that will be in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और they will be co-tenants.

जो डिविजन उनके बीच में होगा वह जमीदार नहीं होगा बल्कि कॉ-टेनेन्ट होगा and then there will be division of holding in accordance with Section 53 of the Tenancy Act.

इसका मतलब यह है कि जो मिनिमम एरिया प्रेस्काइब कर दिया है उससे नीचे होगा ही नहीं। आप जिस चीज को इन्सर्ट कराना चाहते हैं वह चीज इसके अन्दर ऑलरेडी है। That provision is already there in the Rajasthan Tenancy Act.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इत्तिला के तौर पर मालूम करना चाहता हूं कि अजमेर राज्य में बिस्वेदारों की तो बात दूसरी है। वहां पर उनके लिए तो यह फिक्स कर दिया गया है कि रेंट का सर्टेन से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन खेवटदार की पोजीशन क्या होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले यह खातेदारों की लैंड का सवाल है। खेवटदार सब-टिनेन्ट से क्या लेता है that is a different matter altogether.

वह उतना ही देगा जितना कि सरकार को देगा। इट इज़ ऑलरेडी देयर। खुदकाश्त का लगान वह है जो कि लैंड रेवेन्यू की शेप में गवर्नमेंट को देता है। काश्तकार जमीदार को देता है वही उसका रैंट है। इसलिए आपके अजमेर में खेवटदार क्या देते थे वह अपनी खुदकाश्त में से देते रहेंगे। खेवटदार अपने सब-टिनेन्ट्स से वसूल करते थे वह गवर्नमेंट तय कर लेगी।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा मतलब यह था वह मंत्री महोदय ने एडमिट नहीं किया। वैसे आर्ग्यूमेन्ट्स में उन्होंने बताया। मेरा मतलब यह था कि दोनों के खातेदारी राइट्स कनफर करते हैं, जमीदार पर, लेकिन जो राइट्स एण्ड लाइएबिलिटी है वह खातेदारी राइट्स से कनफर करते हैं, जमीदार पर वह उसको दे देते हैं। उससे आप चार्ज क्या करते हैं, जो कि लैंड रेवेन्यू उस जमीन के ऊपर है। अगर चार आने हैं तो वही पे करेगा। लेकिन उनको अधिकार खातेदार के होंगे। उसी एरिया में जो खातेदार टिनेन्ट्स होंगे उनसे गवर्नमेंट चार्ज करेगी। अगर ४ आना लैंड रेवेन्यू है तो उसका थ्री टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू तो यह तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जिसको आप इन्टरमीजियरीज समझते हैं उस पर आप खातेदारी राइट्स कनफर करते हैं। मगर जहां स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज करती है वह खुदकाश्त टिनेन्ट्स से करती है। और जो खुदकाश्त करता है उससे तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू चार्ज करती है और खुदकाश्त टिनेन्ट्स से थ्री टाइम्स ऑफ दी लैंड रेवेन्यू। तो फिर दोनों की पे करने की पोजीशन में फर्क रहा। आप क्यों नहीं जमीदारों से थ्री टाइम्स चार्ज करना चाहते हैं; यह समझ में नहीं आता। आप एक तरफ उनको कम्पेन्सेशन भी देना चाहते हैं और दूसरी फैसेलिटी भी देते हैं और उनसे उतना चार्ज भी नहीं करते जो कि टिनेन्ट्स से करते हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि जमीदार को क्यों आप फेवर करना चाहते हैं। यह आपने अपने भाषण में नहीं बताया। अगर ४ आने जमीदार से चार्ज करती है तो टिनेन्ट से १२ आने चार्ज करती है। इसका मतलब टिनेन्ट्स से वह हायर चार्ज करती है। जिसका बर्डन रिड्यूस्ड

(श्री श्रीमानसिंह)

होना चाहिये था उसका तो होता नहीं है और जमीदार थे उन पर बर्डन मिल रहा। तो जमीदारी एबोलिशन से या बिस्वेदारी एबोलिशन से कोई टिनेन्ट्स में फर्क नहीं हुआ। जो राइट्स थे वे तो लेजिस्लेशन ने कनफर कर दिये। जो उनकी इकोनोमिक कण्डीशन है उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया। फिर आप इन्टरमिजियरीज को रिमूव करने से क्या बेनिफिट उनको दे दिया जब आप थ्री टाइम्स टिनेन्ट से चार्ज करेंगे? तो किसके फेवर में आपने कानून को बनाया, जमीदारों और बिस्वेदारों के फेवर में? टिनेन्ट की इकोनोमिक पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से तो एक इन्डीविजुअल को हटाकर स्टेट लैंड लॉर्डिज्म आ गई। तो टिनेन्ट की पोजीशन में फर्क नहीं आया, लेकिन अगर यह रखते कि जमीदारी एरिया में जो टिनेन्ट्स हैं वे भी उतना ही पे करेंगे जितना कि गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू लेगी जब तक कि सेटलमेन्ट नहीं हो जायेगा। और जब सेटलमेन्ट हो जायगा तो दोनों से वह जमीदार से जो एट पार चार्ज होगा वह चार्ज करेंगे। यह डिस्क्रीमिनेशन है और डिस्क्रीमिनेशन इन फेवर ऑफ दी रिच है यह मेरी समझ में नहीं आता है कि किस पर्पज से क्यों रखा गया है जब कि एक तरफ आप उसको कम्पेन्सेशन देते हैं और फेसिलिटीज दे रहे हैं और दूसरा जो अमेंडमेन्ट है वह माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे टिनेन्सी लेजिस्लेशन से ऑलरेडी गवर्नन्ड है इसलिए with these words I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २८ के सब-क्लॉज (१) और (२) पर श्री श्रीमानसिंह ने प्रस्तुत किया है उनको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज २८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज २६ को लेलें।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २६, श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ २६ को बिल्कुल रिकास्ट किया है। परन्तु यह सही बात है कि यह क्लॉज़ की स्कीम और जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है उसकी सारी योजना में मूलभूत सिद्धांत का अन्तर है। मैं अपने विचार और दूसरी क्लॉजेज़ के सम्बन्ध में रख चुका हूं और मैं यह मानता हूं कि सरकार ऐसी परिस्थितियों में नहीं है कि उसको स्वीकार करेगी, इसलिए मैं........

श्री उपाध्यक्ष : Not moving?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: Not moving, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक अमेंडमेंट है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेरा अमेंडमेंट इसमें यह है कि क्लॉज़ २९ की सब-क्लॉज़ (१) में For the words 'three times' appearing in the penultimate line, substitute 'twice'. इसका मतलब यह है कि जैसा दफा २८ की बहस के दौरान में अर्ज किया था कि जहां एक जमींदार है उसकी खुदकाश्त का लगान क्या वसूल किया जायगा Whatever land revenue he has been paying to the State Government that he will continue to pay so long as their rents are not resettled. उसमें काश्तकार के लिए प्रोविजन है किजो रैन्ट वह अपने जमीदार को देता रहा है यह स्टेट गवर्नमेंट उससे लेती रहेगी। मगर चूंकि उसमें ३ टाइम्स रखा हुआ है वह उन लाइन्स पर रखा हुआ था कि पहले ऑलरेडी ३ टाइम्स जमीदार को लेने का अधिकार है, लेकिन स्टेट गवनमेंट ने सेक्शन ९८ और ९९ टिनेन्सी एक्ट के तहत जो मैक्सीमम लिमिट फिक्स की है वह ट्वाइस लिमिट फिक्स की है कि रैन्ट डबल से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते है। ऐसी सूरत में यहां ३ के बजाय २ रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि ज्यादा रख ही नहीं सकते हैं जब कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेक्शन ९८ या ९९ में एक लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी है। इसलिए बजाय ३ टाइम्स के २ टाइम्स का अमेंडमेंट पेश किया है।

श्री श्रीभानसिंह : I do not want to move it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २९ के अन्दर प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत).

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९, संशोधित रूप से, स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Clause 29 (2') reads : "Upon a Zamindar or Biswedar becoming a khatedar tenant of khudkasht land under section 28, every tenant of such khudkasht shall be the sub-tenant of the land in his occupation holding under and from such khatedar tenant." तो बिस्वेदार होगा खातेदार टिनेन्ट और खातेदार टिनेन्ट होगा सब-टिनेन्ट, लेकिन पहले जो खातेदार टिनेन्ट था और उसका सब-टिनेन्ट था उसकी पोजीशन क्या होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह टिनेन्सी एक्ट से गवर्न होगा। इसमें यह पोजीशन है कि जहां बिस्वेदार है और जमीदार है १९५५ के अक्टूबर में वह खातेदार होगा, मगर २८ जून, perhaps it is 28th June, 1958 के बाद में बिस्वेदार की डेफिनिशन को चैन्ज किया है और खुदकाश्त की डेफिनिशन के अनुसार Extension of Revenue's laws Order...... उसके बाद में बिस्वेदार और जमीदार के खुदकाश्त के टिनेन्ट क्रियेट कर दिये हैं। खुदकाश्त के टिनेन्ट्स हैं वह सब-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

टिनेन्ट हो जायेंगे और वह खातेदार के टिनेन्ट हैं उनको सब-टिनेन्ट माना जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खुदकाश्त का टिनेन्ट था उसने किसी को सबलैट कर रखा था वह उसका सब-टिनेन्ट था, उसका क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खुदकाश्त का जो टिनेन्ट है वह खुदकाश्त होल्डर का टिनेन्ट रहेगा । वह टिनेन्ट आगे सबलैट नहीं कर सकता है । खुदकाश्त के टिनेन्ट को सब-लैटिंग के अधिकार नहीं हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब-टिनेन्ट जो खुदकाश्त के टिनेन्ट का है उसको राइट नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He himself is a tenant of the khudkasht; that means he cannot sub-let.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३० व ३१ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३० व ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए ।

(विराम)

क्लॉज़ ३२ ।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा एक छोटा सा संशोधन है और वह यह है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट लोग दें उनको ३ साल की सजा दी जायगी इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है, उसके बजाय ३ साल के बजाय ५ साल की सजा देनी चाहिए । (हंसी) बात यह है कि इस प्रकार के जो लोग फॉल्स स्टेटमेंट दें और वह सारे एक राष्ट्र को फॉल्स स्टेटमेंट दें अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सजा देने के लिए यह रखा है, यह बहुत आवश्यक संशोधन है । अधिक सजा देने से लोग भयभीत होंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी प्रकार से फॉल्स स्टेटमेंट दें । इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह (विलम्ब होने पर) Not moving ? Not serious.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : (पत्रों को देखते हुए) I lost the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : I will read it for you.

"Add a proviso to sub-clause (2) as follows :

'Provided that no punishment, refund or restoration or any proceeding shall be inflicted or instituted under this section, if it is proved to the satisfaction of the session court of the area, that the person has been helped in doing so by the public servant."

श्री श्रीमानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ३२ जो है डील करता है फाल्स स्टेटमेंट से और इन फॉल्स स्टेटमेंट पर मैं यह पहले कह दूँ कि जो जानबूझ कर फॉल्स स्टेटमेन्ट करें उनको मैं कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसी पनिशमेन्ट उनको नहीं मिले । मगर देखा यह गया है, जागीर-

(श्री श्रीभानसिंह)

दारी बिल के अनुभवों में यह पाया जाता है कि फॉल्स स्टेटमेंट देने की रेस्पोन्सिबिलिटी उतनी जागीरदारों की नहीं थी जितनी कि रेवेन्यू एजेन्सी की नीचे से लेकर ऊपर तक; और किस हद तक उन लोगों ने उनकी मदद की फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए। उनके रिकार्ड्स वगैरह जो कुछ हैं उनको डिस्टोर्ट कराया गया और उनकी इन्फ्लेटेड इन्कम बताई गई, कहीं पर एरिया ज्यादा इन्क्ल्यूड किया गया और इस तरह से जागीरदार एबोलिशन बिल में यह अमेंडमेंट आया उसमें भी यह था कि जिन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिये हैं उनको निर्धारित सजा दी जाय। मैं यह जानता हूँ कि कोई माननीय सदस्य इस हाउस में यह नहीं कहेंगे कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन जब फॉल्स स्टेटमेंट आपकी रेवेन्यू एजेन्सीज देती हैं और उनके द्वारा उनको मदद दी जाती है उनके लिये क्या है ? क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि आप रेवेन्यू ऑफिसर्स के रिकार्ड को ही सही मानते हैं और तभी आप उनको खुदकाश्त की लैंड देते हैं या कम्पेन्सेशन देते हैं या जो कोई फेसिलिटीज़ या राइट देते हैं तो उनको देने में उतनी ही रेस्पोन्सिबिलिटी आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स पर है, जितनी उस जागीरदार या जमींदार पर हैं। मैं आपको एक इन्सटान्स बताना चाहता हूँ जिसमें आपके रेवेन्यू ऑफिसर ने डेलिबरेटली कनाइव किया। एक अलवर के जागीरदार ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके पास कोई जमीन नहीं है और तहसीलदार के नोलेज में यह बात थी कि उनके पास जमीन है, लेकिन तहसीलदार ने मेग्जिमम लिमिट होनी चाहिये उससे ज्यादा सर्टिफाइ नहीं किया कि उसके पास जमीन है......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किस माननीय सदस्य का हवाला है ?

श्री श्रीभानसिंह : फिर उन साहब ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया। वे कागजात रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास गये और अनादर हैड्रेड बीघा ऑफ लैंड फिर अलॉट करवा ली गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कौन सा केस है, बता दें ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं नाम नहीं बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर विस्तृत प्रकाश डालें यह अलाउ नहीं करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : मैं नाम नहीं बताऊंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा है कि माननीय सदस्य ने कहा........

श्री श्रीभानसिंह : I am sorry, I never said any "Sadasya." It is my policy.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : You said that......

श्री श्रीभानसिंह : Certainly not. My way of speaking is absolutely different from that of the Hon'ble Member.

श्री उपाध्यक्ष : Order please. Yes, will resume.

श्री श्रीभानसिंह : उनको जब अलॉटमेन्ट हो गया और उसके बाद उनको अब पनिशमेन्ट दिया जाय क्योंकि उन्होंने फाल्स

(श्री श्रीभानसिंह)

स्टेटमेन्ट दिया । ठीक है जो कुछ उस जागीरदार ने किया उसके लिये उसको पनिशमेन्ट मिलना चाहिये लेकिन रेवेन्यू एजेन्सी ने कनाइव किया तहसीलदार लेवल पर, नॉलेज में होते हुए भी उसको कहा कि आप ऐसा लिखिये और ट्रयू स्टेटमेन्ट पेश मत करिये और रेवेन्यू सेक्रेटरी तक फॉल्स स्टेटमेन्ट गया और रेवेन्यू सेक्रेटरी से खुदकाश्त की लैंड अलॉट करवा ली, उसका रिपरकेशन एक इन्डिविज्युअल पर पड़े तो मैं नहीं समझता कि यह जस्टिस है । जस्टिस तब होती जब कि रेवेन्यू एजेन्सी को भी दण्ड मिलता । ऑफिसर्स कुछ भी काम करें वे हमेशा गुड फेथ में करते हैं लेकिन इन्डिविज्युअल्स पर गुड फेथ नहीं है । उनके न होने की वजह से यह प्रोविजो एड कराना चाहता हूं :

"Provided that no punishment, refund or restoration or any proceedings shall be infilcted or instituted under this' section, if it is proved to the satisfaction of the sessions court of the area, that the person has been helped in doing so by the public servants."

मैंने यह रखा है कि जब हम कन्विक्ट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट पर ही इसको न रखें लेकिन जुडिशियल ओपिनियन या स्ट्रक्चर है वह भी इसके लिये कोम्पिटेन्ट हो । जुडिशल एजेन्सी इन्डिविज्युअल पर रेस्पोन्सिबिल्टी फिक्स करेगी लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके बारे में इम्पार्शियल जुडिशियल ऑफिसर्स रेस्पोन्सिबिल्टी फिक्स करेंगे और राजस्थान सरकार को बतायेंगे कि इस हद तक रेवेन्यू ऑफिसर्स इन्डल्ज करते हैं तो मैंने रखा है : "...to the satisfaction of the sessions court of the area, that the person has been helped in doing so by the public servant."

पब्लिक सर्वेन्ट्स जब हेल्प करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उस आदमी को ही क्यों पनिशमेन्ट दिया जाय, या जो दोनों को ही पनिश किया जाय उसके लिये प्रोवीजन होना चाहिये, लेकिन ऐसा प्रोवीजन नहीं था इसलिये जो हेल्प करता है फॉल्स स्टेटमेन्ट देने में, उसके लिये यह होना चाहिये : Knowing that the persons wants to get illegal benefit from the false statement, the officer helps him, therefore the responsibility is also of the officer. तो दोनों को रेस्पोन्सिबल करने के लिये और जहां पब्लिक सर्वेन्ट ऐसा करे वहां इन्डिविजुअल न हो इसलिये मैंने प्रोविजो एड करने के लिये अमेन्डमेन्ट रखा है जिसे सदन स्वीकार करे ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जो संशोधन रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ । प्रश्न यह है कि यदि फॉल्स स्टेटमेन्ट देने में या झूठा तथ्य बयान करने में सरकारी अधिकारी मदद करे उस वजह से उस व्यक्ति को सजा न मिले, मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं होगा । इस हालत में यह प्रोवीजन किया जायगा कि हरएक झूठाबयान दिया गया है वह सरकारी अफसर के कहने से दिया गया है, यदि यह मान लिया जाय कि सरकारी अधिकारी मदद करते हैं तो उनकी भी इतना ही जिम्मेदारी है कि झूठे बयान के लिये सरकारी अधिकारियों की मदद क्यों लेते हैं ? होना तो यह चाहिये कि सरकारी अधिकारी मदद दें तो वे भी दण्डित होने चाहिये । मैं

(श्री शंकरलाल)

इससे सहमत हूं क्योंकि दोनों ही लाइबल हैं पनिशमेन्ट के लिये।

जहां तक हमें जागीर उन्मूलन एक्ट के पास होने के पश्चात् देखने में आया है कि बहुत सी जगह जागीरदारों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिये झूठे बयान दिये और बहुत सी जगह उनको सरकारी अधिकारियों ने मदद दी, यह सही है। लेकिन जो यह प्रोसीजर है कि ३ साल की सजा होगी और यह बताया कि सेशन कोर्ट में ऐसा करेंगे। लेकिन तीन साल की सजा के लिये प्रोसीजर नहीं बताया कि कौन सजा देंगे और कौन मूव करेंगे और किस सेक्शन में सजा होगी? मैं समझता हूँ यदि यह प्रोसीजर रखा गया कि ३ साल की सजा के लिये कन्सर्निंग ऑफिसर कौन सा और किसको लिखकर भेजेगा, यह नहीं बताया। मैं समझता हूं समरी डिसीजन का प्रोसीजर होना चाहिये, यदि साबित हो जावे तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिये। मैं पाली जिले का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, कई जगह झूठी बहियां पेश की गई। उनकी शिकायत रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास हुई। ये झूंठी बातें दो तरह से होती हैं; एक तो ज्यादा मुआवजा प्राप्त करने के लिये और दूसरा, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिये झूंठ ही बता दिया जाता है कि यह हमारे यहां नौकर है। यदि मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं नाम बता दूँगा........

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will not indulge in these instances. The presumption that offence are committed is sufficient.

श्री शंकरलाल : कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को रोकना वास्तव में जरूरी है। यह हजारों की तादाद में, जहां मुआवजे का प्रश्न होता है वहां लाखों की तादाद में झूठी बहियां बनाकर पेश की जाती हैं, जिससे स्टेट को लॉस होता है, इसलिये वास्तव में कानून को कड़ा बनाना चाहिये और सरकारी अधिकारी और इन्डिविज्युअल दोनों को सजा होनी चाहिये और समरी प्रोसीजर होना चाहिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक संशोधन रखा है बल्कि दोनों संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। पहला संशोधन यह है कि झूठे स्टेटमेन्ट में ३ साल की सजा देने का जो प्रोवीजन है है उसको बढ़ाकर ५ साल कर दिया जाय, मैं इससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि फांसी की सजा देनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : फिर मुआवजा कौन लेगा?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : पीछे लेनेवाला मिल जायगा। यदि स्टेट गवर्नमेन्ट से झूंठ बोलकर रुपये उठाता है उसके लिये विशेष कानून है कि उसे ३ साल की सजा होनी चाहिये और इस को बढा कर ५ साल करना चाहते हैं और यदि सामान्य रूप से कोई झूंठ बोले तो फॉल्स एविडेन्स के लिए दफा १६३ में एक साल या ६ महीने की सजा होती है तो मैं समझ नहीं पाया कि एक जमींदार के झूंठ की कीमत ज्यादा है और साधारण आदमी के झूंठ की कीमत कम है, तो मैं समझता हूँ एक की बात रहनी चाहिये कि झूंठ बोलने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये ताकि झूंठी गवाही आदि क आदत न रहे और उसके लिये एग्जेम्प्लरी पनिशमेन्ट रहना चाहिये। माननीय सदस्य ने

[श्री तनसिंह]

५ साल की सजा का प्रोवीजन रखा है लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कि ऐसा अमेन्डमेन्ट लाना चाहिये कि झूंठ बोलने वाले को फांसी दी जाय। पहले हाथ काट लिया करते थे या पांव काट लिया करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ठीक हो, लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री तनसिंह : जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके मुताबिक पनिशमेंट को पांच साल बढाने का कोई कारण नहीं लगता, अब दूसरा ..

श्री दामोदरलाल व्यास : बढाने का कारण नहीं लगता ?

श्री तनसिंह : जी हां, क्यों बढाई जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : दफा १६३ में सात इयर है।

श्री तनसिंह : मुझे ख्याल है। उसमें प्रूव करना मुश्किल है, उसमें कोर्ट में जाकर हलफ उठा कर झूंठ बोलने की बात है। दूसरे में बेगुनाह आदमी को सजा मिल सकती है। इस बात की और उस बात की तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए तीन साल का समय....

श्री उपाध्यक्ष : And shall also be liable to fine.

श्री तनसिंह : आपने एक दफा फर्मा दिया, यह काफी हो सकता है। यह चीज स्लिप ऑफ पेन से हो सकती है, गुड फेथ में भी की जा सकती है। ऐसी अवस्था में जो तीन साल का समय रखा हुआ है, वह काफी है। दूसरे, इसमें दूसरा आदमी पनिशमेंट में शामिल नहीं होता है, उसको बचाने का कोई कारण नहीं रहता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एवीडेन्स दे तो उस पर इन्सिस्ट करने की कोशिश करेगा। यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के कहने से उसने किया हो। उसका उत्तरदायित्व आप नहीं मानते हैं जिसकी कनाइवेन्स से वह एवीडेन्स देता है। इस प्रकार वह सजा के लिए लाइबिल बनाता है और स्वयं को खत्म कर देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए यह कहना वाकई सही है कि अगर इस प्रकार का अमेंडमेन्ट नहीं किया गया तो गवर्नमेंट आफिशियल्स ज्यादा लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो एवीडेन्स दी गई है, वह जिसकी कनाइवेन्स से दी गई है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए और जो सजा वर्तमान बिल में दी हुई है वह काफी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३२ में जो दो संशोधन के प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह और श्री श्रीमानसिंह ने रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत की बात : 'If in any proceeding under this Act, any person makes a statement which is false.........' यदि इतना केवल होता तो मैं समझता हूं कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं होती, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है : 'or which he knows to be false or has reason to believe to be false or does not believe to be true ...अब इन सारी बातों के बारे में, मैं समझता हूं या तो कुछ प्रिन्टिंग की मिस्टेक है और की जगह एण्ड होना चाहिए- 'Any person makes a statement which

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

is false and which he knows to be false and has reason to believe to be false and does not believe to be true. ये कन्डीशन्स हैं, कि स्टेटमेंट फॉल्स दे और वह फॉल्स स्टेटमेंट, जानते हुए दे, उसे विश्वास था कि वह झूठा स्टेटमेन्ट दे रहा है तब दे, उसे विश्वास था कि सही नहीं है; तब दे । माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि तब इस प्रकार का प्रावधान रखते तो ज्यादा अच्छा होता । इस बारे में, माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें कि प्रिन्टिंग ऐरर है या जान बूझ कर ऐसा रखा गया है । जो झूठी एवीडेन्स दे, उस पर थोड़ा विचार हो, इसमें कुछ भ्रान्ति तो नहीं हो गई है, जो स्टेटमेन्ट दिया है, वह फॉल्स है या नहीं, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन हो जाय । बयाना-रूप-वास से आने वाले सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसके सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इसे स्वीकार करेंगे । इसी प्रकार जो फॉल्स स्टेटमेन्ट दे दिये जाते हैं, वे एप्लीकेन्ट्स नहीं देते, जागीर रिजम्प्शन के अनुभव ने हमें बताया है कि इस प्रकार के फॉल्स स्टेटमेन्ट जागीरदार ने दिये हैं, वे पब्लिक सर्वेन्ट की मदद से दिये, उनकी कना-इवेन्स, कोरबोरेशन से दिये तो वे भी बराबर दोष के, दंड के भागी हैं, इसमें डिस्क्रिशन या डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं है, इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : We have got a similar provision to Section 193 of the I.P.C......

'......any statement which is false or which he believe to be false or which he does not believe to be true, is said to give false evidence."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is false evidence, but not false statement.

श्री उपाध्यक्ष : Expression is the same.

When this is so even under the general law, it is any person who gives false statement or......then why not under this special law ? कोई भी आदमी फॉल्स स्टेटमेन्ट दे और फॉल्स स्टेटमेंट देकर जो लाभ प्राप्त किया है, वह रेस्टोर हो जायगा । जो अपराध फॉल्स स्टेटमेन्ट के बारे में हैं वे क्रिमिनल लॉ के अनुसार डिसाइड हो सकते हैं, इसलिए इसमें रखना जरूरी नहीं है, Yes, Hon'ble Minister-in-charge.

(श्री दामोदरलाल व्यास भाषण देने के लिए खड़े हुए)

श्री अनूपसिंह : मैं बोल रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us push on.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका दृष्टिकोण आ गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उनका कहना यह है कि पब्लिक सर्वेन्ट के इन्स्टीगेशन से किसी आदमी ने जुर्म किया है, फॉल्स स्टेटमेन्ट दिया है उसको सजा न दी जाय और जिस पब्लिक सर्वेन्ट ने मदद दी है, जिस पब्लिक सर्वेन्ट ने उसको इन्स्टीगेट किया है, अबेट किया है, जिससे मदद मिली है फाल्स स्टेटमेन्ट के बनाने में, देने में, उसके लिए कहते कि उसको सजा मिलनी चाहिए और पब्लिक सर्वेन्ट को भी सजा मिलनी चाहिए तो ज्यादा जस्टीफिकेशन होता बमुकाबले........

श्री श्रीभानसिंह : आप ले आओ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक आदमी पब्लिक सर्वेन्ट से मिल कर स्टेट को डिप्राइव करने के लिए कितना बड़ा फॉल्स स्टेटमेन्ट दे दे, कितना ही नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे.......but he should be immune only because he has somehow or the other joined hands with a Government servant......

श्री श्रीभानसिंह : Or the Government servant has somehow or the other joined hands with him ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Both ways, जो भी हो both. न पब्लिक सर्वेन्ट को डिफेन्ड करने की बात है, न उसको डिफेंड करने की बात है। The public servant, as a matter of fact, should get more punishment. मगर यह कहना कि सजा न दी जाय, that the person giving false statement should be immune from punishment...आपका क्या बेसिस है, आप कौन से जुरिसप्रुडेन्स की बात कहते हैं। आपका मतलब है कि एक आदमी बेईमानी करे, पब्लिक सर्वेन्ट की मदद लेता है, तो बेइमान को माफ कर देना चाहिए, उसको पूरा एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, I do not see any logic behind this इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरा अमेंडमेंट माननीय सदस्य, जो धौलपुर से आये हुए हैं, का है, उन्होंने तीन साल की जगह पांच साल किया है। उससे भी आगे बढ़ कर बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने फांसी देने का बरवल अमेंडमेंट दिया, इन दोनों अमेंडमेंट....

श्री उपाध्यक्ष : बरवल अमेंडमेन्ट मैंने नहीं एडमिट किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं दोनों का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि जो पनिशमेन्ट तीन साल है वह एडीक्युएट् है, इसे ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शंका उनके दिल में पैदा हो रही थी, उसको माननीय उपाध्यक्ष ने साफ कर दिया है सेक्शन १६३ बता कर........

श्री श्रीभानसिंह : एक और ऑब्जेक्शन किया गया था, प्रोसीजर क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसका ?

श्री श्रीभानसिंह : सेक्शन के अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर में शिड्यूल में दिया हुआ है 'Offences against other laws,' there is a procedure prescribed therein for every such case. उसमें सब प्रोसीजर दिया हुआ है। अलग-अलग कानून में अलग-अलग प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन था, उसका उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि इस पर बी०पी०सी० लगा दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, मुझे इस संशोधन को वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ में डॉ. बहादुरसिंहजी ने संशोधन पेश किया है, उसको वापिस लेने आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ. बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन० वापिस लेता हूं

श्री श्रीभानसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के पहले यह जानना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी अमेंडमेंट ला रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना अमेंडमेन्ट वापिस ले रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ में श्री श्रीभानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३३; प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३४ व ३५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३४ व ३५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३४ व ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३६; डॉ. बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं मूव नहीं करूंगा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मेरा ३४ में अमेन्डमेन्ड था।

श्री उपाध्यक्ष : We have it passed over.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ को स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज़ ३६ नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (श्री बृजमोहन लाल से) आप बातों में लगे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please ! Schedule. Shri Brijmohahlal Sharma.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, मेरा तो इस क्लॉज में यह संशोधन है कि...

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो शिड्यूल की बात कहिये कि क्या चाहते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : शिड्यूल की बात कहता हूं ...

(कुछ क्षण विराम).

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल को स्टेडी तो कर लीजिये ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमान् मेरा संशोधन यह हैं कि :

"The following proviso be added after item 4(b) of the Schebdle:-

'Provided that subject to such masginal adjustments as may be prescribed no such amount under this clause shall be deducted when the total gross income calculated under clause 2 does not exceed two thousand rupees.,'' श्रीमान् आपने यह रखा कि ग्रोस टोटल इन्कम में से २० प्रतिशत सरकार काट लेगी और उसकी नैट इन्कम को इस प्रकार लगाया जायगा । मेरा संशोधन यह है कि जिन लोगों की इन्कम २००० से ग्रोस इन्कम ज्यादा नहीं है, उनसे मेनेजमेंट चार्जेज न लिये जायें । क्योंकि ये लोग मध्यम श्रेणी के और नहीं देने लायक स्थिति में हैं ! बड़े बड़े जमींदार जागीरदार हैं, जिनको कि नौकर रखने पड़ते थे, उनको पैसा खर्च करना पड़ता था, वे मेनेजमेंट चार्जेज देते थे, उनका तो काटना चाहिये पर जिनकी आमदनी सौ, दो सौ रुपया है, उनका २० प्रतिशत मेनेजमेंट चार्जेज काटें तो उनकी स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं होगा, उनको क्या मिलेगा ? इस लिये वसूली और नेचरल जस्टिस को देखते हुए जिनकी इन्कम २००० से नीचे है उनके यह मेनेजमेंट चार्जेज नहीं काटने चाहिये । दो हजार का नहीं तो एक हजार का ही रखिये । पर कोई उसूल ऐसा जरूर रखिये मैं उम्मीद करता हूं कि सदन और माननीय मन्त्री महोदय दोनों इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो उनको मुआवजा देने का प्रावधान है, शिड्यूल एक में उसमें उनकी ग्रोस इन्कम में से २५ प्रतिशत काटा जायगा ।

३.३५ म०प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसमें है : "administrative charges, including the cost of collection, maintenance of records, management of the estate and irrecoverable arrears ..." ये इन इन बातों के लिये यह २५ प्रतिशत घटाने का प्रावधान किया गया है । मैं निवेदन करूंगा कि कोस्ट ऑफ कलेक्शन, इस वक्त उनकी निल है, वे एक भी पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि जो प्रणाली इस वक्त वहां है, जमींदारी बिस्वेदारी एस्टेट्स में यह कि सरकारी पटवारी रिकार्ड रखते हैं, उसी रिकार्ड के अनुसार वे पर्चा बांटते हैं काश्तकारों को और उसी के अनुसार नम्बरदार कलेक्ट करता है । वहां ५ पर्सेन्ट सैसेज के नाम से लगान पर वसूल होता है, वह वसूल करके नम्बरदार को दे दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि बिस्वेदारों और बिस्वेदारों के ऊपर कौन सा खर्चा आता है, जिसको कि २५ पर्सेंट इसमें काटने का रखा है ।

मेन्टिनेन्स ऑफ रिकार्ड, रिकार्ड भी सरकारी अधिकारी मेन्टेन करते हैं, जागीरदार या बिस्वेदार पर्चा भी मेन्टेन नहीं करता । अब ऐसी दलील दी जाती है कि जागीर रिजम्प्शन कानून के ऊपर बहस हो रही थी तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि हालांकि छोटे जागीरदार खर्चा नहीं करते, पर सरकार रिज्यूम कर रही है तो सरकार को तो खर्चा करना पड़ेगा । पर सरकार का यहां तो एक पसा भी खर्च नहीं होगा । बिना किसी प्रकार का खर्चा किये सरकार के खजाने में पैसा पहुंच

(श्री रघुवीरसिंह)

जायगा, तो समझ में नहीं आता कि २५ पर्सेंट कटौती का प्रोवीजन कैसे न्याय संगत हो सकता है ? क्या रीजन्स इसके लिये हो सकते हैं, क्या वेलिड कारण इसके लिये हो सकते हैं, यह समझ में नहीं बैठता ।

इसलिये मैंने रखा है कि २५ पर्सेंट काटने का रखा है वह बिलकुल अन्यायपूर्ण है, इसको नहीं रखना चाहिये । जो उनकी नैट आमदनी है, वही उनको मिलनी चाहिये ।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक संशोधन इसमें है वह इस प्रकार है कि, सवाल यह था कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय ।

श्री सभापति Please resume your seat you see there is no quorum.

(कोरम घंटी)

yes, carry on .

डॉ॰ बहादुरसिंह : हमने सिद्धान्त मान लिया कि कम्पेन्सेशन देना है, पर देना कितना है ? मैं यह चाहता था कि कम्पेन्सेशन दिया ही नहीं जाय । देना ही है तो एक टाइम दे दीजिये न कि ऐट टाइम्स । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने ऐट टाइम्स कम्पेन्सेशन दिया तो जो पहले ही मालदार हैं उनको और मालदार बनाना चाहते हैं और जो गरीब हैं उनको गरीब ही रहने देंगे ।

इसलिये मेरा यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । कम्पेन्सेशन की धारा ३ निकल गई, उसमें अमेंडमेंट रखना मैंने उचित नहीं समझा, मैंने देखा कि शिड्यूल आयेगा तो यह संशोधन रख दूंगा । कम्पेन्सेशन देना मान लिया तो ऐट टाइम्स क्यों देते हैं, क्या केल्कुलेशन है, क्यों नहीं एक टाइम का दे देते । एक साल का एकदम दे दिया तो फिर वे बिजनेस करेंगे । खुदकाश्त के लिए जमीन दे दीजिये, नकद क्यों देते हैं ? एक साल का कम्पेन्सेशन देकर चुकता उसका हिसाब कर दीजिये, ताकि झगड़ा रहे ही नहीं ।

मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा ।

श्री सभापति : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : इसको आप डेफर कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बहस कर लीजिए नहीं तो फिर कहेंगे साहब कि बहस करेंगे । डेफर करेंगे । डेफर कर देंगे बातचीत करने के लिए....

But if you want to express your views, that may be done.

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, यह अन्दाज लगाना बहुत मुश्किल है कि डेफर करने के बाद में क्या बातें आयेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो फर्मा दीजिये, यह समझ कर कि डेफर नहीं हो रही है डिस्कस ही हो रही है ।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, आज जो स्थिति राजगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने रखी है, आज स्थिति यह है कि आज कोई रिकार्ड मेन्टेन नहीं करना पड़ता है, जो मशीनरी आज रेंट रियेलाइज करती है वही बाद में भी करेगी ।

(श्री तनसिंह)

यहां इसमें कोई मेटीरियल डिफरेन्स नहीं पड़ता है। आज जो स्थिति है वह की वही करना चाहते हैं, और वह की वही बात पहले भी गवर्नमेंट कर रही है और आज भी कर रही है। गवर्नमेंट को कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं बढता है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज का प्रश्न है वह उनके मुआवजे के साथ मिलाया नहीं जा सकता। जागीरदारों और बिस्वेदारों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि जागीरदार तो पहले से ही स्वयं रेन्ट वसूल करते थे और उनके पास रेन्ट वसूल करने के लिये मशीनरी थी और गवर्नमेंट को जागीर एबोलिशन के साथ साथ रेन्ट रिएलाइजेशन के लिये मशीनरी को नया करना पड़ा। आप कहते हैं कि जागीरदारों से यह लिया है तो यह तो उनसे लेना तो कुछ न्यायसंगत है। मगर यहां पर इससे उन पर कोई एडिशनल चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पड़ता है। तो ऐसी हालत में यह २५ प्रतिशत चार्ज लिया जाना वाजिब नहीं लगता और इसको हटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर आप लेते हैं तो ऐसी अवस्था में इसका यही मतलब निकाला जावे कि सरकार को मदद देने के लिये या सरकार की आमदनी को बढाने के लिये ही रखा है तो फिर २५ पर्सेन्ट काट कर आप ८ गुना देते हैं तो इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। आप जितना देना चाहें दे दें और फिर इस तरह से हिसाब करने और अनावश्यक जोड़, बाकी, गुणा और भाग की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जावे और नहीं तो जैसा चाहिये कर दिया जावे।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, यह खर्चे की जो बात है वह एक प्रकार से हास्यप्रद बात है। जिनको कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता है उनसे जबर्दस्ती का खर्चा बता कर वसूल किया जावे। यह एक मानी हुई चीज है कि जमींदारों और बिस्वेदारों को न तो मैनेजर रखने पड़ते थे और न कामदार रखने पड़ते थे और नहीं उनको ऐसा रेन्ट कलेक्शन में खर्चा करना पड़ता था जिसके कारण से यह २५ प्रतिशत की कटौती करके उनको मुआवजा दिया जावे। यह उचित नहीं होगा। मैं मानता हूं कि अगर कोई बड़ा सरमायेदार या जमींदार है तो वह खर्च करता था अन्यथा दूसरों की हैसियत ही नहीं थी जो मैनेजर रखते। यहां पर तो ज्यादातर १०० , २०० और ३०० सौ के जमींदार थे वे इस तरह से वसूली करने के लिये मैनेजर या सर्वेन्ट रख कर रेन्ट वसूल करते तो उनके बच्चे किस तरह से पलते? उनका और उनके बच्चों का पालन इतनी थोड़ी आमदनी में किस तरह से होता? इसलिये उन पर इस तरह का जो टैक्स लादा जा रहा है, नहीं लादा जाना चाहिये। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि जागीरी रिजम्पशन एक्ट में यह माना गया था कि खर्च करने की जरूरत नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज गलत चीज थी। इसलिये यह एक आर्ग्युमेंट कि शायद सरकार को खर्चा करना पड़े, सरकार पहले से इसका प्रबन्ध करे। माननीय सभापति महोदय, यह एक बड़ी हंसी की चीज है कि जिस आदमी का आप गला काट रहे हैं उसको ही आप कहें कि तलवार भी तू ही लाकर हमको दे। किसी को आप फांसी दे रहे हैं और उसको फांसी पर लटकाने के लिये उसको ही कहा जावे कि तख्ता भी तू ही ला कर दे। यह कैसे हो सकता है? हमारे पास खर्चा नहीं है और हमको समाप्त किया जा रहा है इसलिये हम आप को खर्चा भी

(श्री अनूपसिंह)

दें कि आप हमें समाप्त कर दो । जिसको आप समाप्त करना चाहते हैं उसी को यह कहते हैं कि खर्चा भी तुम्हीं दो खत्म होने के लिये । खैर, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज का क्लॉज़ है वह बडा हंसी-मजाक की चीज हो जाती है क्योंकि जिनको एक पाई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली उनकी हैसियत नहीं थी कि वे रेन्ट वसूल करने के लिये किसी को नौकर रखते, इसलिये उनसे २५ प्रतिशत कटकर के उनको कम्पेन्सेशन देने की बात अगर आप हो गई तो मैं यह कहूंगा कि उनको किसी तरह से जस्टिस नहीं मिलेगी और उसको हम किसी भी तरह से जस्टीफाई नहीं कर सकेंगे । हालांकि माननीय राजस्व मंत्री बहुत बिजी हैं और उनको अपनी बातों को सुनाना आसान नहीं है फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का २५ प्रतिशत कट करके एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से लेना उचित नहीं होगा । अगर आप दूसरे प्रान्तों में देखेंगे तो मालूम होगा कि वहां पर ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाता है । दूसरी जगह १५ प्रतिशत से ज्यादा कहीं भी नहीं लिया जाता । आपकी मामूली जमींदारों के लिये यह २५ प्रतिशत की कटौती करना उचित नहीं । अगर आप करेंगे तो यह बडी मजाक की चीज हो जावेगी । दूसरे प्रान्तों के लेवल पर चलें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर १५ प्रतिशत से ज्यादा कहीं भी नहीं है। आपने जागीर रिजम्पशन में २५ प्रतिशत रख दिया है । सेन्टर तक से मेरे ख्याल से इसके लिए कोई अनुमति नहीं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री इसको मान लें तो ठीक रहेगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, यह प्रश्न जो इस समय उपस्थित हो रहा है अगर यह राजपूतों या जागीरदारों के लिये ही होता तो इसमें जो उधर बैठे हुए महानुभाव हैं और सदस्य हैं वे समझते कि जागीरदारों के लिये यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है । मगर यह प्रश्न जो अभी हमारे सामने आ रहा है वह उन गरीब से गरीब लोगों के लिए आ रहा है जिनके पास बोने तक के लिये पूरी जमीन नहीं है । उन जमींदारों के लिये यह प्रश्न आ रहा है, जिनके लिये इधर के और उधर के बैठने वालों के लिये भी अवश्यमेव सिम्पैथेटिक मूव है और विचार करना जरूरी होगा । जागीरदारों के समय से भी यह प्रश्न कतई नहीं रहा कि कलेक्शन और मेन्टिनेन्स ऑफ रिकार्ड का काम जागीरदार खुद करते थे, उसका खर्चा जागीरदार दें यह अब भी उस पर विचार चल रहा है महामना जवाहरलाल नेहरू के पास । लेकिन यह जो प्रश्न गरीब लोगों के लिये है जिनकी हैसियत पर आप बुरी तरह से आघात कर रहे हैं । ये लोग अपना निर्वाह न मालूम किस तरह से करते थे । वे जो मामूली हासिल होता था खुद ही वसूल करते थे, उनके लिये इस प्रकार का प्रावधान होना मैं समझता हूँ कि यह उनके लिये बड़ी सख्ती की चीज होगी । जहां तक २५ प्रतिशत की बात है इसके लिये मैं यह कहूँगा कि अगर राजस्थान सरकार के खजाने के लिये आवश्यकता हो तो इसको न भी दिया जावे और इसका न देना ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत उनको २५ प्रतिशत मुआवजा काट कर देने के । जिनके कलेक्शन व एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी कम नहीं करना पड़ेगा व न गवर्नमेंट को करना पड़ेगा । पहले सरकारों के समय में

Page No.89

(श्री नरेन्द्रसिंह)

इस प्रकार हुआ करता था और इस प्रकार के कलेक्शन होते जैसे नामद गर्दी, अहमद गर्दी, भाऊ गर्दी, अमीरखां गर्दी, आदि किसी दंड की व्यवस्था थी उस समय भी प्रश्न जब आता तो वसूली होती थी दंड होता था और दूसरी चीज़ होती थी, इसी प्रकार यहां भी एक प्रकार का सवाल होगा। चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसा दिखता है कि वे बहुत ही गूढ़ विचार कर रहे हैं और इस समस्या के वास्ते वे यह सोच रहे हैं कि यह बढ़ाई जाय या नहीं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि वे कम से कम डेमोक्रेसी के वक्त में इस पर विचार करें। दूसरे वक्त पर तो यहां तक होता था कि जिसको फांसी के तख्ते पर भी भेजते थे तो उसको यह कहा जाता था कि जो कोई तेरी धारणा है, मांग है, या दूसरी चीज है, उसकी मांग कर। मैं इस चीज़ को इसलिए अर्ज करूंगा कि यदि एक जागीरदार का प्रश्न होता तो मैं नहीं निवेदन करता, एक राजपूत का प्रश्न होता तो मैं नहीं निवेदन करता, क्योंकि उधर बैठने वाले महानुभाव यह कहते कि उनके लिये कहता है, वे गवर्नमेंट पहले चलाते थे, आज की गवर्नमेंट सक्सेसर और प्रेडीसेसर्स इन ऑफिस हैं। इसलिये मैं उन गरीबों के वास्ते, जिसमें सब ही तबके के लोग हैं, उनमें सो काल्ड हरिजन्स हैं, काश्तकार हैं, जाट हैं, और दूसरी जातियों के भी हैं उनके लिये निवेदन करता हूं कि यदि उनके लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जो खास तौर पर देश काल के अनुसार और मौजूदा राजनीति के अनुसार मौजूद नहीं है, तो उनके लिए अधिक हानिप्रद होगा और उचित भी नहीं होगा।

(घन्टी)

मैं इसके लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री नरेन्द्रसिंह : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर गौर देकर विचार होना चाहिये।

(राजस्व मंत्री तथा श्री रघुबीरसिंह के परस्पर वार्ता करने पर)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए कह दिया जाय तो उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : उचित विचार ही कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, is a sub-Committee sitting there?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is about the Bill

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Small consultation may go no under parliamentary practice, but continued checks should be made.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय सभापति महोदय,....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्....

श्री सभापति : आप (श्री बृजमोहनलाल) माननीय सदस्य क्या कह रहे थे?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। वह अमेन्डमेन्ट है।

श्री सभापति : वह लिख कर भेज दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मूव कर देता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका शिड्यूल में अमेन्डमेन्ट है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : शिड्यूल में बहस चल रही है। para 4, sub-clause(b) reads: "(b) administrative charges, including the cost of collection, maintenance of records, management of the estate and irrecoverable arrears at twenty five percent of the gross income determined under clause 2."

Now my amenoment is : Insert 10 percent instead of 25 percent'

अब मैं किस उद्देश्य से इस संशोधन को पेश कर रहा हूं श्रीमान्, उस पर विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो बिस्वेदार और जमींदार हैं वे काफी पैटी प्रोप्राइटर्स हैं और उनको इतने रिटर्न चार्जेज नहीं देने पड़ते जितने कि दूसरों को देने पड़ते हैं। इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की हालत को ध्यान में रखते हुए २५ प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत हो तो अच्छा होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसका तो में विरोध करता हूं लेकिन उन्होंने जो भावना व्यक्त की है उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने संशोधन रखा है कि ८ टाइम्स मुआवजा दिया जाय। मैं समझता हूँ कि मुआवजा देने का मतलब यह नहीं है कि जो मालदार हैं उनको और मालदार बनाया जाय। जो मालदार हैं यदि उनको ८ टाइम्स मुआवजा दिया गया तो वे और भी मालदार बन जावेंगे और जो समाजवादी समाज की रचना हमारी सरकार करना चाहती है उसके विपरीत होगा इसलिए नहीं दिया जाय। जब कल बहस हो रही थी तो हमने यह मांग की थी कि मुआवजा नही दिया जाय और उसके स्थान जैसा की वेंकटाचार्य कमेटी ने सिफारिश की थी कि वह मुआवजा नहीं होगा किन्तु रिहेबिलिटेशन असिस्टेन्स होगी। रिहेबिलिटेशन असिस्टेन्स देना चाहते हैं तो ८ टाइम्स कैसे होगी ? जिनको आज चार हजार मिलता है उनको ८ टाइम्स देंगे तो रिहेबिलिटेशन का सवाल नहीं है। उनके पास जितना पैसा है उसमें और देंगे और वे व्याज उपजावेंगे। सारे ही जमींदार छोटे ही होंगे ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि बड़े भी होंगे, कोई २० हजार का होगा, कोई लाख का होगा। और उनको यदि ८ टाइम्स देंगे तो ज्यादा हो जायगा। ऐसे जमींदार भी हैं जिनको ८ रुपया या ५० रुपया या १०० की आमद है उनको भी ८ गुना ही दिया है। यदि उनको ८ गुना दे दिया जाय तो यह उनके लिए रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ८ टाइम्स न रख कर मुआवजा उनकी इन्कम के आधार पर तय किया जाना चाहिये। बड़े जमींदारों को ज्यादा नहीं देकर जितनी आमद है उसका वन टाइम ही कर दीजिये। लेकिन जिनकी आमद ५०, या १००) है उनको बीस गुना, तीस गुना दे दीजिये जिससे कि उनकी जो आजीविका का ढांचा है वह लड़खड़ाये नहीं। बड़ों के लिए यदि ८ टाइम्स कर देते हैं तो जो भावना वेंकटाचार्य कमेटी ने व्यक्त की है उसके विपरीत है, वह रिहेबिलिटेशन असिस्टेन्स नहीं। यदि रिहेबिलिटेशन असिस्टेन्स देना चाहते हैं तो यह तब ही होगा जब कि इन्कम ग्रुप के आधार पर मुआवजा तय करेंगे। लेकिन सब को ही एक ही डंडे से हांकना न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए धौल-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं उसका समर्थन करता हूँ लेकिन संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं । इसलिए माननीय मंत्री महोदय स्वयं ही इस प्रकार का संशोधन रखें कि जिससे कि उनको इन्कम ग्रूप के आधार पर असिस्टेन्स दे सकें ।

श्री **भानसिंह** (बयाना) : मिस्टर चेयरमैन, सर, इस क्लॉज के अन्दर शिड्यूल के अन्दर एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज और ८ टाइम्स नेट इन्कम है । मैं इस सारे क्लॉज के बारे में न बोल कर मैं अपने आपको दो चीज में ही कन्फाइन करूंगा । जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज का प्रश्न है मेरी समझ में नहीं आता कि २० परसेन्ट किस तरह से रखा गया है, इसके पीछे क्या रीजन्स हैं, क्या लौजिक है, यह माननीय मंत्री महोदय ही बतावेंगे । यह इसलिए समझ में नहीं आता और आर्ग्युमेन्ट्स दिये जा सकते हैं वे ज्यादातर ये होंगे कि जागीरदारी एबोलिशन एक्ट में २५ प्रतिशत रखा है लेकिन जागीरदार और जमींदार जो है उनको देखें तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों की अलग अलग स्थिति रही है और आज भी दोनों की अलग - अलग स्थिति है ।

४ म० प०

जागीरदारों के यहां के सैट अप को आप देखें तो वहां इस तरह का उनका सैट अप था जहां पर गवर्नमेन्ट की जो रेवेन्यू एजेन्सी थी वह बिल्कुल एग्जीस्ट नहीं करती थी । वहां पर जागीरदारों को सेटलमेन्ट करना पड़ा । रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपोइन्ट करना पड़ा इसी बात को ध्यान में रखकर उनसे चार्जेज लिये गये और इसके अलावा जागीरदारों को अपने इलाके के अन्दर सोवरिन राइट्स थे जिसमें रेवेन्यू, जुडिशियरी और एक्साइज इस प्रकार के कितने ही तरह के राइट्स थे उनके लिये वे खुद मशीनरी रखते थे और जमींदार लोग नहीं रखते थे, उनको कम्पलशन नहीं था । राजस्थान गवर्नमेन्ट ने जब जागीरें रिज्यूम कीं तो उनके लिए अनिवार्य हो गया था कि इस प्रकार की मशीनरी क्रिएट की जाती और मोर्डन सिस्टम जो भी इनके लिए आवश्यक था उसको इन्ट्रोड्यूस करने में भी सरकार ने खर्च किया । इस हिसाब से जागीरदारों से २५ प्रतिशत लिया गया तो यह वाजिब था । उसी चीज को जमींदार एरिया में लागू करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप वहां पर क्या एक्सपेन्डीचर इन्कर करेंगे, रिकॉर्ड क्या मेन्टेन करेंगे और जगह की तो मैं नहीं कह सकता जहां तक अलवर, भरतपुर और धौलपुर का प्रश्न है वहां की जमींदारी के बारे में यह कह सकता हूँ कि वहां उनका सोवरिन-स्टेटस नहीं था, वे तो सिर्फ एक प्रकार से इन्टरमिजियरीज थे जो लैंण्ड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इस तरह से धीरे धीरे उनको प्रोप्राइटरी राइट्स दिये गये । इस प्रकार से जो एजेन्सी वे मेन्टेन करते थे वही एजेन्सी आज भी मौजूद है । भरतपुर के अन्दर एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेन्सी बदस्तूर मौजूद है, पटवारी वहां पर खसरा वगैरह रिकॉर्ड करता है, वही पटवारी लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड की कापी करता है । सर्वे और सेटलमेंट वहां का हो चुका । जमींदारी एरिया के अन्दर जो मशीनरी दी है उसको आलरेडी इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया । वैसी हालत में भरतपुर में जो खर्चा है पटवारी वैसे के वैसे मौजूद है । वही लैण्ड रेवेन्यू वसूल करता है, वही खर्चा अलवर और भरतपुर में भी है । इसलिये

(श्री श्रीमानसिंह)

एग्जीस्टिंग मशीनरी जब मौजूद है उसके लिये अतिरिक्त बर्डन आने वाला नहीं तो मैं नहीं समझता यह २५ प्रतिशत जो आप चार्जेज वसूल करना चाहते हैं वह कैसे करना चाहते हैं, किसलिये करना चाहते हैं और वह भी फ्लेट रेट से। जागीरदारों में तो ऐसे भी जागीरदार थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थीं, तीन चार लाख की भी थीं, मगर जमींदारी में इस प्रकार का भेदभाव नहीं मिलेगा। जमींदारों में दस लाख की जमींदारी ही नहीं है, दो रुपये और दो पैसे की भी हो सकती है। जमींदारी में इक्वीलिटी ज्यादा है। छोटी जमींदारियों की संख्या ज्यादा है, बड़ी जमींदारियां एक्सेप्शन की तौर पर एकाध मिलेंगी। वैसी हालत में सब से २५ प्रतिशत फ्लेट रेट से वसूल करना और तब डिडक्ट करना जब कि ऑलरेडी गवर्नमेंट मशीनरी उस काम के लिये मौजूद है, जहां कि मशीनरी ऑलरेडी गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में है वहां पर इस प्रकार के चार्जेज वसूल करना उचित नहीं है। आज जमींदारी एरिया के अन्दर टिनेन्सी रिफोर्म को देखिये, वही रेवेन्यू मशीनरी इम्प्लीमेन्ट कर रही है। लगान के पर्चे पटवारी जाकर देता है, रेवेन्यू रेन्ट जो कुछ भी है जमींदार कलेक्ट करता है और उसको डिपोजिट करवाता है। जितना भी प्रोसीजर है वह सब रेवेन्यू एजेन्सी कर रही है तो फिर इस २५ प्रतिशत को आप किस प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं। जहां तक जागीरदारों और जमींदारों का सवाल है इन दोनों के राइट्स में डिफ्रेन्स है उनके प्रिविलेजेज को देखा जाय तो वह भी डिफ्रेन्ट है जब उनके प्रिविलेजेज डिफ्रेन्ट है तो हमको अलग अलग उसके लिये निर्धारित करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों को एनवीसेज करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं वैसी हालत में पांच प्रतिशत क्योंकि उन पर इससे ज्यादा खर्च आपको करना नहीं पड़ेगा। आप ले रहे हैं २५ प्रतिशत चार्जेज, मैं समझता हूँ यह एक प्रकार से आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, जमींदारों और बिस्वेदारों पर। इस प्रकार से आप २५ प्रतिशत ग्रोस इन्कम में से डिडक्ट कर लेते हैं तो उसके पास कम्पेन्सेशन के रूप में आप क्या छोड़ेंगे। इस तरह से कम्पेन्सेशन का उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा।

दूसरा इसमें फ्लेट रेट से कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा गया है। कम्पेन्सेशन देना आप संविधान द्वारा जस्टिफाइड मानते हैं, संविधान यह नहीं कहता कि आप एक गरीब जमींदार को या जागीरदार को, अजमेर में जिसे खेवटदार कहते हैं, ऐसे लोगों को भी आठ गुना मुआवजा दो और दस हजार और पचास हजार की जिनकी जमींदारिया हैं उनको भी आठ टाइम्स दो। क्या इस प्रकार का जस्टिस संविधान में लिखा हुआ है? आज आपको देखना यह है कि रिहेबिलिटेशन, कम्पेन्सेशन या इकोनोमिक असिस्टेन्स किसको सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी आमदनी कम हो उसी को ज्यादा जरूरत हो सकती है। इसलिए जिनकी कम आमदनी है उसके लिए ज्यादा कम्पेन्सेशन का स्केल रखें और जिस तरह से आमदनी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से कम करते जायें, इसको कहा जा सकता है जस्टिस, इकोनोमिक जस्टिस, सोशियल जस्टिस। मगर यहां तो प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस नहीं है, यहां तो आठ टाइम्स फ्लेट रेट रख दिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं यू०पी० में फ्लेट रेट नहीं और भी जगह के एक्ट हैं उनमें एकाध में एक्सेप्सेशन मिल सकता है, बाकी किसी

(श्री श्रीमानसिंह)

भी जगह एक रेट पर कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया, सब जगह वेरीइंग स्केल रखी गई है। हमारी तरह की जमींदारी सौराष्ट्र में है, जहां जमींदारों को गिरासीदार कहते हैं, उनकी जो कम्पेन्सेशन देने की स्केल है उसके अन्दर क्लासिफिकेशन की गई है और उसी के अनुसार कम्पेन्सेशन दिया गया है। ऊंची स्केल से शुरू की जाकर जिस तरह से कम आमदनी जिनकी होती थी उनके कम्पेन्सेशन की मात्रा बढ़ती जाती थी। जिन जगहों पर फ्लेट रेट्स हैं वहां जरूर रिहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट होगी, वहां रिलीफ रिहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट सेपरेट ग्रॉन्ट रखी होगी।। आप रिलीफ रिहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट देते नहीं, जमींदारों और बिस्वेदारों को देते नहीं, उनको आठ टाइम्स कम्पेन्सेशन ही देना चाहते हैं तो बड़ों को बड़ा रखना और छोटों को छोटा रखना यही आपके कम्पेन्सेशन की मन्शा है इसके अलावा दूसरी मन्शा हो नहीं सकती, बड़ों के स्तर को नीचा करना और छोटों को बड़ा करना, यदि हम इस नीति पर चलते हैं तो सही मायने में सोशलिज्म हमारे यहां आ सकता है। आप जिस प्रकार का स्टेटस को मेन्टेन करना चाहते हैं, आपके हिसाब से गरीब आदमी तो गरीब ही रहे और अमीर आदमी ज्यादा अमीर बनता रहे तो मैं समझता हूँ यह २५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज आप डिडक्ट कर रहे हैं कम्पेन्सेशन्स में से तो फिर आप उतना ही करें जितना भाग व लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है। इस जगह ग्रोसरह स्केल की बहुत जरूरत है, फ्लेट रेट करते हैं तो आपको रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट रखनी पड़ेगी। आप उनके साथ इकोनोमिक जस्टिस करना चाहते हैं तो जो रेट्स आपने तय की है उसको एबोलिश करिये। Your fight or the fight of the party is with certain type of institutions. हमारी यह लड़ाई किन्हीं व्यक्तियों से नहीं जमींदार, जागीरदार या बिस्वेदार से नहीं है, झगड़ा हमारा एक टाइप ऑफ इन्स्टिट्यूशन से है। हम इस प्रकार की इन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, इन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन आदमियों को समाप्त करना नहीं चाहते। उन आदमियों को रिलीफ-रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट देकर रखना चाहते हैं, वे एक प्रकार रूरल इकोनोमी को फुलफिल करते आये हैं, करेंगे। अगर हम हर इन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उनमें रहने वाले व्यक्तियों को रिमूव करते जायेंगे या उनकी ऐसी हालत कर दें कि वह पनप नहीं सकें तो फिर भी वह बर्डन आयेगा सरकार पर। सरकार को उनको रीहेबिलिटेट करना पड़ेगा।

जस्टिस और इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें, सीलिंग के सोशल जस्टिस के पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें, सोशल इकानोमिकल या संविधान के पोइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी जस्टिस यही कहेंगे कि जो गरीब है उसको किसी तरह से अमीर बनाया जाय। कुछ तो सबस्टेन्स देखिये जिनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग लो है, उनका रेज किया जाय। अगर आप कम्पेन्सेशन का ग्रेडेड स्केल रखेंगे तो बड़े जमींदार या बिस्वेदार हैं वे इसको बुरा नहीं मानेंगे। छोटों के लिए ज्यादा मुआवजा रख देते हैं तो इससे छोटे जमींदारों को कुछ फायदा अवश्य हो सकता है और बड़ों को ग्रेडेड स्केल में रख देते हैं तो उनको भी किसी प्रकार का एतराज होने वाला नहीं है।

दूसरा, आपने जो एडमिनेस्ट्रेटिव चार्जेज रखे हैं वे भी ज्यादा रखे हैं। मैं इस विषय पर राजस्व मन्त्री महोदय से यह सूचना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसके अन्दर गवर्नमेंट की रेवेन्यू मशीनरी नहीं है।

(श्री श्रीमानसिंह)

जब मशीनरी ऑलरेडी वर्क कर रही है उस जगह पर आप ऑलरेडी एक्सपेन्डीचर कर रहे हैं वैसी हालत में मैं नहीं समझता २५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ले रहे हैं वे किस आधार पर ले रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन दोनों क्लॉज़ेज को माननीय मंत्री महोदय सोच समझ कर रीड्राफट करें तो बहुत अच्छा हो।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि वे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य का जो दस प्रतिशत का अमेन्डमेन्ट है, उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं यह कह दें तो आगे बहस में सुविधा हो।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : सभापति महोयय, मैं सदन के समक्ष यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। २५ पर्सेन्ट की जगह दस पर्सेन्ट जाय।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : एक और मेरा अमेन्डमेन्ट था।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है और जिसे माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। जहां तक हमारे बीकानेर डिविजन का सम्बन्ध है वहां पर किसी भी तरह की सरकार की एजेन्सी कायम करने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो काम कर रही है वही पर्याप्त है, इसके लिये कोई दूसरी मशीनरी लगानी पड़े यह मैं नहीं समझता। गंग केनाल कॉलोनी में जो मालिक हैं जो गवर्नमेन्ट को लैन्ड रेवेन्यू पे करते हैं उसी तरह पे करते रहेंगे, वहाँ जमींदारी और बिस्वेदारी के लिये अलग स्टाफ लगाना पड़ेगा यह कतई मानने लायक नहीं।

हो सकता है चूंकि जागीरदारी एबोलिशन बिल में २५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज रक्खें हों उसी खयाल से यहां भी रखना मुनासिब समझा होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे इस इलाके में जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिश करते समय नया एक्सपेन्डीचर नहीं करना पड़ेगा। वैसी हालत में इस प्रकार के चार्जेज जो आप जमींदारों और बिस्वेदारों से वसूल करना चाहते हैं, वह उचित नहीं है, यही मेरा निवेदन है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री रघुवीरसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका समर्थन करता हूँ और जो ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है, दस पर्सेन्ट का, उसका विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय, इसके लिये सरकार के पास दो दलीलें हो सकती हैं। एक तो यह दलील कि जागीर रिजम्पशन में भी वे कलेक्शन चार्जेज लेते हैं उसी के आधार पर यहां भी रखा गया है। दूसरी दलील यह हो सकती है कि जो स्टाफ सरकार लगायेगी उसका मैनेजमेन्ट पर जो खर्चा होगा उसके लिये भी यह एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज गवर्नमेंनट वसूल करना चाहती है। ये दोनों दलीलें जो सरकार की ओर से दी जा रही हैं दोनों में कोई सार नहीं है, अगर उनको तथ्यहीन कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जागीरदारी और जमींदारी ये दोनो

(श्री भीमसेन)

अलग अलग चीजें हैं। जागीरदारों को रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाती है और जमींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं दे रहे हैं। जागीरदारों को जो पे स्केल ऑफ कम्पेन्सेशन है वह भी डिफ्रेन्ट है। वहां सात गुना दिया जा रहा है तो यहां आठ टाइम्स दिया जा रहा है। उनको रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलती है, उनसे आप पच्चीस प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज वसूल करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, I am unable to understand the pedigree of the Jagirdar which the Hon'ble member has Just menticned.

श्री दामोदरलाल व्यास : You need nct understand it.

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, जमींदारों के लिये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के लिए जो १० प्रतिशत का प्रावधान रखा है वह बहुत ज्यादा है। कारण इसका यह है कि जागीरदारी एबोलिशन बिल में जो इस प्रकार रखा है उसका कारण यह है कि उनको रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाती है, उसके अलग अलग स्केल हैं जिसको कम्पेन्सेशन ज्यादा मिलता है उसको रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट कम मात्रा में दी जायगी और जिसको कम मिलता है उनको ज्यादा मात्रा में दी जायगी। मगर इस प्रकार का प्रोविजन इस बिल में नहीं है, इसलिये जो दस पर्सेन्ट मैनेजमेंट चार्जेज लेना चाहते हैं वह ज्यादा है। इसके लिये आपको कौन सी मशीनरी लगानी पड़ेगी, आपके पटवारी मौजूद हैं आपको एक एक जमींदार के लिए अलग अलग पटवारी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। एक पटवारी के हल्के में चार पांच गांव होंगे, उसके लिये अलग अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिये जो सरकार दस प्रतिशत मैनेजमेन्ट चार्जेज वसूल करना चाहती है, वह गलत है, इसमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार बिजिनेस खोलना चाहती है। वहां पहले से सर्कल्स बने हुए हैं, स्टाफ पहले से मौजूद हैं, उन्हीं के तहत वसूल होगा, इस प्रकार से यह दस पर्सेन्ट वसूल करना न्यायसंगत नहीं होगा। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे रघुवीरसिंह जी का जो संशोधन है, उसे स्वीकार करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बताया गया है कि आठ गुना मुआवजा दे रहे हैं वह बहुत ज्यादा है, इससे मालदार को ज्यादा मालदार बनाया जा रहा है और गरीब को ज्यादा गरीब। इसलिये यह कहा गया है कि गरीब को ज्यादा दिया जाय और मालदार को कम। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक सेर की कीमत एक है तो मन भर की कीमत दूसरी कैसे हो सकती है। उसी हिसाब से मन भर की कीमत को भी दिया जायगा। यहां रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं है यहां मुआवजा शब्द रखा गया है। मुआवजा अपनी मालियत का लेता है उसको जो सेर कीमत देता है उसी के हिसाब से एक मन की भी कीमत देनी होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने अर्थमेटिक पढ़ी नहीं है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी रखते हुए) यहां रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट जो नहीं दी जा रही है उसके लिये प्रोविजन लाते तो फिर भ माना जा सकता था। जहां तक मुआवजे का

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सवाल है वह तो कानन की दृष्टि से ही सोचा जाना चाहिये।

एक यह भी विचारधारा व्यक्त की गई कि गरीब आदमी को ज्यादा मुआवजा दिया जाये। जो महाशय यह चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीब जमींदारों को फायदा हो सकेगा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिये रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रोविजन ला सकते थे। एक आदमी को पांच रुपया मुआवजा मिलता है, अगर उसको पच्चीस रुपया भी दे दिया जाय तो क्या वह अमीर बन जायगा —

श्री भैरोंसिंह : एक कोट तो बन जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) यह गलत बात है। वे तो आज भी गरीब हैं और आयन्दा भी गरीब ही रहेंगे। उसके लिये आप दूसरे प्रकार का प्रोविजन ला सकते हैं यह जो मुआवजे की दर है उसमें कमी या ज्यादा करवा दिया जाय, यह गलत है।

जागीरदारों को भी मुआवजा देने का सिद्धान्त तो एक ही रखा गया किन्तु, रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट की दर अलग अलग रखी गई। यहां मुआवजा आठ गुना रखा गया और जागीरदारों के लिये सात गुना। इसलिये मैं यह कहूंगा कि मुआवजे में कमी-बेशी हो, यह उपयुक्त नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं अमेंडमेन्ट पर तो बोल चुका हूं लेकिन जनरल डिस्कशन पर....

श्री सभापति : आपने संशोधन रखा तभी सारे पर बोल सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : समय तो थोड़ा देना चाहिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं तो अमेंडमेन्ट पर ही बोला हूं। क्लॉज पर तो अभी बोला ही नहीं।

श्री सभापति : कोई विशेष अहमियत की बात है ?

श्री भैरोंसिंह : अजमेर के एक्सपीयरेन्सेज़ हैं और उन्हें हाउस को सुनने का मौका नहीं मिला, तो वह मिल जायेगा और कम से कम कम्पेन्सेशन के मामले में कुछ रोशनी मिल सकेगी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा विशेषकर राजस्थान सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो इस शिड्यूल का पैरा ५ है उसमें आपने एक मुआवजा देने का जमींदारों और बिस्वेदारों के लिए एक शिड्यूल बनाया है और उसमें आपने मल्टीपल दिया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं इस क्लॉज पर।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : सब पर नहीं बोले हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जनरल बातों पर पहले बोले थे अब खास बात पर बोलेंगे।

श्री सभापति : I am looking to that.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्,

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

मेरी यह प्रार्थना थी कि आपने जब जमींदारी एबोलिशन बिल रखा....

श्री सभापति : Normally one cannot speak. But I have allowed you to let us be enlightened. But you should be serious about your arguments in your speech.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैं यही कह रहा था कि जो बिल रखा गया है उसके अन्दर रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। जो जागीरदार लोग थे उनमें करोड़पति थे, जिनके पास लाखों की सम्पत्ति थी उनके लिये आपने रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रोविजन रखा और उनको दिया। साथ ही कम्पेन्सेशन भी आपने उन लोगों को ज्यादा दिया जो कि जमींदार और बिस्वेदार को दे रहे हैं। रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि यह जमींदार और बिस्वेदार मध्यम श्रेणी के लोग हैं, बल्कि निम्न स्तर के लोग भी हैं, इन लोगों के लिए आपने कोई रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं रखी। मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि उनके लिये अगर कोई जस्टीफिकेशन है तो वह यही है कि उनके लिये रीहेबिलिटेशन ग्रांट का प्रोविजन होता....

श्री सोहनलाल भटनागर : आप इसके लिये अमेंडमेंट क्यों नहीं लाये ?

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जी इस अमेंडमेंट को रख देते। अगर आप चाहें तो आप ही रख दें। अच्छा है यह अमेंडमेंट आपके नाम से आयेगा। मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा कर दें!

श्री तनसिंह : प्रार्थना के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं रहती।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : तो मेरी प्रार्थना थी कि वह इस बिल के अन्दर एक रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रोविजन और जोड़ दें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** माननीय सभापति महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि जिस प्रकार से अजमेर के कानूनों के बारे में समय समय पर अजमेर के भूतपूर्व राजस्व मंत्री महोदय ने सदन को कई बातें बताईं, उसी प्रकार से कम्पन्सेशन के विषय में भी वह कुछ कहते, लेकिन खैर........

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या वह मॉडल एक्ट था ।

श्री भैरोंसिंह : इस सारे शिड्यूल को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक देखा जाये तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने कानून बनाने के स्थान पर कोई तमाशा किया है। सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के वे शब्द मुझे आज अच्छी तरह से याद हैं जो शायद उन्होंने जागीर रिज़म्शन ८ वां अमेन्डमेन्ट बिल के समय मेरे कुछ आर्गुमेन्ट्स का उत्तर देते हुए कहे थे। जागीर रिज़म्शन ८वां अमेन्डमेन्ट बिल के द्वारा बेसिक ईयर की उन्होंने डेफीनिशन बतलाई थी। जागीर रिज़म्शन एक्ट में जो सन् १९५२ में पास हुआ था और उसमें सन् १९५४ में जिस समय संशोधन पेश किया गया था उसमें बेसिक ईयर की डेफीनिशन रखी थी जो आज इस शिड्यूल के अन्दर दी हुई है :

"The expression for the basic year means the Agricultural year immediately preceding the agricultural year in which the date of vesting falls.

इस परिभाषा को बतला कर इसके लिए यह

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था की गई कि जिस वर्ष के अंदर जागीरदारी खत्म होती है वह वर्ष बेसिक ईयर समझा जायेगा। मैंने उस समय सरकार के संशोधन बिल का इस कारण से विरोध किया था कि जागीरदारी जो हमने अब तक रिज्यूम की हैं उसके अंदर एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा। जो बड़े जागीरदार थे जिनकी जागीर २१ अगस्त १६५८ से पहले पहले रिज्यूम हो गईं उन जागीरदारों को पिछले साल की आमदनी के ऊपर मुआवजा मिलेगा और जो जागीर २१ अगस्त, १६५८ के बाद रिज्यूम हुई हैं उनको इस वर्ष की एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर कम्पन्सेशन दिया जायेगा। उसमें एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा जिसके कारण छोटे जागीरदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उस समय भी माननीय राजस्व मंत्री महोदय के पास उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं था और उन्होंने यह रास्ता निकाला कि यदि बेसिक ईयर की डेफीनिशन कहीं बदली जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि जो जागीर जल्दी रिज्यूम होनी चाहिए उनको समय पर रिज्यूम नहीं किया जा सके। मैं समझता हूँ कि उसके लिए प्रोसीडिंग्स भी साक्षी हैं। उस समय मेरे ऊपर केवल यह इल्जाम लगाकर कि बेसिक ईयर की डेफीनिशन आज बदली जा रही है उसका विरोध केवल इसलिए किया जा रहा है कि छोटी जागीरें रिज्यूम न हों। क्या मैं उन्हीं शब्दों का भाव यहां पर यह लगाऊं कि आज बेसिक इयर जो हमने अभी इसी सेशन में तय किया है हमारी राज्य सरकार उसके विपरीत इस शिड्यूल के अन्दर जो डेफीनिशन ला रही है उसका कहीं यह सैन्स तो नहीं है कि सरकार जमींदार के एबोलिशन में कुछ बिलिम्ब करना चाहे। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार का जिसने सन् ५२ के अन्दर लैंड रिफार्म्स एण्ड जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास किया था उसी राजस्थान सरकार ने इस शिड्यूल के बारे में जो शिड्यूल जमींदारी एबोलिशन एक्ट के अन्दर देने की व्यवस्था है उस एक्ट में भी जमींदारों के लिए शिड्यूल निर्धारित किया था। उसके अन्दर बेसिक ईयर की वहीडेफीनिशन है जो आज है। लेकिन जागीर रिजम्शन एक्ट में जो बेसिक इयर की डेफीनिशन है। उसमें बेसिक ईयर की डेफीनिशन बदल दी। क्यों बदली है? इसका कारण तो माननीय राजस्व मंत्रीजी भी जानते हैं। यह उनके कहने की बात हो सकती है। उससे कारण से जागीर रिजम्शन में कोई तकाजा करना था। मैं ऐसा समझता हूं कि न जागीर रिजम्शन में तकाजा करना था बल्कि उसके कारण से जितने भी छोटे भूस्वामी हैं उन लोगों को नुकसान पहुंचाने का सरकार का दृष्टिकोण था। अब यदि यह प्रश्न आया कि तकाजे का सवाल था मैं समझता हूं कि वही बेसिक इयर की डेफीनिशन जो अभी जागीर रिज़म्शन एक्ट में स्वीकार की थी वह यहां भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब प्रश्न फिर आता है कि इसी शिड्यूल के अन्दर हमने इनको कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि सदन में दो प्रकार की राय इसके बारे में आई। एक राय तो यह थी कि कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय और दूसरी राय यह थी कि इन्हें दिया जाये। जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि इनको कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने यह बात अवश्य कही थी कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी की प्रोपर्टी को यदि एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

में हमें कुछ कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यह बात समझ में नहीं आती कि संविधान धारा के अनुसार हमें मुआवजा देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है यह कि जिसकी प्रोपर्टी हम एक्वायर करते हैं जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के मामले में भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस रिज़म्प्शन शब्द के ऊपर काफी वाद-विवाद वहां हुआ और वाद-विवाद के बाद में एक निर्णय लिया गया कि यह शब्द रिज़म्प्शन नहीं है, बल्कि एक्विज़ीशन है। हम किसी के राइट्स को एक्वायर कर रहे हैं तो जहां ऐसा प्रश्न आता है तो जमींदारी और जागीरदारी एक ही श्रेणी में आयेंगे। यदि इसकी डिटेल्स में जायें कि जमींदारों के क्या राइट्स थे तो उन राइट्स के प्रश्न को लेकर, माननीय सभापति महोदय, मैं फिर १६५२ वाले उस एक्ट का रेफरेंस दूंगा, जिसमें जगीरदारों को क्या कम्पेन्सेशन मिल सकता है, उसके राइट्स किस प्रकार होंगे, किन राइट्स पर कम्पेन्सेशन वह क्लेम कर सकता है। उसका सारा शिड्यूल नम्बर २ में जहां ग्रोस इन्कम क्या होगी, उसके बारे में व्यवस्था की है।

"The Gross income of a Zamindar for the Basic year shall consist of the same heads of income, and shall be calculated in the same manner, as the gross income of a Jagirdar in accordance with the provisions of the Second Schedule."

इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी राज्य सरकार यानी कांग्रेस सरकार या उसी पार्टी की सरकार जो सन् १६५२ के अन्दर जमींदारी खत्म करने पर तुली हुई थी, उस समय जागीरदार और जमींदार में कोई अन्तर नहीं था। उसके बाद में जिस वैंकटाचार्य कमेटी का रेफरेन्स दिया जाता है, बार बार उसकी दुहाई दी जाती है, वह रिपोर्ट १६५१ के अन्दर प्रकाशित हो चुकी थी और इस एक्ट में जो सन् १६५२ के अन्दर बनाया गया, उसके अन्दर बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है कि उसी की प्रेरणा लेकर, वैंक्टाचार्य कमेटी ने जो व्यवस्था दी है, जो सुझाव दिये हैं, सुझावों के आधार पर यह उस समय का एक्ट बना था। आज भी हमारा यह कहना है कि ५२ में जमींदारों को कुछ राइट्स थे वे ५८ के अन्दर कुछ और राइट्स हो गये, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इन जमींदारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा कानून बना है जिन कानूनों के अन्दर सिवाय टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर जिनमें कि लैण्ड रेवेन्यू निर्धारित की है, इसके अलावा कौन सा ऐसा कानून बनाया है जिससे जो किसी न किसी प्रकार के राइट्स उनके वर्षों से थे. कानून संगत राइट्स उनके वर्षों से थे उनको किसी प्रकार से कम किया है, तो ऐसी स्थिति के अन्दर मैं यह मानकर चलता हूँ कि जो राइट्स वर्षों से उनके थे और बीच में सन् १६५२ में सरकार ने उन राइट्स को एक्वायर करने की इच्छा प्रकट की लेकिन एक्वायर नहीं किये हैं, वे राइट्स कानून संगत होते हुए सन् १६५८ में बिल्कुल उसी रूप में हैं जिस रूप में सन् १६५२ के के अन्दर थे। लेकिन इस बीच में जमाना बदला और सरकारें भी बदलीं। हो सकता है कि सरकारों के बदलने से जमींदारों के साथ रवैया भी बदला हो, लेकिन ऐसा मुझे कहने में संकोच नहीं हो सकता है कि जितनी भी लैण्ड रिफार्म्स की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अन्तर्गत १६५२ का कानून बनाने के बाद में सिवाय इस बात के कि इन्टरमीजियरीज को

(श्री भैरोंसिंह)

जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय, इसके अलावा लैण्ड रिफार्म्स पॉलिसी के अन्दर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति के अन्दर जमींदारों और जागीरदारों के, जिनके राइट्स एक हैं, वर्षों से एक हैं, किसी ने जमींदारी की खरीद की है तो किसी ने सिर कटवाकर जागीरदारी प्राप्त की है, इनमें कोई अन्तर नहीं है। जमींदारी जो हैं उनके लिए किसी ने पैसा खर्च किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी जागीरों के लिए पैसा खर्च नहीं हुआ होगा वे हेरीडिटरी हैं, उनकी सेवाओं के कारण जागीरें मिली हैं, और जमींदारों ने जमींदारी पर हक प्राप्त किये हैं, पैसे को कमा कर और उससे खरीदकर जमींदारी प्राप्त की है। यदि खरीदने वाले व्यक्ति को कम्पेन्सेशन देने के बारे में विचार करें कि उनके राइट्स नहीं थे, और जो व्यक्ति खरीदने के कारण नहीं बल्कि सेवाओं के कारण जागीर प्राप्त करे उसके लिए कम्पन्सेशन देने की एक अलग प्रकार से व्यवस्था रखें। मैं समझता हूँ कि दोनों में अन्तर मिलेगा और अगर अन्तर है तो स्थिति का, तो यह एक जबर्दस्त उसमें कमी रहेगी।

अब प्रश्न यह है कि सन् ५२ के अन्दर जो व्यवस्था की थी उसके अन्दर परिवर्तन क्यों किया गया? सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि मुझे स्पष्ट भी कर देना चाहिए कि राज्य सरकार शायद यह कहे कि जागीर रिजम्पशन एक्ट १६५२ के अन्दर पास हुआ और जागीरें रिज्यूम १६५४ के दिसम्बर से होना शुरू हो गयीं और सन् १६५८ में समस्त राजस्थान की छोटी-मोटी सब प्रकार की जागीरदारियां रिज्यूम हो गई। उन लोगों को इस बात का समय कम मिला था कि लैण्ड रिफार्म्स के अन्दर कि जो लैण्ड रेवेन्यू उनको है, जागीरदार की, जागीरदारी की जो इन्कम है वे उसका उपभोग करें, और इस कारण से जमींदार जो उसी कानून के अनुरूप है, उसी कानून के अनुसार हैं, सन् ५२ से लगाकर सन् ५८ तक खत्म हो जाने चाहिए थे, ६ वर्षों तक लैण्ड रेवेन्यू का जमींदारी की इन्कम का उन्होंने फायदा उठा लिया है इसढंग से उपभोग करने से कम्पन्सेशन की मात्रा कम भले ही हो और वह व्यवस्था सरकार करने जा रही है, वह ठीक सुझाव है, यह एक बहुत थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय तो समझ में आ सकता है। लेकिन इसके आगे चलकर यहां तक व्यवस्था की है कि इस शिड्यूल के अन्दर जमींदारों की ग्रोस इन्कम क्या होगी? उसके लिए तीन पोइन्ट्स मुख्य तौर से सामने रखे हैं "Income from rents in respect of lands in the occupation of tenants not being tenants of khudkasht or sub-tenants;

Income from cesses in the nature of rents referred to in clause (a) of sub section 2 of section 173 of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956, payable and paid by or on behalf of such tenants;

Income from grazing dues from lands other than khudkasht and Shamlat Deh lands calculated on the basis of average yield for ten years immediately preceding the basic year;

Income from sayar in respect of lands in the estate other than khud-

(श्री भैरोंसिंह)

kasht and shamlat-deh lands calculated on the same basis as income from grazing dues"

अब यह प्रश्न आता है कि सरकार की जमींदारी एबोलिशन की जो रिपोर्ट है वह भी मैं समझता हूँ बिल्कुल इस मामले में साइलेन्ट है कि जमींदारों को इनके अलावा और कोई इन्कम हो सकती थी या नहीं। आज यह प्रश्न कम्पन्सेशन देने का नहीं है। यह प्रश्न उनके राइट्स लेने का है, और यदि राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलें तो बिना कम्पेन्सेशन दिये राइट्स ले नहीं सकते। मैंने परसों के दिन जिस समय सरकार ने एक क्लॉज रखी थी कि आज से ५ वर्ष पहले जिसको संशोधित करके ३ वर्ष किया गया, तीन वर्ष पहले किसी जमींदार ने फोरेस्ट को लीज पर दे दिया उस लीज पर दिये हुए फोरेस्ट के एग्रीमेंट को सरकार मान्यता प्रदान नहीं करेगी। वह इस बात का निश्चित रूप से संकेत करती है कि जो जमींदारों की इन्कम है, जो ग्रोस इन्कम इस क्लॉज के अन्दर रखी गई है, उससे ज्यादा और भी कई ऐसे फेक्टर्स थे जो फेक्टर्स जमींदार की इन्कम में इन्क्लूड होते थे। उनमें जंगल मुख्य रुप से हैं जिसका रेफरेन्स इस बिल के अन्दर आया है। बाकी किन्हीं तरह की इन्कम के बारे में नहीं कहा है जो कि एक्साइज की इन्कम हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जागीर रिजम्प्शन एक्ट में बाकी ८, ९ बातें रखी हैं ऐसी कि एक जागीरदार की ग्रोस इन्कम क्या हो सकती है उसमें :

"1. Income from land revenue,

2. Income from forests,

3 Income from grazing fees,

4. Income from querries,

5. Income from non-agricultural uses of land.

6. Income from sale of culturable abadi land,

7. The amount of compensation or income from rents.

8 The amount of compeasation paid in cash by the Government.

9. Income from payments, if any received by the Jagirdar from the grantees of his jagir land and respect of the grants made by the Jagirdar :"

इस प्रकार का एक ऐसा लम्बा–चौड़ा मद रखा हुआ है, जिसमें जागीरदार की मर्जी आई, उसी तरह किसी न किसी इन्कम को किसी न किसी हैड के अन्दर लेकर उसने कम्पेन्सेशन ले लिया। लेकिन यहां प्रश्न यह आता है कि जब एक जमींदार को जागीरदार से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो ऐसा प्रश्न होता है कि जमींदार की आमदनी और थी, और सोर्सेज ऑफ इन्कम और थी। जो सोर्सेज ऑफ इन्कम उसके अन्दर लिये हैं, उसके अनुसार सन् १९५२ में ग्रोस इन्कम क्या हो सकती थी। ग्रोस इन्कम को मोटे रूप से वही मान लें जो कि एक जागीरदार के लिए हो सकती थी, तो इसके अन्दर कुछ चीजें छिपी हुई हैं जिसका आभास नहीं हो सकता है। इस ढंग से सारा डिफरेन्स किया गया है। सारी चीजों को डिफरेन्स करने के बाद देखें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी ग्रोस इन्कम जो तीन बड़ी बड़ी मदें रखी हैं उनके अलावा जमींदारों की किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं हो सकती है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जमींदारों की और प्रकार की भी आमदनी होती

Page No.102

(श्री भैरोंसिंह)

थी, मुख्य रूप से फोरेस्ट की आमदनी थी। उस आमदनी को किस प्रकार इन्क्लूड करेंगे ? उस आमदनी का किस प्रकार से कम्पन्सेशन देने वाले हैं ? इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, यदि हम आगे चलकर देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कानून बनाया है। कानून बनाने में हमने इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा कि जिन लोगों को कम्पेन्सेशन मिलेगा वह कम्पन्सेशन कितना मिलेगा ? राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में हमने एक व्यवस्था की है कि यदि किसी खातेदार काश्तकार के राइट्स दूसरे खातेदार टिनेन्स के सब-काश्तकार को ट्रान्सफर करते हैं या किसी कानून के अन्तर्गत उसके राइट्स दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं तो सब-टिनेन्ट को जो खातेदार टिनेन्ट बनेगा या उसी व्यक्ति को जो खातेदार टिनेन्ट बनने की इच्छा करता है, या खातेदारी राइट्स जिस व्यक्ति का एक्रू होंगे, उसको २० टाइम्स लैण्ड रेवेन्यू का कम्पन्सेशन दिलाते हैं। वह हमने कानून में व्यवस्था कर रखी है। मेरी समझ में नहीं आता कि खातेदारी का प्रश्न सामने रख कर ट्रान्सफर के लिये २० टाइम्स की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन यह केवल खातेदारी का प्रश्न नहीं है बल्कि खातेदारी से बढ़कर है। यदि खातेदारी से बढ़ कर नहीं होता तो इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। स्पेशल प्रिविलेज्ड इन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देकर हम इसकी चिन्ता नहीं करते और न इसकी मांग ही करते, लेकिन उनको आज खातेदारी से भी ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में खातेदारों से भी कम हैसियत जमींदार की रहती है, इस पर मुझे आपत्ति है। मैं चाहूंगा कि आप इसके डिटेल्स में जावें और पता लगावें कि खातेदारों और जागीरदारों में कितना अन्तर है और उनके कम्पन्सेशन में कितना अन्तर है।

अब प्रश्न यह आता है कि किसी को कम्पन्सेशन दें या नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि किसी को कम्पन्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह देखना चाहिये कि हम उनको किस प्रकार रीहेबिलिटेट कर सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, इसको देखते हुए कम्पन्सेशन का प्रावधान रखा है, वह उपयुक्त है या नहीं ?

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हम जिसकी जितनी जमीन लेंगे उसको मोटे रूप में उतना ही कम्पन्सेशन देंगे यह मानने में आ सकता है कि जितनी जमीन जिससे लेंगे उतना ही कम्पन्सेशन उसको देंगे। लेकिन संविधान में छूट है कि आप एक व्यक्ति को दो गुना कम्पन्सेशन दे सकते हैं, दूसरे को तीन गुना दे सकते हैं और तीसरे को दस गुना दे सकते हैं। आज कोई यह पूछे माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि आपने जो आठ गुना देने का प्रावधान रखा है उसके पीछे क्या लोजिक है ? आठ गुने का सात गुना भी हो सकता है और ६ गुना या १० गुना भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या लोजिक है ? किस कारण से आपने ८ गुना देने का अंदाजा लगाया ? क्योंकि मैं यह भी कह सकता हूं कि १० गुना दिया जाय और कोई यह भी कह सकता है कि नहीं दिया जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक गुना मुआवजा दिया जाय इसे फिक्स करने का क्या कारण है ? केवल यही कारण हो सकता है कि हम रीजनेबल कम्पन्सेशन देना चाहते हैं। लेकिन रीजनेबल देने का

Page No.103

(श्री भैरोंसिंह)

मापदंड क्या है ? देने का कारण यह है कि हम जिनसे लैंड लेते हैं उनको अपरूट होना पड़ता है और जो व्यक्ति अपरूट होता है वह व्यक्ति उस स्थान पर आज की व्यवस्था में किस तरह से अपने आपको रीहेबिलिटेट कर सके और उसके लिए उसको कितनी आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी पूर्ति कर ले। लेकिन उसके लिए हमने मोटे रूप से रखा है कि आठ गुना मिलेगा, उसका कोई लोजिक या कारण नहीं रखा, जो जागीरदारी एबोलिशन एक्ट सन् ५२ में बना था, उसमें लिखा है :

'The amount payable to a Zamindar for compensation. The amount payable to the Zamindar under Section 25 (a) shall be ten time the net income determined in accordance with the provisions hereinbefore contatined.'

इसका मतलब यह है कि सन् ५२ में सरकार की इच्छा थी कि कम्पेन्सेशन टेन टाइम्स देने की लेकिन वही इच्छा सन् ५८ में हो गई ८ गुना देने की। मुझे जो भ्रम हो रहा है वह यह है कि सरकार के सामने शायद यह समस्या है कि जो जागीरदारी सन् ५२ में रिज्यूम करने वाले थे, उसकी तरफ सन् ५८ तक राजनैतिक कारणों से ध्यान नहीं दिया, उससे जमींदारों ने लाभ उठाया है और उस लाभ को डिडक्ट करने के लिये शायद कम्पेन्सेशन कम किया होगा। लेकिन आपने दो गुना कम किया है सन् ५२ में दस गुना था और ५८ में ८ गुना रखा है...

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् ५२ के एक्ट में कौन सी जगह दस गुना है ?

श्री भैरोंसिंह : Page 19 clause 4.

श्री दामोदरलाल व्यास : जमींदार किसे कहते हैं एक्ट में, यह मालूम है जनाब को, यह पढ़ लीजिये ताकि मालूम हो जाय; What is Zamindar under this Act ? You have taken so much time of the House. I will request the Hon'ble member to explain what is a Zamindar ? I will give him the information. The Zamindar is defined there. He can take out page four this Act Clause 2. इसमें जमींदार की डेफीनिशन पढ़ लीजिये क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : डेफीनिशन दी है कि जमीदार वे हैं जिनको जागीरदारों ने जमींदार या बिस्वेदार की हैसियत दी है और उस हैसियत से जमींदार माना है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस जमींदार को जागीरदार द्वारा जमींदार बनाया है या समझा है उसको तो आप १० गुना मुआवजा देने को तैयार हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट द्वारा जमींदार माना गया है उसको आप आठ गुना देना चाहते हैं यानी उससे कम देना चाहते हैं जिसको जागीरदार ने जमींदार बनाया है। इसलिए मैंने जमींदारों को बराबर का दर्जा देने और उनको एक सा कम्पन्सेशन देने के लिए कहा है जिन्होंने अपनी ग्रोस इन्कम का सबूत दिया है........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह समझा कि माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि सन् ५२ में जमींदारों के लिए यह प्रोविजन था लेकिन ये जमींदार वे जमींदार नहीं है हैं जो सन ५२ के एक्ट में है वे दूसरे हैं और जिनके बारे में आप बता रहे हैं वे दूसरे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज करूं कि जमींदार दो तरह के हैं एक को तो जागीरदारों ने बनाया है और दूसरे स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा बनाये गये जमींदार हैं। अब सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

की इच्छा है कि जागीरदारों द्वारा बनाये गये जो जमींदार हैं उनको चाहे कम्पेन्सेशन ज्यादा मिले...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I would like to know whether these two kinds will be calculated on difference standards ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is only the difference of what I have explained and what he has been discussing.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I wanted to know what effect does it make on the question of compensation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The question of Zamindars created by the Jagirdars as discussed is quite different with what we are discussing.

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि उनमें क्या डिफरेन्स है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : On a point of information Sir, This is quite possible that the Zamindar is defined in Act of 1952 may be different from the definition given in Act of 1955. The question is as to why there is a distinction ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no distinction. If the Hon'ble Member will look to the Act, he will find that there is no distinction.

श्री भैरोंसिंह : मैं जमींदार की डेफीनिशन बताने के लिये इसको पढ़ कर सुना देता हूँ। एक तो जमींदार बनाये हैं जागीरदारों ने जागीर रिजम्प्शन के समय उनको जो कम्पेसेन्शन दिया है वह दिया है १० गुना।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फिर यह अर्ज करूंगा कि क्या यह सही है कि इस प्रकार जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया है ? सन् १६५२ में एक्ट में एक बात लिखी है उसके बाद वह फाइनेलाइज हुआ है और उसके बाद का जो एक्ट है उसमें बतावें कि उनको किस बेसिस पर दिया है ?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि राजस्व मन्त्री जी का कहना यह है कि जो जमींदार हमने इस कानून के अन्तर्गत माने हैं उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता नहीं हूं मैं तो आपका मतलब जानना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि जमींदारों के साथ सन् १६५२ में यह किया, आप यह बतावें कि उस एक्ट के तहत मुआवजा दिया है क्या टैन टाइम्स ?

श्री भैरोंसिंह : उस एक्ट के अन्तर्गत जो सन् ५२ में बना उसमें जमींदार की डेफीनेशन में जमींदार उनको माना है जिनको जागीरदारों ने किया है, बिस्वेदारी सिस्टम या जमींदारी सिस्टम इन दो सिस्टमों के आधार पर जिनको जमींदार मानना है उनकी व्यवस्था है, शिड्यूल के द्वारा। अब प्रश्न आता है कि हमने कम्पनसेशन नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो यह बतावें कि आया उनको १० गुना मिला है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा कि जो जमींदार इस एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये थे, सन् ५४ में उनको जमींदार न मान कर जागीरदार माना गया। जिनको सरकार १९५२ में जमींदार समझती है, वे १९५४ में जमींदार नहीं रहे बल्कि जागीरदार हो गये और जागीरदार होने के बाद १८ गुना मुआवजा, रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट मिलने लग गई। इसमें एक मोटा प्रश्न इन्वोल्ड है कि जो जमींदार १९५२ में सरकार की दृष्टि के अन्दर जमींदार थे और जो जागीरदारों द्वारा बनाये गये थे, उन जागीरदारों के जमींदार को कम्पन्सेशन मिला १८ गुना, और जो भरतपुर, धौलपुर अलवर, के जमींदार थे, इन जमींदारों को कम्पन्सेशन मिलना चाहिए उनसे ज्यादा, जो जमींदार जागीरदारों के ग्रॉन्टीज थे, उनको ज्यादा मिल रहा है और जो स्टेट के द्वारा बनाये गये थे, उनको कम्पेन्सेशन कम मिलता है सरकार की व्यवस्था के अनुसार। जो जमींदार नहीं हैं, जो जागीरदार नहीं हैं, उन जमींदारों को ज्यादा कम्पन्सेशन मिलता है :

श्री दामोदरलाल व्यास: वे किस जगह के जमींदार हैं, जब हम कानून बना रहे हैं तो सब चीजें साफ हो जायं। वे किस तरह के जमींदार हैं, यह बता दीजिये। जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट के शिड्यूल में जिनको दर्ज किया है जो पहले जमींदार थे : .

श्री भैंरोसिंह : वह आपने लिखा है···

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहां लिखा है ?

श्री भैंरों सिंह : 'Zamindar' means a person on whom a village or a part of a vllage is settled by Jagirdar.

श्री दामोदरलाल व्यास : जो आपने बताया वह १९५२ के कानून में उपलब्ध है। जो फाइनल एक्ट है, उसमें बता दीजिये। जो राजस्थान जागीर रिजम्पशन एक्ट राजस्थान में फोर्स में है, उसमें बताइये। जो पहले जमींदार थे और बाद में जागीरदार हो गये।

श्री सभापति : आप किस एक्ट को रेफर कर रहे हैं ?

श्री भैंरोंसिंह : १९५२ के एक्ट को !

श्री सभापति : प्रेसीडेन्ट की किस तारीख को असैन्ट हुई है ?

श्री भैंरोंसिंह : १६ फरवरी को।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस एक्ट में वह था लेकिन सर्टेन अमेन्डमेन्ट होकर वह ओमिट हो गया। मैं जानना चाहता था कि आपने जो दृष्टिकोण रखा है जमींदार जो १९५२ में थे, उनको यह मुआवजा दिया गया। दूसरी बार आपने कहा कि १९५२ में जो जागीरदार थे, वे इस एक्ट में जागीरदार बन गये। मैं जानना चाहता हूं कि इस एक्ट की कौन सी दफा में, कौन से शिड्यूल में, कौन से नम्बर के अनुसार उन जमींदारों को जागीरदार रिकग्नाइज किया जो १९५२ में जमींदार थे। वे एक बात कहते हैं कि पहले वे जमींदार थे, बाद में उनको रिकग्नाइज कर लिया, यह आपको बताना चाहिए बहुत अच्छा हो, अगर आप मेहरबानी करके बतायें कि कौन सी दफा के अनुसार पहले वे जमींदार मान लिये गये थे और अब उन्हें जागीरदार मान लिया गया है।

श्री भैंरोसिंह : मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझें क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कानून की बात पूछ रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप जिस चीज को दबाना चाहते हैं, वह चीज छिप नहीं सकती। आप जमींदारों के प्रश्न को रख कर एक चीज की व्यवस्था करना चाहते हैं। आपने जागीर रिजम्प्शन एक्ट, १९५२ के अन्दर जिनको जमींदार डिफाइन किया था, वे इसी धारा के अन्तर्गत १९५२ में उस प्रकार जमींदार नहीं रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको चेलेंज करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता रहा हूं, आप पेशेन्स रखें Have patience.

श्री दामोदरलाल व्यास : I wanted to know who are those Zamindars who have been converted under this Act. He has stated...पहले जमींदार थे, उनको जागीरदार में कनवर्ट कर दिया। आप बतावें वे कौन से जमींदार थे, जिनको कनवर्ट किया।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कई जमींदार ऐसे थे, कई बिस्वेदार ऐसे थे जो ठिकानों के सब ग्रान्टीज़ के रूप में वर्क कर रहे थे, उन लोगों को हमने जमींदार और बिस्वेदार की संज्ञा दी है। इस इम्प्रेशन को लेकर राज्य सरकार ने १९५२ में कानून बनाया, लेकिन उस कानून के बनने के बाद जब सरकार के सामने इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन हुए, सरकार को स्वयं इस बात की जानकारी दी गई कि वे जमींदार नहीं है, वे बिस्वेदार नहीं हैं, बल्कि बतौर सब-ग्रान्टीज़ हैं, तब सब-ग्रान्टीज का प्रोविजन जोड़ कर जमींदार शब्द को हटाया तब गया। सब-ग्रान्टीज को बिस्वेदार की संज्ञा दी गई, उनको बिस्वेदार और जमींदार के नाम से किया गया। इस स्थिति के अन्दर....

श्री सभापति : सब-ग्रान्टीज की डेफिनशन कौन से क्लॉज में है ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो इसमें है, अमेंडमेंट एक्ट में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो अमिट कर दिया है। किसी जमींदार को जागीरदार मान लिया है, वह कहां है वह मैं पूछ रहा हूं। एज ए मेटर ऑफ फेक्ट उसे ओमिट कर दिया गया है That has been omitted and that was amended subsequently.

यह बिल्कुल गलत है कि पहले उन्हें जमींदार कहा और बाद में जागीरदार कह दिया।

श्री श्रीभानसिंह : The point under discussion is something different and the House is not concerned what is the definition given in the Act of 52 and what is the definition given in the Act. of 1954. ? Let us proceed with the subject.

श्री दामोदरलाल व्यास : The point is that correct information should be given.

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह आता है कि सन् १९५२ में जिसको जागीरदार के सब-ग्रान्टी को सरकार ने जमींदार और बिस्वेदार की संज्ञा देकर कम्पेन्सेशन की व्यवस्था की थी, वह व्यवस्था उस जमींदार के बिल्कुल विपरीत है, जिस जमींदार को इस कानून के

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्तर्गत समाप्त करने जा रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि जमींदार के प्रश्न को लिया जाय तो हमें इस मूल बात को ध्यान में रखना पड़ेगा. उस पर विचार करना पड़ेगा कि उनके राइट्स किस प्रकार के थे। मैंने पहले कहा था कि रिजम्प्सन के इश्यु को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिस निर्णय के आधार पर राइट एक्वायर करने के लिए, जमीन को जमींदार द्वारा एक्वायर करने की व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के आधार पर हम बिना किसी कारण के डिफरेन्सियेट नहीं कर सकते कि जागीरदार को इतना मुआवजा मिलना चाहिये जमींदार को इतना मुआवजा मिलना चाहिये। मैंने पहले कहा था कि जब माननीय राजस्व मंत्री जी भाषण देंगे वे आर्ग्यूमेंट बतावेंगे, लौजिक रखेंगे कि जिसके आधार पर उनको १८ गुना कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं वे उत्तर देने में एक्सपर्ट हैं और यह कह कर चले जायेंगे कि सरकार ने अच्छी तरह से इसको देख लिया है। लेकिन एक प्रश्न है कि हमें उनको कम्पेन्सेशन देना है तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन व्यक्तियों को कम्पेन्सेशन दिया जाय, वह कम्पेन्सेशन उनको रीहेबीलिटेट करने के लिये पर्याप्त है या नहीं, अगर पर्याप्त होता है तो उस दशा में, उस स्टेज पर कह सकते हैं कि उनके राइट्स एक्वायर किये जा रहे हैं, उनको रीजनेबल देने की व्यवस्था करते हैं। अगर कम्पेन्सेशन रीजनेबल नहीं है तो उस पर विचार करना पड़ेगा। कम्पेन्सेशन, मेरी दृष्टि से जो शिड्यूल में तय किया है, उसमें ऐसा है कि यदि एक जमींदार की इन्कम २० हजार रुपये हो तो उसको ८ टाइम कम्पेन्सेशन दिया जाय, उस स्थिति में उसे १ लाख, ६० हजार रुपये कम्पेन्सेशन के मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को, जिसके पास कई प्रकार की सुविधायें हों, उस व्यक्ति को १ लाख, ६० हजार कम्पेन्सेशन देते हैं तो यह समझ में आ सकता है कि ऐसा कम्पेन्सेशन दिया जायगा तो वह रीहेबिलीटेट होकर ठीक प्रकार से जीवन निर्वाह कर सकेगा। लेकिन अगर एक जमींदार है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, उसको २० रुपये के स्थान हर १६० रुपये हाथ में दे दिये जायं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह १६० रुपये में रीहेबीलिटेट हो जायगा ? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। सरकार उनको रीहेबीलिटेट करने की दृष्टि से, रीजनेबल चीज को सामने रख कर कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करती है तो सरकार को कम से कम इस प्रकार का तरीका तैयार करना चाहिये कि इस क्लॉज़ से ऊपर के जमींदारों को इतना मुआवजा पर्याप्त होगा, उससे नीचे वालों के लिए इतना पर्याप्त होगा। दो तीन प्रकार की आमदनी की केटेगरी बना सकते हैं जिस तरह से आपने जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट में बनाई है कि पांच हजार की आमदनी पर इतनी रीहेबीलिटेशन ग्रॉन्ट होगी, उससे ऊपर इतनी रीहेबीलिटेशन ग्रॉन्ट मिलेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार के सामने बड़े और छोटों का किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता, गरीब और अमीर का किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता, छोटे जमींदार और बड़े जमींदार में सरकार किसी प्रकार का अन्तर नहीं समझती। यह हो सकता है कि मोटे रूप से कानून में डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसलिए हम एक केटेगरी के जमींदारों के लिए एक प्रकार की व्यवस्था करें, पांच हजार की आमदनी के जमींदार हैं' उनको चार गुना मिलेगा, पांच हजार से ऊपर वाले हैं उनको इतना मिलेगा। अब

(श्री भैरोंसिंह)

तक आप लिमिट प्रेस्क्राइब न करें और एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कर दें तो वह अनलॉफुल हो सकता है। लेकिन केटेगरीज बना कर हम कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की अनरीजनेबल बात नहीं हो सकती और उन लोगों को जो रीहेबीलिटेशन के लिए कम्पेन्सेशन देना है, वे ठीक प्रकार से रीहेबीलिटेट हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ, माननीय सभापति जी, जो कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की जा रही है, यह इस ढंग की कम्पेन्सेशन की व्यवस्था है, जिसके आधार पर छोटे जमींदारों को निश्चित रूप से नुकसान होगा और बड़े जमींदारों को निश्चित रूप से फायदा होगा....

डॉ० बहादुरसिंह : टाइम हो गया।

श्री सभापति : आप समाप्त कर रहे हैं या और समय लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं टाइम लूंगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनुसार सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बजे बुधवार, दिनांक १० दिसम्बर, १६५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No.109

संक्षिप्त विवरण

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १६५८

स्कम्भ

उप-तहसील पहाड़ी का तहसील में परिवर्तन ।

मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल, भरतपुर ।

बाड़मेर तहसील में फेमिन तकावी का वितरण ।

जयपुर जिले के बी० टी० सी० अध्यापकों को वेतन वितरण ।

बाड़मेर तहसील में भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण ।

पाली जिले के पटवार सर्किल छोटे किये जाने के सुझाव ?

निरीक्षक, जयपुर पश्चिम के अधीन अध्यापकों की सीनियोरिटी ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये गये कुंए ।

कोटा जिले के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन वितरण ।

हिन्दू सार्वजनीक प्रन्यास विधेयक पर याचिका की प्रस्तुति ५७७६

श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान हिन्दू सार्वजनीक प्रन्यास विधेयक, १९५८ पर याचिका प्रस्तुत की ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों की प्रस्तुति ५७९७

स्कम्भ

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५८-५९ (प्रथम खण्ड), को प्रस्तुत किया ।

विधायी कार्य

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ ५७९७
(अग्रेत्तर विचार)

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार किया गया । खण्ड १५ स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड १७ से २२ स्वीकार किये गये ।

खण्ड २३, २४ व २५ स्थगित किये गये ।

खण्ड २६, २७ व २८ स्वीकार किये गये ।

खण्ड २९ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ३० से ३५ स्वीकार किये गये ।

अनुसूची :—इस पर सर्वश्री बृजमोहनलाल शर्मा, रघुवीरसिंह व डॉ० बहादुरसिंह ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये । इस पर की गई बहस में १० सदस्यों ने भाग लिया ।

बुधवार, दिनांक १० दिसम्बर १९५८ को कार्य सूची

(१) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८।

(अग्रेत्तर विचार)

(२) राजस्थान भू-राजस्व (षष्ठम संशोधन) विधेयक, १९५८।

(पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ११०५ का उत्तर देखिये)

LIST OF INDUSRIES IN CO-OPERATIVE AND PRIVATE SECTOR. TO WHOM LOANS AND SUBSIDY HAVE BEEN GIVEN BY THE INDUSTRIES DEPARTMENT DURING THE YEAR 1957-58 IN THE KOTAH DISTRICT.

S.No.	Name of the party.	Nature of Industry.	Amount of loan advanced
PRIVATE SECTOR.			
1.	Shri Mulla Yasin S/o Hassanji Lohar, Ramganj Mandi.	Blacksmithy	1,000/-
2.	,, Prabhulal Gupta, Prop. Ice Factory, Baran	Ice Factory	5,000/-
3.	,, Ramchander S/o Pop Singh, Bhim-ganj Mandi.	Shoe Making	1,500/-
4.	,, M/s Kotah Rubber Industry, Kotah.	Rubber Articles.	15,000/-
5.	,, Nandlal S/o Ladlilal Sharma, Kotah.	Printing Press.	5,000/-
6.	,, Vaidya Kishan Gopal, S/o Pt. Narain-lal Prop. Faithful Pharmacy, Kotah.	Ayurvedic Medi-cines.	15,000/-
7.	,, Premchand S/o Bhawanilal, Prop, Jyoti Printing Press Kotah.	Printing Press.	5,000/-
		Total Rs.	47,600/-

SUBSIDY.

1. M/s Kotah Rubber Industry, Kotah.	Rubber Articles Mfg.	836-30 Np.	Subsidy given on electricity during 57-58.

CO-OPERATIVE SECTOR.

Amount of loan advanced to 56 Weavers' Co-operative Societies for the development of Handloom Indnstry in Kotah District.	For Development of Handlom Industry.	Rs. 2,21,057/-

THE RAJASTHAN RULES FOR THE ADVANCE OF LOANS FOR DEVELOPING COTTAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES.

1. These rules may be called the Rajasthan Rules for the advance of loans for developing cottage and Small Scale Indutries as :-

2. These rules shall come into force from December 1, 1954.

3. Loans may be granted to cooparative societies, Individuals or registered bodies for extending and developing Cottage and Small Scale Industries in Rajasthan and for no other purposes upto a maximum of Rs. 15,000/ in the case of individuals and for Rs. 25,000/-in the case of Cooperative societies and registered bodies subject to the followings:-

(a) In the case of individuals or registered firms and societies Loans in excess of Rs. 5,000-shall be granted against real property (i.e land and building only) full cover being provided against the total amount abvanced

(b) In the case of Cooperative societies Loans shall, as far as possible, beadvanced through the agency of Cooperative Bank (i) Ordinarily to the extent of six times of the paid up Share Capital as certified by the Registrar Cooperative societies and (ii) in rare cases upto ten times of the paid up Share capital provided the total amount of loan does not exceed-10,000/-. Grant of loan in excess of this amount can be entertained in those cases only in which Cooperative society is in a position to furnish adequate Security and the loan in such cases will not be advanced against the maximum credit limit of the society only as in being done at present.

(c) Loans to the extent of Rs. 3000/-in individual cases shall be granted by the Director of Industries and Supplies Rajasthan, Jaipur. To the extent of Rs 5000/- and by the collector of the District as Chairman of the District Committee to the extent of Rs. 2500/-.

4. (a) Government shall appoint a Committee consisting of the following:—

1.	Hon'ble Minister for Industries	President.
2.	Two non-official members	Members
3.	Secretary, Industries and Commerce	,,
4.	Director of Industries,	,,
5.	Finance Secretary	,,
6.	Registrar Cooperative societies	,,

7. Dy. Development Commissinor. Member
(Coad) Development Department

8. Dy. Director of Industries & Supplies. Secretary

(b) The power to grant loans shall vest in the committee.

(c) Applications for loans received under rule 7 shall be placed by the Dy. Director of Industries & Supplies before the committee which shall sanction loans to suitable applicants upto the maximum amount specified in rules 3 above.

(d) The sanction accorded by the committee will be communicated to audit by the Director of Industries & Supplies.

5. Loans advanced under these rules shall bear interest at the rates specified in the order sanctioning the grant of the same. The rates of interest to be charged from an individuals or body on a loan advanced under these rules shall be fixed by Government at the begining of every financial year and will ordinarily not exceed by more than 4 percent.

6. Loans shall be repaid in instalments fixed in the order sanctioning the grant of the same. instalments for the recovery of a loan shall be worked out in accordance with the rates prescribed in Appendix III of the Accounts Code, 1934. Edition and the maximum period during which the loan shall be repaid with interest which was accured thereon shall be seven years. The sanctioning authority will determined the period after which the first instalment will fall in such a manner that the payment of the first instalment may not cause any hardship. The Director of Industries & Supplies shall have power to extend to all time for the repayment of the loan by one year only. Any further extension can only be granted by the Government on the recommendation of the Committee in exceptional cases.

7. An application for the grant of a loan shall be made to the Director of Industries Rajasthan, Jaipur on the prescribed form given in Appendix 'A' through Divisional office of Industries Department or the Collector of the District in which the applicant resides.

8. Every application for loan under rule 7 shall be accompanied by a full description of the security which the applicant is willing to offer for the loan applied for and no loan shall be advanced under these rules unless the security deemed by the sanctioning author ty in its discretion to be in sufficient given by the petitioner provided that Government may in discretion wa ve this condition without prejudice to the exercise of discretion

by the sanctioning authority A loan advanced under these rules must be accured by one or more of the following securities:

(a) Marketable securities-such as Government bonds, Postal Cash Certificates, Stocks and Shares of first class companies like Railways etc.

(b) Personal security of solvent persons.

(c) Land, building, Machinery and Plant in the possession of the borrower.

(d) Life policies, shares, debentures.

Full details about the security should be given to enable the sanctioning authority to from a concrete opinion about sufficiency or otherwise. In case of security of immovable property a certificate of the Sub-Registrar/Tehsildar to the effect that it is not in any way encumbered shall accompany the application. Loans to Cooperative societies shall be advanced hrough and on the security of Central Banks only. The sanctioning authority shall be the final Judge of the value of the security offered.

9. Before a loan advanced under these rules the applicant borrower shall sign on agreement (Mortgage Deed and/or Bond as the case may be) in favour of the Government of Rajasthan convenanting to abide by the following terms:—

(a) That the amount of loan shall be utilised for the purpose for which it is given and for no other purpose.

(b) That the loan together with interest shall be repaid in the instalments fixed by the sanctioning authority.

(c) That he shall pay interest on the sum advanced by way of loan at the rate fixed by the sanctioning authority.

(d) That he shall furnish a monthly statement of full accounts to the Director of Industries & Supplies showing how the loan is being spent and a quarterly report about the progress of the industry.

(e) That he shall allow the Director of Industries & Supplies or any officer deputed by him for the purpose to inspect the accounts and to see whether the value of the security given has in any way under gone depreciation or not.

(f) That he shall when called upon to do so make up any depreciation in the value of the security given according to the decision of the Director of Industries & Supplies.

(g) That he shall hypothecate to the Governor of Rajasthan all machinery, tools and materials, building etc. purchased or constructed out of the loan.

(h) That in case he fails to pay the instalments in which the loan with interest is payable under the rules or fails to fulfil any term of condition on which the loan has been advanced, the Government shall have power to realise the same from the sale of the property given in security or any other porperty belonging to the applicant in respect thereof.

(i) That she shall pay the stamp duty payable on the agreement under any law for the time being in force.

10. The rules in Articals 357-361 of General Financial and Accounts rules relating to conditions of repayment of loans, calculation of interest, defaults in payment thereof and enforocment of penal rates of compound interest upon over due instalments shall apply to all loans advanced under these rules.

Page No.118

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १११७ का उत्तर देखिये)

सूची 'क'

नं० ६७१ मोजा पींगलोद, तहसील रूपनगर में खातेदारी हक दिये जाने-वालों की फहरिस्त

क्र० सं०	नाम आसामी	रकबा जिसका खातेदारी हक दिया गया	रकबा जो पहले से था बीघों में	विवरण
१	२	३	४	५
१	सूवा/परसा जाट	१३)४	८८।२	
२	गंगाराम/सोनाथ, मागू/माना रामनाथ/भूंता, मंगला/भोला जाट, सूजा जाट	४५)	सूजा—३७)३ मंगला—५॥३ रामनाथ—३०।१ मागू—६३)४ गंगाराम—२४॥।१	
३	रामधन/जालम जाट	१२)	५२)३	
४	सूजा, चन्द्रा/ओंकार जाट	१५।४	१४।४	
५	तुलसीदास/ ठेलदास	१०)	—	
६	लिछमन/गोपाल रेगर	६)	—	
७	रोडा/जगन्नाथ जाट	२६।)	३०॥)	
८	भैरू/सूजा जाट	८।।)	—	
९	हीरा/लादू जाट	४)३	—	

सूची 'ख'

प्लॉट नं० ६७१ मोजा पींगलोद संवत २०१० से काश्त करने वालों की फहरिस्त

नं०	नाम आसामी	नं. ६७१	संवत् २०१०	संवत् २०११	संवत् २०१२	विवरण
१.	हीरा डूडी	,,	४,३	४,३	४,३	नोट : उक्त प्लॉट का रकबा
२.	ऊंकार पु०रूपाजाट	,,	६।।।,२	१५।।	१५।।	सं० २०१३ व सं० २०१४ में इसलिए पड़त रहा कि गोचर
३.	चंद्रा पुत्र ऊंकार	,,	३।।;,४			भूमि के लिये इसकी सिफा-
४.	रोडा पुत्र जगन्नाथ	,,	२८।।।	३३।।,३	२८।२	रिश की गई थी बाद. में
५.	बालू खाती	,,	६,३			इसकी नामंजूरी हो जाने से
६.	मोहना बावरी	,,	६,३	६।२		इसी प्लॉट में से बावरी
७.	जोरा खोजी	,,	४।।।	६,१	६,१	सम्मेलन में १० बीघा के
८.	लादू बावरी	,,	७।।२	६,	१०।।	हिसाब से ८ बावरीयान को
९.	लिछमन रेगर	,,	६।	६।।१	६।।१	८०, बीघा आवटन हुई
१०.	भैरूं बरडवाल	,,	८।३	८।।	८।।	उसके बाद जिनका कब्जा
११.	गंगाराम बावरी	,,	३।४	४।४	४।४	चला आ रहा था उनको
१२.	रूपनाथ बावरी	,,	१३।।।१		१६,३	खातेदारी राइट दिये गये हैं
१३.	हीरा बावरी	,,	२६,४			चूंकि इन्होंने बकाया लगान
१४.	सूवा पुत्र परसाजाट	,,	८।।	१५।	२०.४	जमा कराने का वायदा
१५.	रामधन जाट	,,	१६।४	१२.२	१२.२	किया है।
१६.	रामनाथ मागू गंगा राम मंगला जाटान	,,	४३।।।१	४५।१	४५।१	
१७.	रोड़मल कामदार	,,		३।	३।	प्रचार एस०डी०ओ० द्वारा
१८.	रामचंद्राव सौन्या	,,		२६।।।३	६.	
१९.	तुलसीदास साधु	,,			१२।४	
२०.	गणेश खोजी	,,			१४.	

नोट : तहसील रूपनगर में सेटलमेंट संवत् २०१० से राईज हुआ है। इसके पहिले खास लटाई थी और यह पूरा रकबा काश्त इन्हीं काश्तकारों के द्वारा किया जा रहा था।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ११२६ का उत्तर देखिये)

बाडमेर तहसील में निर्धारित रकम से अधिक तकाबी ऋण स्वरूप दी जाने वाले व्यक्तियों की सूची

क. सं.	नाम ग्राम		नाम	अनाज व चारा खरीदने हेतु
१.	गुड़ामाल	१.	काशीराम	१०० रु०
		२.	लालसिंह	१०० रु०
		३.	तुलसा	१०० रु०
		४.	भोपा	१०० रु०
		५.	सोना	१०० रु०
		६.	रनजीतसिंह	१०० रु०
		७.	मनजीदा	१०० रु०
		८.	डावा	१०० रु०
२.	गन्धर्वखुर्द	९.	कोजा	१०० रु०
		१०.	धारबुया	१०० रु०
		११.	मूला	१०० रु०
		१२.	घूमला	१०० रु०
३.	अलपुरा	१३.	घरमा	१०० रु०
४.	दूदू	१४.	माना	१०० रु०
५.	बन्ता	१५.	मागा	१०० रु०

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११३५ का उत्तर देखिये)

सन् १९५४–५५ से १९५७–५८ तक हरिजनों के लिये कुंए बनाने के हेतु दी गई सहायता की जिलेवार तालिका

क्र० सं०	नाम जिला	१९५४–५५		१९५५–५६		१९५६–५७		१९५७–५८	
		कुओं की संख्या	स्वीकृत की गई रकम	कुओं की संख्या	स्वीकृत की गई रकम	कुओं की संख्या	स्वीकृत की गई रकम	कुओं की संख्या	स्वीकृत की गई रकम
१.	पाली	४	१,८००	३	१,७५०	८	५,४००	२	१,०००
२.	सिरोही	१	१,०००	१	५००	३	२,५००	१	१,०००
३.	नागौर	१	५००	३	१,६००	४	२,०००	६	४,०००
४.	बाड़मेर	२	१,२००	—	—	—	—	—	—
५.	कोटा	२	६००	५	३,०००	१५	७,५००	—	—
६.	झालावाड़	१	१,५००	२	१,०००	१	५००	२	१,०००
७.	बूंदी	१	५००	१	१,२००	१	३००	—	—
८.	जयपुर	२७	१,२२,६८०	७	७,०००	२२	१७,३००	१५	१०,०००

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
९.	सीकर	३२	२१,०५०	४	४,२००	१३	७,३००	१२	७,६५०
१०.	टोंक	४	३,३००	१	१,७००	—	—	३	१,५००
१२.	सवाई माधोपुर	२	३,०००	१	२,०००	१६	६,५००	२	५,०००
१२.	झुन्झुनू	३४	२,२३४	३	२,८००	३	१,३००	४	१,९००
१३.	अलवर	७	६,२००	२	१,३००	१२	११,०००	१२	६,५००
१४.	भरतपुर	१४	११,९००	८	६,५००	७	६,०००	१६	१३,५००
१५	उदयपुर	५	५,१००	८	३,८००	६	३,०००	—	—
१६.	भीलवाड़ा	५	१,९००	५	२,४५०	६	२,१००	३	१,७५०
१७.	बांसवाड़ा	१७	१२,१७५	४	५,७५०	२	१,०००	—	—
१८.	चित्तौड़गढ़	—	—	६	२,४००	७	२,४५०	—	—
१९.	बीकानेर	१	४,०००	१	१,५००	२	१,०००	८	५,५००
२०.	जोधपुर	—	—	१	५००	४	२,०००	१	१,०००

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२१.	डूंगरपुर	—	—	५	२,३००	२	१,०००	१	५००
२२.	चूरू	—	—	६	३,०००	७	३,२००	३	२,५००
२३.	गंगानमर	—	—	१	३,०००	१	५००	—	—
२४.	अजमेर	—	—	—	—	१०	२,५००	२	५,०००
२५.	जालौर	—	—	—	—	—	—	१	३४०
२३.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५७४५	अन्तिम से ७	श्री सपतराम	श्री सम्पतराम
५७४८	१	श्री लद्मीचन्द	श्री लद्मीचन्द
५७५१	१२	बहाल किय	बहाल किया
५७५७	शीर्ष	५८ –	५८– तारांकित प्रश्नोत्तर
५७७२	अन्तिम से ११	वन विभाग के हैं	वन विभाग के आधीन है।
५७८०	,, ६	Cattlee	Cattle
५७९४	,, २	उम्हें	उन्हें
,,	८	बसना नह	बसना नहीं
५७९५	१५	हैडक्वर्टर	हैडक्वार्टर
५७९६	अन्तिम से	इनका	इनको
,,	,, ६	ध्यान जरूर	ध्यान में जरूर
,,	,, १०	इसके मे पूर्व	इसके पूर्व
५८०८	,, २१	सेशनन	सेशन
५८१५	,, १५	Closele	Closed
,,	१४	इन्टरिभ	इन्टरिम
५८४२	अन्तिम से १०	राइट्म	राइट्स
,,	,, २	ज्याद	ज्यादा
५८४३	,, १०	द्वितिय	द्वितीय
५८४८	१३	बहस मौका दें	बहस करने का मौका दें।
५८५४	अन्तिम से १६	इन्टरभीजियरीज	इन्टरमीजियरीज

१	२	३	४
५८५६	५	Conitnuosly	Continuosly
५८५६	अन्तिम से १२	विरवेदार	बिस्वेदार
५८६६	,, १३	माननय	माननीय
५८६८	अन्तिम से १०	2 an 1	2 and
५८७२	१५	श्री दामादरलाल	श्री दामोदरलाल
५८७३	२०	Lgeal	Legal
,,	अन्तिम से १०	श्री रघुवीरांसह	श्री रघुवीरसिंह
५८८८	प्रथम	६ दिसम्बर ५८ –	जमींदारी तथा –६ दिसम्बर ५८– बिस्वेदार उत्पादन
५६१०	८	Masginal	marginal
५६१२	अन्तिम से १४	सिद्धान्त मन लिया	सिद्धान्त मान लिया
५६१३	६	आशा करना हूँ	आशा करता हूँ
५६२०	१३	amenoment	amendment
,,	१५	उद्देश्व	उद्देश्य
५६२७	अन्तिम से ६	फायद	फायदा
५६२८	१०	श्री सोहनलल	श्री सोहनलाल
५६३१	अन्तिम से २	फिर भ	फिर भी
५६४१	,, १४	Cesses	Ceses
५६५०	,, १६	कब्पेन्सेशन	कम्पेन्सेशन
५६५७	,, ३	दतनुसार	तदनुसार
५६६६	८	Rajasthau	Rajsthan

१	२	३	४
५६६६	८	Mnximum	Maximum
,,	१३	advanced	abvanced
५६६८	११	From	Form
,,	१५	hrough	through